राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम-सत्र, १९६४ का ३३वां दिवस [संख्या २५

मंगलवार, दिनांक २४ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, राजकीय औद्योगिक संस्थान, यातायात, उद्योग, न्याय एवं शिक्षा--विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

सुजानगढ़–डीडवाना सड़क पर तारकोल

०६. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : [illegible] सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:........

(१) सुजानगढ़-डीडवाना कंकरीट सड़क कब बनाई गई थी ? उसमें राज्य सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क को तारकोल सड़क नहीं बनाए जाने के कारण सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि यातायात के लिये उसका उपयोग बिल्कुल संभव नहीं रहा है ?

(३) क्या राज्य सरकार इसे तारकोल सड़क बनाए जाने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो इस पर कब तक तारकोल पड़ जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) सुजानगढ़ से लाडंनू तक मिट्टी की सड़क है जो वर्ष १९५५-५६ में २,१८,५१४) रु० की लागत से बनी है तथा लाडंनू से डीडवाना तक केवल ग्रेवल रोड है।

(२) सड़क यातायात के योग्य है।

(३) जी हां। आशा है चतुर्थ योजना तक।

श्री फूलचन्द जैन : क्या यह सुजानगढ़ से लाडंनू सड़क टार रोड़ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : टार रोड तो नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : जैसा कि अभी फरमाया। मैं यह कहता हूं कि इसकी हालत बिल्कुल खराब है और टार रोड न बना सके इसलिए कोई गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक इसको इस तरह का कर दिया जायगा । ६४-६५ में इसके लिए ८० हजार रुपया रखा है ।

श्री फूलचन्द जैन : १९५५ में यह सड़क बनी है और इस पर टार न पड़ने से इसकी हालत खराब हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि टार न बनाये जाने का कारण यह है कि लाडनू और सुजानगढ़ से जोधपुर तक लिंक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बस वाले एतराज करते हैं और वे जानते है कि नेशनलाइज़ कर दिया जायगा ।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी हमारे पास जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

गन्ना बोने वाले काश्तकारों को सुविधाएं, गंगानगर

६०७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या राजकीय औद्योगिक संस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शुगर मिल के चारों ओर १०-१० मील तक के किसानों को पाबन्द कर रखा है कि वे अपना गन्ना निर्धारित कीमत पर मिल में ले जाकर बेचें ? अगर हां, तो काश्तकार को चीनी व गुड़ की कमी में सरकार ने क्या विशेष सुविधाएं दे रखी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस १०-१० मील के क्षेत्र में काश्तकार अपने निजी काम के लिये चीनी व गुड़ अपने गन्ने से नहीं बना सकते ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या इस नीति से काश्तकारों में सरकार के प्रति भारी रोष है ? अगर हां, तो इसका परिणाम क्या होगा ?

(४) क्या इस नीति से गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार गन्ना बोने वाले काश्तकारों को कोई विशेष सुविधा देना चाहती है, जिससे उनका असंतोष दूर हो ?

उप-मंत्री, राजकीय औद्योगिक संस्थान (श्रीमती कमला बेनीवाल):—

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं ।

श्री नत्थीसिंह : आपने क्या कहा यह बिल्कुल सुनाई ही नहीं दिया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फिर से पढ़ूं क्या ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, दस-दस मील के क्षेत्र में किसानों को चीनी और गुड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता ? वे आपको गन्ना देते हैं और आप उनको चीनी और गुड़ भी न दें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि दस मील के अन्दर उनको काम करने की मनाही है क्या ? मनाही नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केन एरिया तो आपने घोषित किया है। दस मील का एरिया केन ऐरिया घोषित किया या नहीं ? मिल केन लेता है या नहीं ? मिल ने दस मील में अपने कांटे एस्टेब्लिश किये या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दस मील के एरिया में हमने यह इन्तजाम रखा है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा गन्ना पैदा किया जा सके। शुगर मिल के टेक्निकल एक्स्पर्ट्स उनकी मदद करते हैं। जहां तक गन्ना खरीदने का सवाल है पाबन्दी नहीं है कि किस भाव से दें हालांकि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की रेट निर्धारित हैं। न गुड़ बनाने की पाबन्दी है। इन्डीजिनस वे गुड़ बना सकते हैं। रोक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप प्रयत्न करते हैं और गन्ना अच्छी क्वालिटी का पैदा कराते हैं, वे करते हैं और आपको देते हैं क्योंकि आप कोशिश करते हैं इसके लिए। वे आपको अपना गन्ना तो दे दें। लेकिन जहां चीनी और गुड़ के डिस्ट्रिब्युशन का सवाल आता है तो उनको वे प्राप्त नहीं होते हैं जिससे वे गन्ना बोने से डिस्करेज होते हैं। इससे मिल को नुकसान होता है। १२० दिन मिल के चलने का है जब कि ५६ दिन ही मिल चल कर बन्द हो गया है। गुड़ बहुत एसेन्शियल कमोडिटी है जो किसान के काम में आता है। वे अपने एफर्टस से अच्छा गन्ना आपको दे देते और आप उनको चीनी और गुड़ मुहैया नहीं करते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, गुड़ बनाने की उनकी एक परम्परा चली आ रही है उसको बैन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके स्टेटमेन्ट में यह कान्ट्रॉडिक्शन है। मैंने यह नहीं कहा है कि बेन किया है। आप गन्ना लेते हैं और वे देते हैं। पैसा खर्च करते हैं, एफर्टस आप करते हैं। लेकिन उनको आप गुड़ और चीनी नहीं देते हैं इसलिए उनमें एन्करेजमेन्ट नहीं होता है, गन्ना पैदा करने में।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : इसमें गुड़ और चीनी न देने का प्रश्न ही कहां है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि दस मील के एरिया में कृषक द्वारा गुड़ बनाने पर पाबन्दी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पॉवर क्रशर द्वारा गुड़ बनाने की पाबन्दी है। इन्डीजिनस वे में मशीन है उससे बनाने में पाबन्दी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न के भाग ४ को आप पढ़ेंगी जिसमें यह है "क्या इस नीति से गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार गन्ना बोने वाले काश्तकारों को कोई विशेष सुविधा देना चाहती है जिससे उनका असंतोष दूर हो ?" विशेष सुविधा का मतलब यह है कि आप उनको चीनी और गुड़ देते हैं या नहीं। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। किसान गन्ना खुशी से देते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपके मिल के मैनेजर ने लिखा। कलेक्टर को स्पेशियली एपप्रोच किया कि अगर आप इनको चीनी और गुड़ नहीं देंगे तो मिल को नुकसान पहुंचेगा कलेक्टर ने उसकी इस कोशिश को स्ट्रोंगली अोपोज किया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रश्नकर्ता का आशय कुछ और है और सप्लीमेन्टरी कुछ और है।

श्री नत्थीसिंह : उनको गुड़ और चीनी खाने के लिए नहीं देना चाहते। उनको आप सुविधा नहीं देना चाहते ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पार्ट २ में रेफर किया है वह रिलेटिव है अगर उनको पाबन्द कर दिया है, तो राज्य सरकार ने दूसरा क्या इंतजाम किया है। हम कहते हैं कि पाबन्दी नहीं की है तो और इन्तजाम की व्यवस्था का सवाल ही कहां रहता है। यह ठीक है कि एनकरेज करने के लिए उनको सुविधायें दें, हमने विचार किया है इस पर कि जो केन ग्रोअर्स इस ओर काम करते रहे हैं उनको क्या सुविधायें दी जायं, उसको सोचेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है। चीनी का संकट सामने आया और उसका नतीजा भी सामने आया। १२० दिन जहां मिल चलने को था वहां ५६ दिन ही चल कर बन्द हो गया। केन ग्रोअर्स ने कहा कि हम को चीनी गुड़ दीजिये। हम आपको गन्ना देते हैं। उनको डिस्करेज किया गया। एक तरफ तो केन ग्रोअर्स की यह मांग रहती है और दूसरी तरफ सरकार की यह कोशिश रहती है तो केन ग्रोअर्स केन पैदा करना बन्द कर देंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गुड़ की चूंकि इस वक्त में तंगी है इसलिये केन ग्रोअर्स गुड़ बनाने की प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। गुड़ की स्थिति अगर नोर्मल होती तो यह स्थिति नहीं आती।

प्रश्न संख्या ६०८

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०९

श्री मानिकचन्द सुराणा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

सूरतगढ़-रावतसर सड़क

६१०. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सूरतगढ़ से रावतसर तक सड़क बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस सड़क का काम कब से प्रारम्भ होने वाला है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): सूरतगढ़ से रावतसर को सीधा मिलाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है अतः कार्य आरम्भ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के कर्मचारियों के ट्रान्सफर

६११. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग को बने कितना समय होगया है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां आए दिन ट्रेफिक इन्सपेक्टर्स व असिस्टेन्ट ट्रेफिक इन्सपेक्टरों के ट्रान्सफर होते रहते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार का ऐसा कोई नियम है कि असाधारण अवस्था के अलावा किसी सरकारी कर्मचारी का दो साल से पहले ट्रान्सफर न किया जावे ? यदि हां, तो क्या यह नियम राजस्थान रोडवेज पर लागू नहीं होता है ?

(श्री श्रवणलाल)

(४) इस बार बार ट्रान्सफर से सरकारी कर्मचारियों को असुविधायें होती हैं, क्या उनका ध्यान सरकार को है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके बाबत क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) लगभग तीन साल ।

(२) जी नहीं । असाधारण अवस्था में ही ट्रान्सफर किये जाते हैं ।

(३) जी हां । यह नियम राजस्थान रोड़वेज पर भी लागू होता है ।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री श्रवणलाल : भाग दो में आपने बताया जी नहीं, ऐसे ट्रान्सफर अभी हुए हैं, कहीं छः महीने के अन्दर, कहीं साल भर के अन्दर तो ये किस प्रकार किये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत जगहों के बारे में शिकायत आती है कि ट्रेफिक इन्सपेक्टर्स, असिस्टेन्ट ट्रेफिक इन्सपेक्टर्स का काम ठीक नहीं है तो उससे पहले भी बदलना पड़ता है, यह असाधारण अवस्था में ही लागू होता है।

श्री श्रवणलाल: राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट के नियम हैं वे यहां लागू होते हैं ट्रान्सफर्स आदि में या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगर किसी के काम की बाबत शिकायत हो तो ट्रान्सफर किया जाता है या तरक्की के लिये किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री रघुनाथ विश्नोई।

सीमेन्ट गोदाम पर छापा–भीनमाल

६१२. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि मास नवम्बर या दिसम्बर सन् ६२ में एस० डी० ओ०, भीनमाल ने सांचोर में नैनवा वाले सेठजी का सीमेन्ट का स्टॉक पकड़ कर सीज किया था और मौतबिरों के हस्ताक्षर करा कर कागजात बना कर भीनमाल ले गये थे और सीमेन्ट पर छापा लगाया गया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि नैनवा वाले सेठजी पीपली चौक, सांचोर में अपना खुद का मकान बनाने के लिये सीमेन्ट लाए थे ? अगर हां, तो वह कितना सीमेन्ट लाये थे ? अगर हां, तो वह कितना सीमेन्ट था जो सीज किया गया ?

(३) अगर एस० डी० ओ०, भीनमाल ने नैनवा वाले सेठजी का सीमेन्ट पकड़ा था तो उन कागजात का क्या हुआ और उस सीमेन्ट का क्या हुआ जिस पर छापा लगाया गया था ? क्या यह सच है कि भारी पैसों का गोलमाल करके वे कागजात गायब कर दिए गए और वह सीमेन्ट छोड़ दिया गया । जिससे कि नैनवा वाले सेठजी ने उसी सीमेन्ट को काम में लेकर अपना मकान पीपली चौक, सांचोर में बना लिया है ? अगर हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? क्या सरकार उपरोक्त गंभीर मामले की विस्तृत जांच उच्च सरकारी अधिकारी द्वारा कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या उपरोक्त सीमेन्ट का केस पकड़ने के वक्त तहसीलदार, सांचोर भी

Page No. 6

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
शामिल थे और उनके भी जानकारी में वह मामला था ?

(५) क्या उपरोक्त मामले में दोषी अधिकारियों को सरकार उचित दंड देने को तैयार है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी नहीं । बल्कि सीमेन्ट नायब तहसीलदार, सांचोर ने धर्मचन्द तथा भीमराज से सीज़ किया था ।

(२) १२० बोरियां सीमेन्ट लाया गया था जो सीज़ किया गया था।

(३) सीमेन्ट एस० डी० ओ०, भीनमाल ने नहीं पकड़ा था, अतः कागजात गायब करने का प्रश्न ही नहीं उठता । कथित व्यक्तियों के खिलाफ एस० डी० एम०, भीनमाल की कोर्ट में मुकद्दमे दायर किये गये ।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह मुकदमा दायर किसने किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : जिसने सीमेन्ट सीज़ किया था ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किसने किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : पहले प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, जो आपको सूचना दी गई है वह गलत है । एस० डी० एम० खुद ने यह मामला पकड़ा था लेकिन बाद में टेक्निकल ग्राउन्ड पर इसको खारिज कर दिया गया । इस चीज को माननीय मंत्री महोदय चाहे तो मैं साबित करने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब तो चालान हो गया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं यह निवेदन कर रहा हूं एस० डी० एम० खुद ने इस केस को पकड़ा है और टेक्निकल खामी बताकर इसको खारिज कर दिया । तहसीलदार ने चालान पेश नहीं किया कोई ट्रायल या गवाह वगैरह नही हुई । वैसे ही कागज फाइल कर दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : जब यह मामला एस० डी० एम० की अदालत में है, वे यदि उसको ठीक नहीं समझते, तो फाइल कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह मामला उन्होंने खुद ने ही बनाया था और खुद ही ने फाइल कर दिया, जब पहले सीज़ किया गया तो फिर सीज़ करने का क्या कारण था ?

श्री चन्दनमल वैद : सीज़ करने के बाद चालान कर दिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एस० डी० एम० और तहसीलदार दोनों ने साथ में जाकर मौके पर सीज़ किया । इसमें नायब तहसीलदार द्वारा सीज करने का सवाल ही नहीं । वे खुद स्वयं गये और उन्होंने खुद ने ही बाद में टेक्निकल ग्राउन्ड पर खत्म कर दिया । पहले तो माल सीज़ किया गया फिर बाद में मामले को न चलाकर उन कागजों को फाइल करने के क्या कारण थे ?

श्री चन्दनमल बैद : सीमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत सीज़ किया गया और सीज़ करने के बाद अदालत में पेश कर दिया। अदालत में केस दायर हुआ। कलेक्टर ने जो मुझे सूचना दी है उसके अनुसार यह माल नायब--तहसीलदार ने सीज़ किया था और वह मामला एस० डी० एम० कोर्ट में दायर किया। आप जो कह रहे है वह ठीक नहीं है; कलेक्टर जैसा एक जिम्मेदार अधिकारी जो सूचना देता है वह मैं समझता हूं ठीक है, इसमें गड़बड़ होने की सम्भावना नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : तो क्या आप माननीय सदस्य को गैर जिम्मेदार समझते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किस स्टेज पर फाइल किया है यह बता दीजिये ?

श्री चन्दनमल बैद : S. D. M. ने Acquittal कर दिया।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सीमेन्ट कन्ट्रोल ऑर्डर की तहत नायब--तहसीलदार को सीज़ करने के पॉवर्स नहीं हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह बिलकुल सच है नायब तहसीलदार को सीज़ करने के पॉवर्स नहीं थे, एस० डी० एस० ने इसी वास्ते एक्वीटल किया। यह उस समय का मामला है जिस समय कि जोधपुर में फ्री सेल से सीमेन्ट मिलती थी। पार्टी का कहना है कि वे फ्री सेल से जोधपुर से सीमेन्ट लाये थे। मामूली सी बात थी इस वास्ते किसी एक आदमी को जो अपने घरू काम के लिये फ्री सेल से सीमेन्ट लाया है उसको तंग न किया जाय, इस वास्ते इस को दुबारा चालान नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नायब--तहसीलदार ने सीज़ किया था जो गैर कानूनी था। मैं माननीय मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है। वे जांच कराने के लिये तैयार हैं तो मैं साबित करने के लिये तैयार हूं। यह मामला ऑर्डिनरी नहीं है। गलत सीज किया गया और नाम मात्र के कागज बनाये गये और टेक्निकल खामी कह कर उसको फाइल कर दिया, इससे स्पष्ट है कि कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है इसके लिये आप जांच करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जहां तक इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट का सवाल है, नायब तहसीलदार द्वारा सीमेन्ट पकड़ा गया और केस दायर कर दिया गया। अब आप जैसा कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो इसके बारे में एन्टीक रप्शन डिपार्टमेन्ट जांच कर सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एस० डी० एम० खुद मौजूद थे इसमें नायब तहसीलदार द्वारा सीज कराने का सवाल नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि सीमेन्ट जो सीज किया गया वह तहसीलदार या एस० डी० एम० द्वारा किया गया। मैंने इस बारे में फोन पर जानकारी की, कलेक्टर ने मुझे कहा कि नायब--तहसीलदार द्वारा यह सीज़ किया गया और उसी ने केस दायर किया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उस समय मैं भी मौजूद था, कलेक्टर, एस० डी० ओ० मौजूद थे और उनको यह जानकारी है इसको लाइटली लिया जा रहा है। एस० डी० ओ० ने खुद ने चेपा

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

लगाया था। विस्तार से आप जांच करने को तैयार हैं तो मैं यह साबित कर सकता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य कहते है कि मैं मौजूद था तो इस विषय में कलेक्टर से उचित जानकारी हांसिल करके सूचित कर दूंगा। जब Collector और S. D. M. खुद मौजूद थे तो चालान नायब तहसीलदार से क्यों करवाया गया ?

प्रश्न संख्या ६१३

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिह

भाखरा क्षेत्र में चिमनी के भट्टे

६१४. **श्री हरदत्तसिह** (नोहर): क्या उद्यौग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) भाखरा क्षेत्र में सन् ६१-६२ में कुल कितने चिमनी के भट्टे चालू थे और उनसे राजस्थान सरकार को उस वर्ष कितनी आय हुई ?

(२) सन् ६३ में भाखरा क्षेत्र में कुल कितने चिमनी के भट्टे सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये और उनसे सरकार को कितनी आय का नुकसान हुआ ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):

(१) उद्योग विभाग द्वारा कोई भट्टे नहीं चलाए गये।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरदत्तसिह : अगर उद्योग विभाग द्वारा नहीं चलाये जाते जब आपके विभाग से संबन्धित यह प्रश्न नहीं था तो आपको उस विभाग को रिडाइरेक्ट करना चाहिये था जिससे यह संबन्धित है। कोलोनाइजेशन को रिडाइरेक्ट कर देते ताकि उत्तर तो हमें मिल सकता ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर देख लीजिये कोलोनाइजेशन को जायगा या इरिगेशन को ?

श्री हरदत्तसिहः मुझे मालूम हो गया है कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा भट्टों को आँक्शन किया जाता है।

श्न संख्या ६१५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री रामानन्द अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

राजगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

६१७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू जिले में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

(२) चूरू जिले के राजगढ सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कब हो जायेगी ?

Page No. 9

(श्री रावतराम)

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जनता को प्रत्येक दावे के लिये चूरू जाना पड़ता है अतः बड़ी परेशानी होती है ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा):

(१) चूरू जिले में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कोई कोर्ट नहीं है परन्तु रतनगढ़ में सिविल जज व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का कोर्ट है ।

(२) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(३) यह सही है कि राजगढ़ क्षेत्र की जनता को प्रत्येक दावे के लिए चूरू जाना पड़ता है ।

श्री रावतराम : तो इस संबन्ध में राजगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रखने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने भाग (२) में निवेदन कर दिया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि अजमेर जिले के केकड़ी सब-डिविजन में दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका मतलब एक सब-डिवीजन में ?

श्री अध्यक्ष : एक स्थान पर २ हैं और दोनों के पास काम बहुत कम है ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि वहां एक है या दो । मैं जानकारी करके कि कितने केसेज हैं बाद में जवाब दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

गंदे पानी (एफलुयेन्ट) छोड़ने से मवेशियों की मृत्यु व फसल को नुकसान––कोटा

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं कि राजस्थान विनियल कम्पनी, कोटा द्वारा गन्दा पानी (एफ्लुयेंट) छोड़ने से सैकड़ों मवेशी मर चुके हैं तथा फसलें बेकार हुई हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि जिस नाले में एफ्लुयेंट छोड़ा जाता है वह बारह--मासी बहने वाला नाला है जिसके किनारे के ७-८ ग्राम उससे पानी पीते हैं, मवेशियों को पानी पिलाते हैं तथा खेती के काम में लेते हैं ?

(३) अगर हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में क्या कदम उठाया ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्थान विनियल कम्पनी, कोटा द्वारा छोड़े गये गन्दा (एफ्लुयेंट) के पानी पीने से करीब १५-२० मवेशी एवं कई मन मछलियां मर गई तथा कुछ एकड़ भूमि की उपजाऊ शक्ति पर भी इसका कुछ खराब असर पड़ा है ।

(२) जी नहीं, यह बरसाती नाला है पर इतना जरूर है कि उसमें चम्बल नहर का पानी छोड़ दिया जाता है जिससे उसमें पानी जमा रहता है । इस नाले के किनारे बसे ग्रामवासी नाले का पानी नहीं पीते बल्कि गांवों में बने कुओं का पानी पीते हैं तथा मवेशियों को भी कुओं का पानी पिलाते हैं । इतना जरूर है कि कुंए गांव से दूर तथा खेतों के बीच होने के कारण मवेशियों को

(श्री हरिश्चन्द्र)

पानी पिलाने में दिक्कत होती है। गंदा पानी छोड़े जाने से पूर्व मवेशी नाले में पानी पीते थे और अब भी आवारा मवेशी नाले में कभी कभी पानी पीते हैं। खेती की सिंचाई भी कुओं से ही की जाती है। कहीं कहीं गांवों में खेरी बनाकर नाले से खेतों को पानी दिया जाता है।

(३) इस संबन्ध में राजस्थान विनियल एण्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज के मैनेजर को आदेश दिया गया कि जो गंदा पानी छोड़ा जाता है उसे वह निष्प्रभाव (न्यूट्रेलाइज) करके ही छोड़ें ताकि इसका बुरा प्रभाव किसी पर न पड़े। इतना ही नहीं गन्दे पानी की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक केमिस्ट की नियुक्ति के कदम उठाये जा चुके हैं और वह इसको अक्सर जांच किया करेंगे। फिलहाल गंदे पानी की जांच एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, वाटर वर्क्स, कोटा द्वारा किया जा रहा है। गांव वालों के मवेशियों को पानी पिलाने में जो असुविधा होती है उसको दूर करने के लिए पानी की उचित व्यवस्था हेतु स्कीम (योजना) बनाई जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि उक्त फैक्टरी को यह आदेश दिये जाने के बाद भी कि वह एफ्लुयेंट को न्यूट्रीलाइज करके डिस्चार्ज करें उसके बाद में भी गांवों में मवेशियों के मरने की शिकायत आई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इन दिनों में नहीं आई है। मैं ८ जनवरी को इसी सिलसिले में कोटा गया था तो कलेक्टर साहब भी वहां थे। लेकिन यह जो रिपोर्ट ६३ की है उसके बाद तो मवेशियों के मरने की शिकायत नहीं आई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो इन्डस्ट्री को आदेश दिया गया था, कब दिया गया था कि वह पानी को न्यूट्रीलाइज करके डिस्चार्ज करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : आदेश तो पहले से ही दिये गये थे कि they should neutralise water. लेकिन इसके बाद यह शिकायत जरूर आई है कि वे पानी को न्यूट्रेलाइज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वहां पर एक मीटिंग कॉल की और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वाटर को न्यूट्रेलाइज नहीं किया है और इससे बड़ी शिकायतें आई हैं, they must take immediate steps for it. उसके बाद एक डिफिकल्टी हमारे सामने यह है कि जो कोटा का इन्डस्ट्रियल एरिया है वहां से जो एफ्लुयेंट निकलता है उस डिस्चार्ज का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। इसके लिए गुजरात को भी लिखा है, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को भी लिखा है कि परमिसीबल एफ्लुयेंट का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसका स्पेसीफिकेशन हमारे पास भेजें ताकि उसके तहत हम एन्फोर्स करें कि यहां का एफ्लुयेंट भी उसी तरह से निकालें। लेकिन क्योंकि उसमें क्लोरीन जाता है और क्लोरीन अपना एक्शन, क्योंकि एक्सेसिव अमाउन्ट में है इसलिए वहां जो पानी पीया जाता है उनको नुकसान करता है। इसलिए कल ही टेलीफोन से बात की, they are releasing lime also, ताकि जो उसका एसिडिक इफेक्ट होना चाहिए वह न होकर एलकेलीन हो जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार के पास बार-बार शिकायतें आने पर भी कि वह एफ्लुयेंट जो डिस्चार्ज करते हैं उसको

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
न्यूट्रेलाइज नहीं करते और उसके कारण नुकसान होता है। सरकार किसी प्रकार से बांध नहीं सकती कि पानी को न्यूट्रेलाइज करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या डिस्चार्ज का स्पेसीफिकेशन होना चाहिए वह मैंने गुजरात गवर्नमेन्ट को भी लिखा है क्योंकि वहां बहुत मिलें चलती हैं। वह जब तक हमारे पास नहीं आये और गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया को भी लिखा है कि परमिसीबल स्पेसीफिकेशन एफ्लुयेंट के डिस्चार्ज का क्या होना चाहिए इसकी इत्तला नहीं आये तब तक उनको हम कुछ नहीं कह सकते कि आप इस स्पेसिफिकेशन का डिस्चार्ज निकालिये।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वहां एक बरसाती नाला है जिसमें गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिसके आसपास कई गांव बसे हुये हैं और वहां पर जानवरों के मरने की शिकायतें बार-बार आई हैं और कलेक्टर के कहने के बावजूद भी जानवर अभी तक मर रहे हैं। आप इसका इन्तजाम कीजिए कि वे पशु न मरें।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास मरने की जरूर शिकायतें आई हैं और उसके ऊपर ही मैं कोटा गया था। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई शिकायत मवेशी के मरने की न तो कलेक्टर से आई है और न गांव वालों से आई है।

श्री अध्यक्ष : अगर कल आ जाये तो क्या करेंगे ? What has happened before can happen again.

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज करूं कि पोजीशन यह है कि वह नाला जो कंतवा नाला है उसमें जो एफ्लुयेंट इस समय है वह ज्यादातर विनियल कम्पनी वालों का होता है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी कम्पनियों का भी होना शुरू हो जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने उनसे यह निवेदन किया है कि जो कम्पनी अपना डिस्चार्ज निकाले वह न्यूट्रेलाइज होना चाहिए before it falls in the Nalla. This I have informed them.

श्री अध्यक्ष : But they have not obeyed that.

श्री हरिश्चन्द्र: We have not got this specification. I am getting this specification from the Government of India. I am also getting the specification from Gujerat. Gujerat have informed us that they are also finding the same difficulty. We are trying to find out what can be the permissible affluent. After that I can pin them down that this is the permissible affluent and you cannot do apart from that. Until I am well equipped in my own information, I can not enforce anything.

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कहना चाहते कि आप उसके लिए कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सारी बातें ठीक हैं आप कर रहे हैं। गुजरात से पूछ रहे हैं, गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया से भी पूछ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने मौत का है। जानवर मर रहे हैं इसके लिए रिलीफ मिलना चाहिए। अगर जानवर मर जाते हैं तो किसानों को कौन पूछेगा ?

Page No. 12

श्री हरिश्चन्द्र : ग्राप मुझे सुझाव दीजिए कि क्या किया जाये ? मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। जिससे हम इस समस्या को टाल सकते हों उसको करने के लिए तैयार हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब तक सरकार के पास इस प्रकार की सूचना गुजरात वगैरह से नहीं ग्रा जाये क्या सरकार उचित नहीं समझती कि जहां से नाला ग्रारम्भ होता है ग्रौर जहां समाप्त होता है उसके दोनों तरफ किसी कटीली झाड़ से या किसी चीज से एन्क्लोज़ करा दे जिससे मवेशी जाकर मुंह न डालें। ग्रापके पास सूचना १०-१५ मवेशियों के मरने की ग्राई है; मैं कहना चाहता हूं कि तीन सौ, चार सौ मवेशी मरे हैं। मैंने पानी की बोतल भरकर दी है, यह कार्यवाही दिसम्बर तक होती रही तो उस समय तक सरकार यह कर सकती है कि नाले के दोनों ग्रौर कांटे या दीवार इस प्रकार की चीज बना दे कि जिससे मवेशी मुंह न डालें।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके ग्रलावा मैं बताऊं कि शिकायत यह ग्रौर ग्राई थी कि वहां के जो कुए हैं वह पोल्यूट हो गये हैं। उसके लिए मैंने जो कैमिस्ट हैं उनसे कहा कि कुग्रों का स्पेसीफिकेशन ले लें ग्रौर यह मालूम करें कि वह पानी भी पोल्यूट हुग्रा है या नहीं; ग्रगर वह हो गया है तो स्कीम बना लें। ग्रब उन दसों गांवों में पानी कैसे पहुंच सकता है, वह स्कीम चल रही है; लेकिन जहां जहां जानवरों के उतार हैं उनको भी बन्द कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ग्रानी चाहिए। उसके लिए ग्राप ग्रौर ग्राप ग्रा जायें। That will be done.

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

एम्बेसेडर कार की खरीद में प्राथमिकता

६१६. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभाई सदस्यों को ग्रौर विशेषकर राजधानी से दूरी पर रहने वाले सदस्यों को ग्राने–जाने की सहूलियत के लिए एम्बेसेडर कारों की खरीद में उन्हें प्राथमिकता दिलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : क्यों नहीं दी जा सकती ?

श्री भीमसिंह : प्रश्न यह है कि गाड़ी तो दी जा सकती है स्टेट कोटा में से, लेकिन टोप प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती है। जो क्वेश्चन ग्राया है उसके ग्रन्दर यह है कि एम० एल० एज़० जो गाड़ी चाहते हैं उनको गाड़ी तो दी जा सकती है स्टेट कोटा में से, लेकिन टोप प्रायोरिटी में नहीं दी जा सकती है।

श्री मानसिंह महार : क्यों नहीं दी जा सकती है जब कि मंत्रियों को तीन–तीन गाड़ियां दी जा सकती हैं। ग्राप मंत्री बनते हैं तो हम में से ही बनते हैं। हम से ऊपर तो नहीं हैं। जब उनको गाड़ियां सरकारी कोटे में से ऐसे मिलती हैं तो एम० एल० एज़ को टोप प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं ?

श्री भीमसिंह : ग्राम तौर से जो लिस्ट बनी हुई है कि 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वेड' तो उस बेसिस पर दे सकते हैं। कोटा में चम्बल डैम पर जो ग्रॉफिसर्स हैं उनको जैसे एमर्जेन्सी

(श्री भीमसिंह)
होती है तो उनको टोप प्रायोरिटी देते हैं। वैसे आदमी जैसे जैसे लिस्ट में आये उसी के मुताबिक दे सकते हैं।

श्री हरदत्तसिंह : अगर एक विधान सभा का सदस्य माननीय मिनिस्टर से पहले डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट के यहां अपना नाम दर्ज कराता है तो क्या उस माननीय सदस्य को माननीय मंत्री से पहले प्राथमिकता देंगे आप ?

श्री भीमसिंह : जो प्राथमिकता का आप फर्मा रहे हैं और मिनिस्टर का आपने हवाला दिया, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने यहां जो उप-मंत्राणीजी हैं उनका भी नाम लिस्ट में था। उनकी अर्जेन्ट नेचर ऑफ दी वर्क नहीं थी। इसलिए उनको एलॉट नहीं होकर अर्जेन्ट नेचर वालों को एलॉट हुई। ऐसी बात नहीं है कि मिनिस्टर को टोप प्रायोरिटी दी जाती है।

श्री हरदत्तसिंह : प्रायोरिटी किन किन को दी जाती है ?

श्री भीमसिंह: यह नेचर ऑफ दी वर्क पर डिपेन्ड करता है। आम तौर पर यह रखते हैं कि जिस जिस तरह से नाम आता है उस तरह से एलॉट की जाती है। उसमें नेचर ऑफ वर्क पर भी डिपेन्ड करता है। जैसे कोटा डैम बन रहा है वहां के इन्जीनियर्स को जरूरत थी और ज्यादा काम होता है तो देनी पड़ती है। इस तरह से टॉप प्रायोरिटी अर्जेन्सी ऑफ दी वर्क पर डिपेन्ड करती है। वैसे तो हरेक आदमी यही कहता है कि मेरा सबसे ज्यादा अर्जेंट वर्क है, he will not get top priority. It would depend upon the nature of work. Suppose there are 40 applicants तो ४० आदमियों को टोप प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं जब कि ५ ही गाड़ियां हैं। ४० को सप्लाई नहीं की जा सकती हैं पांच को ही दी जा सकती हैं। टोप प्रायोरिटी हरेक को नहीं दी जा सकती है। नेचर ऑफ दी वर्क की कम्पेरेटिवली जांच करनी पड़ती है। इसलिए नेचर आफ दी वर्क पर टाप प्रायोरिटी डिपेन्ड करती है। अगर नेचर ऑफ दी वर्क एम० एल० एज० का ऐसा है कि टोप प्रायोरिटी की जरूरत है तो उनको टोप प्रायोरिटी भी दी जा सकती है.। It would depend upon what is the nature of his work,

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जबकि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को टोप प्रायोरिटी दी जाती है तो एम० एल० एज० को कौनसी प्रायोरिटी देना चाहते हैं ?

श्री भीमसिंह : पार्लियामेंट के मेम्बर्स का तो पार्लियामेंट में जवाब दिया जा सकता है। वह मेरी जानकारी में नहीं है। अपने यहां के एम० एल० एज० और एम० पीज० मांगते हैं तो उनको दी जा सकती है गाड़ी स्टेट कोटा से। यह नहीं कहता कि गाड़ी नहीं देते हैं, लेकिन टोप प्रायोरिटी दी जायगी तो टोप प्रायोरिटी डिपेन्ड करेगी नेचर आफ दी वर्क पर।

श्री मानसिंह महार : किसी एम० एल० ए० को गाड़ी दी गई है ?

श्री भीमसिंह : एक एम० एल० ए० ने दरख्वास्त की थी उनको गाड़ी दे दी गई है।

श्री मानसिंह महार : नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष : नाम से कोई मतलब नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : उनको प्रायोरिटी आपने दी क्या ?

श्री भीमसिंह : एक एम० एल० ए० ने दर्ख्वास्त दी, उनको गाड़ी दे दी ।

श्री मानसिंह महार : कौन थे वे ? उन्होंने कहीं ब्लैक मार्केट तो नहीं कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्रियों की कहते कहते माननीय सदस्यों पर कहने लगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आदत है ब्लैकमेल करने की ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायात) : यदि लीडर ऑफ दी अपोजिशन को आपकी सरकार के विरुद्ध जनता को संगठित करने के लिए कार या जीप की आवश्यकता हो तो क्या उनको प्रायोरिटी मिल सकती है ?

श्री भीमसिंह : यह हाइपायेटिकल क्वेश्चन है । अगर वे एप्लाई करेंगे तो देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन ।

बारां का नया अस्पताल

६२०. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां के नये अस्पताल के निर्माण में अब तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(२) कितना काम शेष है और कब तक पूरा हो जायगा ?

(३) क्या इस भवन के लिए जो सीमेंट मंगाया गया वह पानी से भीग कर खराब हो गया ? यदि हां, तो कितनी बोरी सीमेंट की बिगड़ी व किसकी गलती से ? इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) फरवरी, १९६४ तक ४,६६,०००) रु० ।

(२) मुख्य भवन तथा निवास स्थान व अन्य संलग्न भवनों का निर्माण कार्य लगभग संपूर्ण हो चुका है । दरवाजे, शटर्स, बिजली, कुआ, टैंक आदि का कार्य प्रगति पर है। आशा है वर्ष १९६४-६५ में।

(३) लगभग ४०-५० बोरियां पानी से भीग गई थीं । वे खराब होने से पूर्व ही उपयोग में ले ली गई हैं।

श्री दयाचन्द सोन : यह काम ठेके पर हुआ है या अमानी में हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या काम ?

श्री दयाचन्द सोन : बिल्डिंग का काम हुआ है निर्माण का वह ठेके पर हुआ है या सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा अमानी पर हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ठेके पर ही हुआ होगा ।

श्री दयाचन्द सोन : हुआ होगा या हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ठेके से भी होता है और डिपार्टमेंट से भी होता है। आप पूछेंगे

(श्री हरिश्चन्द्र)
कि कौन सा काम किस तरह से हुआ है तो वह मैं बता दूंगा।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सच है कि श्री भंवरलाल सक्सैना ने इस बात की शिकायत की है कि इस काम के जो मस्टर रोल बनते हैं वे मस्टर रोल झूठे बनते हैं। उनमें १०-१२ आदमियों की झूठी हाजरी भरी जाती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

जयपुर आने पर टी० ए० व डी० ए०

६२१. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) [**श्री मथुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) द्वारा पूछा गया]:क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को राजकीय सचिवालय, जयपुर में माह में कितनी बार आना पड़ता है और माह में कितने दिन वे हैडक्वार्टर पर रहते हैं ?

(२) डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन दफ्तर के कर्मचारियों को सरकारी कार्य–वश जयपुर आने में गत वर्ष कितना टी० ए० और डी० ए० राज्य सरकार को देना पड़ा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (१) अप्रेल १९६३ से फरवरी १९६४ के अन्त तक अध्यक्ष, शिक्षा विभाग औसतन महीने में ५ दिन जयपुर में रहे और १९ दिन हैडक्वाटर पर रहे।

(२) शिक्षा विभाग कार्यालय के कर्मचारियों को सरकारी कार्यवश जयपुर आने में गत वर्ष ६२-६३ में १२,५६४·०८ रु० टी० ए० और डी० ए० के रूप में देना पड़ा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : डाइरेक्टर साहब को कितना देना पड़ा यहां आने--जाने का टी० ए०, डी० ए० ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह डाइरेक्टर साहब का इसमें नहीं आया। इसलिए अलग अन्दाजा नहीं लगाया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह जो १२ हजार रुपये आपने बताये हैं वह कर्मचारियों का था, उनके टी० ए०, डी० ए० का या डाइरेक्टर साहब का भी शामिल है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ठीक तरह से तो नहीं कहा जा सकता। उसमें कर्मचारियों का कहा है, अदर देन डाइरेक्ट ही समझना चाहिए।

प्रश्न संख्या ६२२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

लक्ष्मणगढ़-खेड़ली वाया कठूमर सड़क की मरम्मत

६२३. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ खेड़ली सड़क वाया कठूमर (अलवर) तमाम खराब हुई पड़ी है ?

(श्री नत्थोसिंह)

(२) क्या इस सड़क को सरकार ठीक कराना चाहती है और इस पर डामर डालना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी नहीं, कुछ मील खराब है।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है फिर भी मरम्मत की धनराशि से ३ मील में डामर करा दिया गया है और ३ मील का कार्य अब आरम्भ होने को है।

श्री नत्थोसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि वहां पर तमाम यातायात बन्द है। रोड़ी पत्थर और मिट्टी इतनी है कि उससे मोटर वालों को बड़ी दिक्कत होती है। सड़क बिल्कुल खराब हुई पड़ी है जिससे तमाम ट्रक और बसों को बड़ी परेशानी है।

श्री हरिश्चन्द्र : कठूमर और खेड़ली के बीच ८ मील है वह खराब है। उसका रिकार्पेटिंग हो रहा है।

श्री नत्थोसिंह : कठूमर से खेड़ली ८ मील है।

श्री हरिश्चन्द्र : कठूमर से खेड़ली ८ मील की सड़क खराब है तो उस पर रिकार्पेटिंग कर रहे हैं।

श्री नत्थोसिंह : इसको कराने की कोई सरकार की मन्शा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कह दिया कि मन्शा है और तीन मील हो चुका है और ३ मील और हो जायगा।

श्री नत्थोसिंह : कितने दिन में होगा ? कोई लिमिट भी होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : ३ मील हो गया है और ३ मील और करा रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : कठूमर कान्स्टीटुएन्सी रिज़र्व्ड कन्स्टीटुएन्सी है। कहीं माननीय सदस्य वहां के जंगल कटवाने की कोशिश में तो नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

भीनमाल से करड़ा व अरणा सांचोर सड़क पर यात्रियों की दिक्कतें

६२४ **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) [**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) द्वारा पूछा गया] क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीनमाल से करड़ा व अरणा होती हुई सांचोर जानेवाली सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है और वह वर्षा में बंद हो जाती है और रेती से भी रास्ता रुक जाता है जिससे जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ? क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): यह कच्चा मार्ग है और इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है। निश्चित नहीं कहा जा सकता अर्थाभाव के कारण।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि यह रूट रेतीला है और बरसात में बंद हो जाता है। यहां पर आवागमन के दूसरे साधन नहीं हैं। क्या सरकार ऐसे मामले पर विचार करने

Page No. 17

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

को तैयार है। यह बिल्कुल कच्चा रूट है। फंड्स उपलब्ध करके साल में कम से कम एक बार तो ऐसे रूट्स सरकार ठीक करायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं माफी चाहता हूं, नहीं करवा सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन टुकड़ों पर जहां रेत बहुत है, मोटरें नहीं चल पाती हैं, उनके लिये उपाय करने के बारे में विचार कर सकते हैं, कम खर्चे में ?

श्री हरिश्चन्द्र : पी० डब्ल्यू० डी० ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह पंचायत समिति के नीचे है और उनको इन कच्चे मार्गों के लिये फंड्स देते हैं

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायत समितियों को इस काम के लिये कोई पैसा नहीं दिया जाता है, इमर्जेन्सी के कारण बंद कर दिया है। यह रूट ५० मील लंबा है और १० महीनों से मोटरें आना–जाना बंद है। कोई ओपरेटर चला नहीं सकता। आप जानकारी करेंगे तो पता लगेगा कि करीब ६-७ हजार का खर्चा लगेगा-पूरा रूट ठीक करने में। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रश्न को गंभीरता से सोचे क्योंकि वहां और कोई साधन नहीं है। इसलिये इस रूट को चालू करें तो जनता को सुविधा मिले।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा कि अर्ज किया, पी० डब्ल्यू० डी० के मेन्टेनेन्स लिस्ट पर जो है उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार ले सकती है और कच्चे ट्रैक्स (tracks) राजस्थान में कई हैं उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार नहीं ले सकती। मगर ताहम भी प्रश्न के जरिये पूछें तो मैं सैटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं दे सकता। सारा मामला है, उस पर सोच कर, पूछ कर, कुछ कह सकता हूं।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी–१
(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन।

जयपुर–बीकानेर रूट पर बस स्टोपेज

६२६. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर-बीकानेर रूट का राष्ट्रीयकरण कब तक करने का राज्य सरकार इरादा रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर कई मुख्य २ गांवों में बस स्टोपेज की मांग एक लम्बे अर्से से की जा रही है ? यदि हां, तो फिर अब तक स्वीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बनिवाल) : (१) जयपुर-बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण १९६४-६५ में करने का विचार है।

(२) जी हां। इस विषय में आर० टी० ए० द्वारा ६-२-६४ को विचार किया जा चुका है, परन्तु अभी तक इसका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री फूलचन्द जैन : राष्ट्रीकरण करने का प्रश्न कबसे विचाराधीन है और कब तक इसका फैसला हो जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अप्रेल के पहले सप्ताह तक फैसला हो जायगा ।

श्री फूलचन्द जैन : बस स्टोपेज के बारे में एस० टी० ए० की मीटिंग में दो बार प्रश्न आ चुका है, उसके बावजूद भी डिले क्यों की जा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जब डिस्प्लेस्ड ओपरेटर्स को इस रूट पर डाला गया था तब उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें यह लिखा है कि १० जगह तक स्टोपेज रख सकते हैं । उन कंडीशन्स को वेव करने के लिये दूसरे बस ओपरेटर्स का ऐतराज आ जाता है ।

श्री फूलचन्द जैन : बस ओपरेटर्स की सुविधा के लिये बस चलाते हैं या जनता की सुविधा के लिये चलाते हैं ? नागोर से आसलसर तक बस चलती है और उसमें जो पेसेन्जर आते हैं उनको आसलसर पर आकर इस बस में बैठने की सुविधा नहीं मिलती है तो फिर किसकी सुविधा के लिये बसेज चलाई जाती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया है कि इस रूट पर जिन ओपरेटर्स को डाला उनके साथ जो बात तय हुई थी उनको वेव करने का अवसर नहीं है । जो छोटे बस ओपरेटर्स उधर से चलते हैं उनकी सुविधा को भी देखना पड़ता है ।

श्री फूलचन्द जैन : बस जनता की सुविधा के लिये चलाई जाती है या बस ओपरेटर्स की सुविधा के लिये । आपने उनके साथ एग्रीमेन्ट कर लिया लेकिन जयपुर बीकानेर के रूट पर बहुत से कस्बे पड़ते हैं और वहां के लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते तो बस चलाने से क्या फायदा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री फूलचन्द जैन : लोगों की ओर से मांग की जाती है, यह कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आर० टी० ए० की मीटिंग में इस पर विचार किया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक बार प्रश्न आया था उसमें फैसला नहीं हो सका । दुबारा विचाराधीन है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार को अधिकार नहीं है कि आर० टी० ए० को आदेश दे कि एक या दो महीनों में इसका फैसला करदे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सोचा जा सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

फेल हुए विद्यार्थी को पास करने के लिए सिफारिश

*२२७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि श्री प्रतापसिंह, पुत्र श्री किशोरीलाल सिंहजी, निवासी जगर चिनाटा, तहसील हिन्डोन में कक्षा ५

(श्री श्रवणलाल)
फैल हो चुका था ?

(२) क्या यह भी सच है कि प्रताप सिंह को पास करने के लिए एस० डी० आई०, हिन्डौन ने लिखित रूप में प्रधान अध्यापक श्री रामभरोसीलालजी गुप्ता, पाठशाला जगर चिनाटा को लिखा है कि श्री प्रतापसिंहजी को पास करदें ?

(३) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अगर आपने पास नहीं किया तो अपने आप को मोअत्तिल समझें ?

(४) क्या यह भी सच है कि उस अध्यापक ने पास करने से मना कर दिया ?

(५) क्या यह भी सच है कि प्रताप सिंह के पास न करने पर प्रधान अध्यापक का तबादला करीब २५ मील दूरी पर कर दिया गया ?

(६) क्या यह भी सच है कि उसकी एक साल की ग्रेड इन्क्रीमेंट भी रोक दी गई है ?

(७) क्या यह भी सच है कि श्री रामभरोसी, प्रधान अध्यापक की किसी भी प्रकार की गांव की तरफ से कोई शिकायत नहीं है ?

(८) क्या यह भी सच है कि एस० डी० आई० ने उनका व्यवहार खराब बतलाया है ?

(९) यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां। प्रधान अध्यापक का तबादला प्राइमरी पाठशाला, मालापुर से कर दिया गया जो कि चुनावटा से २० मील दूर है।

(६) जी हां।

(७) जी हां। रामभरोसे, प्रधान अध्यापक की किसी प्रकार की गांव की तरफ से कोई शिकायत नहीं है।

(८) जी हां।

(९) निरीक्षक, शिक्षा विभाग के पास न अध्यापक की ओर से और न विकास अधिकारी की ओर से ऐसी रिपोर्ट आई कि एस० डी० आई० श्री रतनलाल ने ऐसी बातें कीं। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बतलाया है प्रश्न ८, ९ में, जी हां, जी हां, तो फिर इस सम्बन्ध में जांच किस बात की की जा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच इस बात की की जा रही है कि विकास अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को पत्र द्वारा यह अधिकृत किया या आदेश दिया कि पांचवी क्लास के लड़के को पास कर दिया

Page No. 20

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जाय । यह हमारे विचार में उचित नहीं है और एस० डी० आई० ने भी इसकी सिफारिश की, प्रधानाध्यापक को मजबूर किया । यह सारी स्थिति इस तरह की है कि विकास अधिकारी और एस० डी० आई० किसी लड़के को पास कराने में ऐसी स्थिति पैदा करें, यह उचित नहीं मालूम होता है, इसलिये इसकी जांच की जा रही है ।

श्री श्रवणलाल : मैंने पहले भी इस संबंध में लिखित रूप में एस० डी० आई० का लिखित पत्र सदन में पेश किया था फिर भी मंत्रीजी यह फरमाते है कि जांच की जा रही है । यदि चाहें तो उसकी दूसरी कॉपी अब भी सदन में पेश कर सकता हूं।

दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से हमें कोई सूचना नहीं मिली । मैं इस संबन्ध में निवेदन कर दूं कि उन्होंने लिखित रूप में कहा है कि यह लड़का कक्षा पांच में ही रहना चाहिये क्योंकि छठी कक्षा के काबिल नहीं है । इसको ट्रू कोपी (True Copy) भी सदन को मेज पर रखता हूं ।

मंत्री महोदय ने एस० डी० आई० का व्यवहार खराब बतलाया है, उसके बारे में उन्होंने जो चरित्र खराब बताया है, इस संबंध में करीब करीब ७ सरपंचों का लिखित-प्रमाण पत्र सदन की मेज पर पेश कर रहा हूं........

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्यों रख रहे हैं मैंने तो 'जी हां' कहा है मान लिया है ।

श्री श्रवणलाल : आपने बताया कि जांच की जा रही है । क्या जांच की जा रही है ? अभी एक साल से उसकी रुकी हुई है, सालभर हो चुका है, जांच किस बात की कर रहे है ? प्रश्न का उत्तर भी जी हां में दे रहे है, सब बातों का सबूत आपके पास है फिर जांच किस बात की कर रहे है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, एक तो सबूत यहां है, एक रूल्स के अन्तर्गत, जो रूल्स के अनुसार जांच है उसकी कंपलाएन्स करते हुए प्राइमा फेसी एविडेन्स मिली है, विकास अधिकारी या एस० डी० आई० के सम्बन्ध में उनको फिर ऑपोरचुनिटी देकर जांच के द्वारा जो कुछ होता है वह किया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): केस बन गया तो उसके आधार पर आपने उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : किस आधार पर ?

श्री भैरोंसिंह: जब आप कहते है कि प्राइमा फेसी केस बना हुआ है तो फिर उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: एक विकास अधिकारी एवं एस० डी० आई० इसके अन्दर हैं । मैंने 'जी हां' कहा उसके आधार पर मैं प्राइमा फेसी मानता हूं। प्राइमाफेसी के बाद सस्पेन्शन के क्या रूल्स हैं ? किस ढंग से लागू होंगे ? उसको देखने के बाद सस्पेन्शन का प्रश्न आ जाता है ।

श्री भैरोंसिह: क्या आपके रूल्स प्राइमा फेसी केस बनने के बाद भी सस्पेन्शन करने में बाधक है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी होती हैं उसके बाद में सस्पेन्शन का प्रश्न आता है। ग्रोफ हैंड यह देखकर ग्रदेश नहीं दिया जा सकता। एस० डी० आई० और विकास अधिकारी विकास विभाग के अन्डर में हैं, दोनों का प्रश्न है, दोनों डिपार्टमेन्ट्स के बीच में आते हैं, तो सारा मसला सोच विचार के लिये सामने आता है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह माना जाय कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी अभी शुरू नहीं हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच से मतलब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से है।

श्री भैरोंसिह : आप कहते है कि प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है, उसके बाद केस बना है, कुछ न कुछ गलती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: प्राइमाफेसी मेरी मान्यता के अनुसार मैंने निवेदन किया है। इन्क्वायरी ऑफिसर के अनुसार क्या स्थिति है, एविडेन्स के आधार पर वही कह सकता है। मगर इन्क्वायरी आरम्भ है उसका मतलब है सस्पेन्शन वगैरह के सारे प्रश्न उसमें आते हैं।

श्री भैरोंसिह : क्या यह समझा जाय, जैसा आपने कहा, प्राइमा फेसी केस बन गया है, वह उस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है जो इन्क्वायरी ऑफिसर कर रहा है ? या प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि प्राइमाफेसी केस बन गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी मान्यता है। मेरी मान्यता इन्क्वायरी ऑफिसर की मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

श्री भैरोंसिह : उनकी मान्यता के आधार पर जवाब है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनकी मान्यता नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : फिर जवाब क्या दे रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो एविडेन्स देखी हैं उनके आधार पर कह रहा हूं, इन्क्वायरी ऑफिसर की मान्यता अलग है। मेरी मान्यता अलग है।

श्री भैरोंसिह : आप गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं, आप कहते हैं कि प्राइमा फेसी केस बन गया है; तो उसे सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता है जब कि अमूमन बाकी के केसेज़ में किया जाता रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्पोक्समैन तो हूं लेकिन इन्क्वायरी ऑफिसर अलग है।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेंट बोल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्क्वायरी आफिसर अन्डर सर्टेन रूल्स काम कर रहे हैं और इनके जुरिस्डिक्शन में बाधा नहीं डाल सकते। मैंने उत्तर दिया है, अपनी जानकारी के आधार पर दिया है उसका जुरिस्डिक्शन अलग है।

एक माननीय सदस्य : इन्क्वायरी ऑफिसर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्क्वायरी आफिसर ने चार्ज-शीट दे दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि फाइल देखी है, फिर जानकारी क्यों नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइल मेरे पास........

श्री भैरोंसिंह : मैं यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि फाइल देखी है और फाइल देखकर बताया है । तो फाइल देखकर बतायें कि चार्ज शीट दी है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइल से आप दूसरा मतलब समझ गये । फाइल से मतलब मेरी फाइल । मेरी फाइल से देख कर बताया है, उत्तर की फाइल से ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी फाइल में है। तो क्या यह जानकारी करने की कोशिश की थी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि इस अधिकारी को चार्ज शीट दे दी है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके बारे में समय नहीं मिल पाया, अध्यक्ष महोदय, कि जानकारी करूं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस मामला है। उप मंत्री ऐसी भाषा में बोल रहे हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने का विचार सरकार का नहीं है । इस चार्ज को एडमिट करने के बावजूद उस अधिकारी ने गलती की है । उसको इस प्रकार शील्ड करते हैं । आप इस प्रकार इवेज़िव रिप्लाई देकर अपने आपको संतोष दे सकते हैं, लेकिन हाउस में इस प्रकार का इवेज़िव रिप्लाई देकर नुकसान कर रहे हैं, वह शोभा नहीं देता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इन मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शुरू से लगा कर ६ क्वेश्चन तक 'जी हां' कहा है । यह इवेज़िव नहीं है। दूसरे, सदन को मैं विश्वास दिलाता हूं, सात दिन के अन्दर—क्या स्थिति है—इस पर पूर्ण रूप से सजग होकर व्यवस्था करूंगा कि ठीक तरह इन्क्वायरी चलाई जाय और उसका नतीजा निकले....

श्री भैरोंसिंह : यह इन्क्वायरी पड़ी कब से है, यह बता दीजिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह : कब से पड़ी है, गवर्नमेंट ने कब आदेश दिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि विकास अधिकारी आता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। दोनों डिपार्टमेंट रह कर इसका उत्तर देते तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते । मैं सदन की और आपकी चिन्ता को समझ रहा हूं । मैं सात दिन के समय के अन्तर्गत—यह स्थिति क्या है, इन्क्वायरी किस स्टेज पर है और उसका निर्णय भी - इन्क्वायरी के आधार पर निकलवा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Pardon.

श्री अध्यक्ष : विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस० डी० आई० का सम्बन्ध है, चूंकि शिक्षा विभाग का उससे संपर्क पडता है, इसलिए मालूम है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है, कि एस० डी० ग्रो० (विराम) बी० डी. ग्रो. के सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरो चल रही है या नहीं ?

श्री भैरोंसिह : यह बता दीजिये कि इन्क्वायरी ऑफिसर अपोइन्ट कब कर दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी नहीं है।

-- **श्री भैरोंसिह** : फिर गलत कैसे बोलते हैं ? आप यहां आये किस बात के लिए हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : अध्यक्ष महोदय, कभी कहते हैं, सात दिन में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब पूछा जाता है कि इन्क्वायरी कब इन्स्टीट्यूट की गई है तो कहते हैं उत्तर में—'जानकारी प्राप्त नहीं है'। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जानकारी क्या प्राप्त की है ? किन तथ्यों के ऊपर आप उत्तर देते हैं ? आप उत्तर देने में कंजूस हैं और मायूस हैं और उत्तर देते हैं वह प्लेजेन्टली वेग देते हैं। सब में हां-हां की झड़ी बांध देते हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा परिणाम ढप्पू, ज़ीरो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रयत्न किया है, जो डिसीजन है उनको लाने का। जो पूछा, उसका जवाब तैयार कराने का प्रयत्न किया है। अब जैसा माननीय सदस्यों ने इन्क्वायरी की है उसको सामने रख कर जल्दी इन्क्वायरी समाप्त कराऊंगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ): उप-मंत्री, शिक्षा, राजस्थान के हैं। वे कहते हैं कि आन्सर के आधार पर महसूस करते हैं कि केस बन गया है। अब वह केस न बिगड़ जाय, इसके बारे में एक्शन लिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप समझे नहीं हैं। माननीय भैरोंसिहजी समझ गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपसे ज्यादा समझदार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लीगल बेसिस से अन्डर रूल्स मेरा प्राइमाफेसी केस कह देना और आपका कह देना एवं इन्क्वायरी ऑफिसर का कह देना, भिन्नता रखते है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Therefore triangles are equal.

श्री फूलचन्द जैन : तथ्यों को दबाने की बात हो सकती है। बाकी उप–मंत्री जी महसूस करते हैं, यह गलत हुआ है, प्राइमा फेसी केस बन गया है। अब वापिस केस न बिगड़े इसकी कोशिश की जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, can I impose my own will ? मैं कार्यवाही करने के लिए बैठा सकता हूं। आप रूल्स का मुलाहिजा फरमायें।

श्री अध्यक्ष : We only wish that you take this resolve to other spheres also.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एस० डी० आई० के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, वह आपके डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ।

सन्डरसन इन्डस्ट्रीज, कोटा

६२८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:

(१) सन्डरसन इन्डस्ट्रीज 'कोटा कब से आरम्भ हुई ?

(२) उक्त फैक्ट्री को कब-कब कितना-कितना व किस-किस वस्तु का कोटा दिया गया ?

(३) उक्त फैक्ट्री का पर्पज कब-कब व क्यों बदला गया ?

(४) यूटिलाइजेशन कोटा कब-कब किसने चैक किया ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) सन्डरसन इन्डस्ट्रीज, कोटा ने कार्य मई, १९६२ में आरम्भ किया ।

(२) उक्त फैक्ट्री को आज तक जो भी कोटा दिया है उसकी सूची संलग्न है ।

(३) इस फैक्ट्री को हॉस्पिटल एप्लाएन्सेज जैसे कि Incubators, Strubzer, Serological Instruments, Drying Chambers, Auto Claves, S. S. Hospital ware Hospital फर्नीचर बनाने के लिए शैड दिया गया था, अगस्त, ६२ में हॉस्पिटल फर्नीचर के साथ साथ स्टील व एल्यूमिनियम फर्नीचर बनाने की आज्ञा भी दी गई ? जिस पर्पज के लिए शैड दिया गया था अर्थात हास्पिटल एप्लाएन्सेज बनाने हेतु, फैक्ट्री, वह कार्य कर रही है, अन्य कार्य उसके अलावा किये जा रहे हैं ।

(४) यूटिलाइजेशन कोटा समय-समय पर और खास कर आयात की हर प्रार्थना पत्र को विचारते समय पिछला यूटिलाइजेशन व्यवस्थापक औद्योगिक सम्पदा द्वारा कराया जाता रहा है। (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जब आरम्भ के अन्दर इस फैक्ट्री को केवल फर्निचर हॉस्पिटल का बनाने को शैड अलॉट किया गया तो सरकार को बाद में क्या आवश्यकता महसूस हुई कि स्टील, एल्यूमिनियम फर्निचर बनाने के लिए शैड दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : इसमें दिक्कत की बात नहीं है, एक फैक्ट्री को एक शैड दिया जाता है । थोड़े दिन बाद कहे कि वह दूसरा काम भी करना चाहता है, उसकी क्षमता हो और शैड खाली पड़ा रहे तो उसमें क्या दिक्कत की बात हो सकती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस फैक्ट्री ने जो कोटा प्राप्त किया था क्या उसका चैकिंग, जिस समय नया कोटा देने लगे, उस समय किया, किया या नहीं कि पहले जो कोटा दिया उसका प्रोडक्शन हुआ है या नहीं ?

प्रश्न संख्या ६२९.

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६३०

श्री नत्थीसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३१

श्री रामानन्द अग्रवाल ।
(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्षमहोदय !....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं, समय समय पर कोटा देते हैं उसको चैक करते हैं कि माल का प्रोपर युटिलाइजेशन हुआ या नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे सदन को बता सकेंगे कि अमुक अमुक सामान कितनी मात्रा में प्रोवाइड किया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन ।

ग्रामीण परियोजनाएं–जिला चूरू

६३२. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत क्या चूरू जिले का राज्य सरकार द्वारा सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ।

(२) प्रोजेक्ट एरिया में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्या राज्य सरकार विशेष सुविधाएं देना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद) (१) सर्वे सरकार द्वारा कराया जा चुका है । सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ग्रामीण औद्योगीकरण परियोजना क्षेत्र में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही हैं :–

१. कन्ट्रोल्ड एण्ड स्केयर्स मेटीरियल के अलॉटमेन्ट ।
२. रियायती दर पर ऋण ।
३. पॉवर पर सब्सिडी ।
४. आधुनिक औजारों का वितरण ।
५. उद्योगों के लिए लीज पर भूमि ।
६. दस्तकारों को फैक्ट्रियों में तकनीकी शिक्षा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है, मैं जानना चाहता हूं कि जो सुविधायें देते हैं यह परियोजना चालू होने के बाद अब तक किन किन को दी गई है और जिला चुरू के कितने लोगों ने, कितनी इन्डस्ट्रीज ने फायदा उठाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : सर्वे रिपोर्ट की कॉपी का प्रश्न है, वह मैंने सदन की मेज पर रख दी है । माननीय सदस्य को मैं अलग से दे दूंगा ।

दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, अब तक ५६ हजार का ऋण चूरू जिले में

(श्री चन्दनमल वैद)
दिया जा चुका है, पॉवर पर सब्सिडी साढ़े सात हजार दी जा चुकी है, ६ हजार के इम्प्रूव्ड टूल्स बांटे जा चुके हैं और आठ जगह पर कॉमन वर्किंग शैड्स बनाये जा चुके हैं। कन्ट्रोल्ड एण्ड scarce मैटीरियल का मामला चल रहा है। ४३ ट्रेनीज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पांच ट्रेनीज जयपुर में Leather ट्रेनिंग में शिक्षा पा रहे हैं। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, वलेज इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से ५५० आदमियों को एम्पलायमेन्ट क्रियेट हो चुकी है।

(९.०० म० पू०)

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण परियोजना है, इसमें मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं और जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको जानकारी देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? क्या यह भी सही है कि अभी तक कमेटी के सदस्य हैं उनको भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : इस कमेटी की बराबर मीटिंगें होती रही हैं। इसके चैयरमेन हैं वे बराबर देहातों में जाकर चक्कर लगा कर फिरते रहे हैं। चूरू जिले में ऊन ज्यादा होती है इसलिये ऊन Carding मशीन का इन्तजाम किया गया है ताकि वह कार्ड करके वीवर्स को दे दी जा सके। यह कहा गया कि इसकी कई कमेटी के सदस्यों को जानकारी नहीं है, इसके लिये यही कहूंगा कि कोई सदस्य अगर यहां पर नहीं रहते हों और कोई बात होती है तो उसका कुसूर, माननीय अध्यक्ष, हमारा तो नहीं हो सकता।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : प्रोजेक्ट एरिया में जो भी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिये यह कमेटी सिफारिश करेगी उसको सरकार की तरफ से माना जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद: जी हां।

एक माननीय सदस्य : नागोर जिले में फैक्ट्री लगाने की बात पूछता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : चूरू का प्रश्न है। इसके लिये पूछते तो बता देता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने रुपयों का लोन बिना डाइरेक्टर को पूछे सेंक्शन कर सकती है ?

श्री चन्दनमल वैद : अभी तक यह कमेटी ५६ हजार तक दे चुकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्रश्न यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया यह कमेटी दे सकती है।

श्री चन्दनमल वैद : जितना डाइरेक्टर दे सकता है, उतनी धनराशि का लोन दे सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि अभी तक रॉ मेटीरियल का कोई कोटा इस कमेटी को अलोट नहीं किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : कमेटी की जितने कोटा के लिये सिफारिश आती है उस पर कोटा दिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कमेटी के डिस्पोजल पर यह नहीं छोड़ा है कि वह कोटा दे सके।

श्री चन्दनमल वैद : उनकी जो रिकमन्डेशन आती है उसके अनुसार कोटा दिया जाता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि कमेटी के पास कोटा रखने के लिये और कमेटी के डिस्पोजल पर रखने के लिये सिफारिश की है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : Next ।

तहसीलों में हायर सैकन्डरी स्कूल

६३३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहां हायर सैकन्डरी स्कूलें नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) सरकार का उक्त तहसीलों में हायर सैकन्डरी स्कूलें खोलने का कब तक विचार है ?

(३) यदि अर्थाभाव के कारण नई हायर सैकन्डरी स्कूलें खोलना सम्भव न हो तो क्या ऐसे जिलों में जहां अनुपात से ज्यादा हायर सैकन्डरी स्कूल खुल चुके हैं उनका स्थानान्तरण उपरोक्त तहसीलों में करने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य):जिन तहसीलों में हायर सैकन्डरी स्कूलें नहीं हैं वे इस प्रकार है :

(१) साम (जैसलमेर)
(२) सायला (जालोर)
(३) रीयां (नागौर)
(४) रोहट (पाली)
(५) सहाडा (भीलवाड़ा)

(२) सन ६४-६५ के बजट में माध्यमिक शालाओं को हाई व हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(३) ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: कुल कितनी तहसीले हैं जिनमें हायर सैकन्डरी स्कूलें नहीं हैं ? आपने सूची नहीं दी है इसलिये मालूम नहीं पड़ता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६

एक माननीय सदस्य : छठी का नाम नहीं आया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो लिस्ट दी है उसमें कोलायत का नाम नहीं है ? आप बताने की कृपा करेंगे कि कोलायत में हायर सैकन्डरी स्कूल कब खुली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: कोलायत में अभी नहीं खुली है, वहां हायर सैकन्डरी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: उसका लिस्ट में नाम तो नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: भूल से रह गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : निवाई तहसील का नाम भी इसमें नहीं है । वहां पर भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप अलग से पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया: मैंने कई दफा अपने भाषणों में आपको इसके लिये जानकारी दी है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, और भी कुछ तहसीलों के नाम शेष रह गये हैं और वे इसमें नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: संभव है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: अध्यक्ष महोदय, इन डिप्टी मिनिस्टर को एक पोर्ट फोलियो और प्रदान कर दिया जावे और वह पोर्ट फोलियो हो 'टालू'।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: क्या माननीय मंत्री यह उत्तर जानकारी करके दे रहे हैं या राम भरोसे ही कहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो सूचना मुझे मालूम थी वह मैंने आपको दी और ऑफिस की कुछ गलती रही है तो मैं जानकारी करके............

श्री अध्यक्ष: आप इसकी जांच करके वापिस बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जावे क्योंकि राजस्थान में अभी बीसियों तहसीलें ऐसी हैं जहां हायर सैकन्डरी स्कूलें नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं खुद भी निवेदन करना चाहता था कि इसको पोस्टपोन कर दिया जावे।

एक माननीय सदस्य: इसके लिये तारीख तय कर दी जावे कि इसका उत्तर उस दिन दिया जावेगा, अन्यथा सैशन समाप्त हो जावेगा और उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसको नेकस्ट वीक में ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : Yes next week में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह तो एक उड़नी बीमारी हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह छूत की बीमारी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना रह गया है।

श्री अध्यक्ष: कौनसा प्रश्न है, आप नम्बर बता दें ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: प्रश्न संख्या ६०९।

एयर कन्डीशन्ड बस

६०९. **श्री मानिकचन्द सुराणा**(कोलायत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में इन्टक अधिवेशन के समय राजस्थान रोडवेज

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
की एयर कन्डीशन्ड बस इन्टक के डिस्पोजल पर रखी गई थी ? यदि हां, तो प्रतिदिन उसका क्या किराया चार्ज किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बस इन्टक के प्रतिनिधियों के माल ढोने के काम में ली गई ?

(३) क्या उक्त बस किसी निर्धारित किराये पर राज्य के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है ?

(४) क्या उक्त बस राज्य के किसी भी अन्तर-राज्यीय रूट पर लगाई हुई है ? यदि हां, तो किस तारीख से व किस रूट पर ? उसकी ग्रौसत माहवारी ग्रामदनी क्या है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां। उसका किराया १०० रुपये प्रतिदिन की दर से लिया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी हां। तारीख २ मई, सन् १६६३ ई० से जयपुर, दिल्ली, ग्रागरा, जयपुर त्रिकोणात्मक रूट पर सप्ताह में दो बार प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को देहली से चलती है। इसकी ग्रौसत मासिक ग्रामदनी करीब ७,५००) रु० है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसकी कितनी ग्रामदनी है ग्रौर इन्टक से ग्रापने कितना रुपया लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी ग्रौसत मासिक ग्रामदनी करीब ७,५००) रु० है ग्रौर इन्टक से १००)रु० प्रति दिन के हिसाब से लिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब ग्रौसत ग्रामदनी २५०)रु० एक दिन की होती है तो क्योंकि इन्टक कांग्रेस को फेवर करती है इसलिये उनको १५०)रु० रोज का घाटा उठा कर राज्य सरकार ने उनको एयर कन्डीशन्ड बस किराये पर दी। ऐसी छोटी छोटी बातों में सरकार उनको फेवर करती है, इसी से तो स्पष्ट रुप से पर्दाफाश होता है।

श्री अध्यक्ष : यह भी तो उत्तर दिया गया है कि ग्रन्य व्यक्ति को भी किराये पर दी जाती है।

श्री रामकिशन (वैर): एयर कन्डीशन्ड में कौन बैठते हैं ? ग्रमीर लोग ही बैठते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस तरह का एलिगेशन लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि (२) में मैंने स्पष्ट तौर से बताया है कि दूसरों को भी दी जाती है ग्रौर इसके रेट निर्धारित हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रगर कोई प्राइवेट व्यक्ति ले तो इसकी रोजाना की रेट क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ग्रगर वह रूट पर नहीं हो तो निर्धारित रेट से किराये पर दी जा सकती है। रु० ३॥) प्रति मील के हिसाब से कुछ सेक्टर हैं।

श्री रामकिशन : यह तो जयपुर का प्रश्न है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जयपुर में रु० १००) प्रति दिन या ३।।) रु० प्रति मील जो भी ज्यादा पड़े और दिल्ली में रु० २००) प्रति दिन के हिसाब से और दिल्ली के बाहर ले जावे तो रु० ५००) अगर यह फ्री हो और रूट पर न हो तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये रूल्स इन्टक के अधिवेशन के बाद में हुए या पहले से ही थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले से ही थे जबसे यह शुरू हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जयपुर में देते हैं तो घाटे का काम है; खास तौर से मैं यह कहूंगा कि जब उसकी एवरेज रु० २५०) रोजाना आती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : घाटे का किस तरह से हो सकता है। यही रेट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): हम आपको दिला देते है, आप अपने रिश्तेदारों को छुट्टी के रोज घुमा लायें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे रिश्तेदार तो आप ही है ? आपको ही घुमा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अदालतों में रजिस्टर्ड विवाह एवम् तलाक के मामले

२११. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सन् ५८ से अब तक राज्य में शादी अदालतों द्वारा कितने विवाह रजिस्टर्ड ए हैं ?

(२) सन् ५८ से अब तक राज्य की शादी अदालतों में अन्तर्जातीय विवाह कितने रजिस्टर्ड हुए हैं ?

(३) सन् ५८ से अब तक तलाक के कितने मामले राज्य की अदालतों में आये हैं और तलाक का मुख्य कारण क्या था ?

(४) क्या सरकार अन्तर्जातीय विवाह-वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) सन् १९५८ से राज्य में शादी अदालतों द्वारा ९८ विवाह रजिस्टर्ड हुए हैं।

(२) सन् १९५८ में राज्य की शादी अदालतों में ४९ अन्र्तजातीय विवाह रजिस्टर्ड हुए हैं।

(३) १९५८ से १९६३ तक तलाक के ७५६ मामले राज्य की अदालतों में आए हैं। तलाक के मुख्यतया कारण व्यभिचार, त्याग देना, निर्दतया, दूसरी शादी, नामर्दगी, धर्म परिवर्तन, दो पत्नियां रखना, लिंग सम्बन्धी बीमारियां एवं न्यायलय की आज्ञा की (डिक्री) अवहेलना आदि है।

(४) जी नहीं।

राजस्थान दलित वर्ग सं

२१२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में राजस्थान दलित वर्ग संघ के नाम से कोई संस्था है ? यदि हां, तो वह कब से कार्य कर रही है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) राज्य सरकार इस संघ को कितना रुपया सालाना सहायता देती है और वह सहायता किस कार्य में खर्च होती है ?

(३) इस संघ के बनने से पिछड़े हुए लोगों को कितनी और क्या क्या मदद मिली ? संघ ने अब तक क्या कार्य किया है ?

(४) क्या सरकार को संतोष है कि इस संघ को सरकार की ओर से जितनी आर्थिक मदद मिलती है उसका सही उपयोग हरिजनों के कल्याण के लिये होता है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, इस संस्था की स्थापना सन् १९४७ में हुई थी और तभी से कार्य कर रही है।

(२) राज्य सरकार इस संघ को वास्तविक खर्चे का ७५ प्रतिशत अनुदान प्रतिवर्ष सहायता के रूप में देती रही है। सूचना संलग्न है। यह सहायता संस्था द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु किये जाने वाले प्रचार एवं प्रकाशन पर खर्च की जाती है।

(३) पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को स्कूल में भरती करवाना, उनसे छात्रवृत्ति के फॉर्म आदि भरवाना, हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश करवाना, होटलों में प्रवेश करवाना, पिछड़ी जातियों से बेगार लेने की प्रथा बन्द करवाना, हरिजनों एवं सवर्णों के झगड़े निपटवाना, हरिजनों को प्लॉट एवं जमीन दिलवाना आदि कार्य संघ द्वारा किये गये हैं।

(४) इस संस्था द्वारा जो खर्च किया जाता है उसका ऑडिटेड स्टेटमेन्ट प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि संस्था हरिजनों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है।

कुटीर उद्योग व कृषि के लिए बिजली–धरियावद

२१३. **श्री उदयलाल धाबिया** (लसाड़िया): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जिला उदयपुर में बान्सी-बोहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास से होकर बिजली की लाइन वाया कानोड़ा, भीण्डर, खरोदा, भटेवरा की तरफ गई है ?

(२) क्या बान्सी स्टेशन से केवल १६ मील धरियावद कस्बा में कुटीर उद्योगों के लिये एवं किसानों के खेतों के लिये बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है ?

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी, कानोर और भीण्डर तक ३३ के० वी० बिजली की लाइन है जो बान्सी बोहेड़ा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। यह लाइन भटेवरा की तरफ नहीं गई है।

(२) इसकी अभी कोई योजना नहीं है।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स

२१४. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कहां कहां बनाए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(उमरावसिंह ढ़ाबरिया)

(२) क्या यह सही है कि इनमें शैड बनाये गए हैं उनमें से आधों में भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं ?

(३) सरकार ने इन शैडों पर कुल कितनी रकम खर्च की है तथा सरकार को इनसे अब तक प्रति वर्ष कहां कहां से कितनी रकम किराये के रूप में प्राप्त हुई है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने इन पर जितनी रकम खर्च की है उसके एवज में सरकार को इनसे ३ रुपया प्रति सैकड़ा भी रिटर्न नहीं मिल रहा है ?

उत्तर

(१) चाही गई सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) अब तक इन शैडों के बनाने पर रु० ७२,२३,६२१ लाख रकम खर्च हुई है । अभी तक रु० ४,५२,६५१ किराये के वसूल हुए हैं । विवरण तालिका के कॉलम नं० ५ में दिया हुआ है ।

(४) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

निजी उद्योगों के लिये ऋण

२१५. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में निजी उद्योगों को रु० १०,०००) या दस हजार रुपयों से अधिक के कितने और कहां कहां के उद्योगों को ऋण दिया गया है ? उद्योग, उद्योग-पति और स्थान सहित सूची लिखित में दी जावे ।

(२) इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं और उसकी पूरी पूरी जांच कर ली गई या नहीं ?

उत्तर

(१) जिन उद्योगों को ऋण दिया गया है उसकी सूची संलग्न है । इस सूची में रु० १०,०००) व उससे अधिक के ऋण भी सम्मलित हैं ।

(२) जिनको ऋण दिया गया है उनसे सदुपयोग की रिपोर्ट (युटिलाइजेशन रिपोर्ट) मांगी जाती है । यदि समयानुसार ऐसी रिपोर्ट्स प्राप्त नहीं होती हैं तो पार्टीज के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मांगरोल से गणेशगंज तक सड़क

२१६. श्री. लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में बारां से खातोली तक बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क पर मांगरोल से गनेशगंज तक कच्चा १५ मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है ?

Page No. 33

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(३) क्या यह सच है कि इस १५ मील टुकड़े को पक्का बनाने की स्वीकृति दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो चुकी थी ?

(४) अगर हां, तो कब तक इसका कार्य प्रारम्भ होगा और अब तक इसका कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

उत्तर

(१) बस चलती होगी ।

(२) जी हां।

(३) जी हां, लगभग द्वितीय योजना के अन्त में।

(४) आशा है, १९६४-६५ में अर्थाभाव के कारण ।

यात्री बसों के व ट्रक्स के परमिट

२१७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) आर० टी० ओ०, जयपुर द्वारा सन् १९६०-६१ व १९६१-६२ व १९६२-६३ व १९६३-६४ में मैसर्स मालिकराम कालड़ा, मैसर्स कालड़ा ट्रान्सपोर्ट कं० व अशोक गुड्स ट्रान्सपोर्ट व ओमप्रकाश मालिकराम को किन २ रूट्स पर किस किस नम्बर की यात्री बसों तथा ट्रक्स के परमिट दिये गये और कब कब ?

(२) क्या यह सही है कि आर० टी० ओ०, जयपुर ने श्री मालिकराम कालड़ा को ब्लैक लिस्ट किया था ? यदि हां, तो कब और क्यों और कितने समय के लिये ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में परमिट देते समय प्रश्न (१) में वर्णित पार्टियों से इन्कम टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट नहीं लिये गये ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो किस किस परमिट के लिये यह सर्टिफिकेट कब कब लिया गया ?

(४) क्या आर० टी० ओ० के समक्ष श्री मालिकराम के विरुद्ध परमिटों के बेचने अथवा खरीदने की शिकायतें आई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) इन उपरोक्त पार्टियों को किस किस रूट के नेशनेलाइज़ होने के कारण कितनी कितनी बसों का किस किस आल्टर्नेटिव रूट्स पर कब कब परमिट दिया गया ? कृपया यह बतायें कि जिन परमिट्स की एवज में आल्टर्नेटिव रूट्स दिये गये उन परमिट्स की अवधि परमिट मंजूर करते समय आर० टी० ओ० द्वारा कितनी कितनी निर्धारित की गई थी ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) जी नहीं ।

(३) परमिट देते समय इन्कम टेक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट लेने का कोई नियम नहीं है ।

४. परमिट बेचने–खरीदने संबंधी एक शिकायत सन् १९६३ में आई है, जिसकी जांच की जा रही है ।

(५) उपरोक्त पार्टियों में से केवल मालिकराम कालड़ा को परमिट एक तो

(यातायात मंत्री)

जयपुर—लोहारू और दूसरा जयपुर-पिलानी मार्ग पर दिये गये। ये परमिट १४-३-६२ और ५-११-६३ को जयपुर-अजमेर व जयपुर टोंक—देवली रूटों के बजाय दिये गये। पहिले परमिट की अवधि तीन साल की और दूसरे की अवधि एक साल ६ महीने और पन्द्रह दिन की है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिय)

(६.१० म० पू०)

राजस्थान लोक सेवा आयोग के तेरहवें वार्षिक प्रतिवेदन (१९६२-६३) का उपस्थापन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक), व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(६.११ म० पू०)

माननीय सदस्य, श्री मान्धातासिंह का स्पष्टीकारक वक्तव्य

श्री मान्धातासिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, तारीख १८ मार्च को इस सदन में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ पर कुछ आरोप लगाये थे। उस समय वे आरोप स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने केवल सदन में एक फटा हुआ कागज जो चिपकाया गया था वह पेश किया था और कहा था कि किसी ने रिश्वत ली है। मेरे ऊपर डाइरेक्ट आरोप नहीं होने के कारण मैंने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। न वह कागज ही मुझे याद था, क्योंकि सरकारी मुलाजमत के दौरान में सैकड़ों कागज रोज निकलते हैं। सब कागजात के बारे में पूरा ध्यान रहना मुश्किल है। उस कागज के बारे में मालूमात करके दूसरे रोज ही मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं इस सम्बन्ध में पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहता हूं। मुझे आज मौका मिला है, अतः मैं आज इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इससे पहले बीच में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ इस बारे में प्रेसेज़ में निकला वह डिफेमेटरी तौर पर था, उसका निराकरण करना मेरा फर्ज समझ कर मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना आवश्यक समझता हूं।

यह जो कागज पेश किया गया उसका मामला यह था कि सन् ६३ में मैं राजस्थान पंचायत सर्विस कमिशन का सचिव था और उस समय किसी ग्राम सेवक का तबादला उनियारा, टोंक जिले से सवाई माधोपुर जिले में हिण्डौन में करने के लिये एक सिफारिश आई थी। उस आयोग का यह नियम है कि वह आयोग कोई तबादले की आज्ञा नहीं दे सकता, बल्कि सिफारिश करता है। एक नियम आयोग ने और बना रखा है कि किसी ग्राम सेवक का तबादला उसकी घरू पंचायत समिति में नहीं हो सकता, होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। इस ग्राम सेवक ने अपनी घरू पंचायत समिति में तबादला कराना चाहा। आयोग का जो आदेश हुआ वह हस्ब मामूल यह आदेश हुआ कि उसका तबादला होम डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है, अलावा उसकी घरू

(श्री मान्धातासिंह)

पंचायत के जो हिण्डौन थी। यह आयोग का आदेश था, सचिव आदेश नहीं देता, सचिव का कार्य केवल आयोग के आदेश के तहत आज्ञा जारी करना था। मैंने नोटिस किया कि उसका तबादला हिण्डौन ही किया जा रहा है, जो उसकी घरू पंचायत समिति है और यह आयोग के आदेश के बिल्कुल विपरीत था? वैसे सैकड़ों कागज हस्ताक्षर के लिये आते हैं, इस कागज पर भी हस्ताक्षर हो गये, पर हस्ताक्षर करते ही मैंने देखा कि इसका ट्रान्स्फर होम पंचायत समिति में हो रहा है, जब कि आयोग के आदेश हैं कि होम पंचायत समिति में तबादला नहीं किया जा सकता, मैंने उसी समय ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को बुला कर कहा कि यह कागज डेस्ट्रोय कर दिया जाय और दूसरा ऑर्डर तैयार करके लाया जाय जिसमें स्पष्ट लिखा जाय कि इसका तबादला सवाई माधोपुर जिले में अलावा हिण्डौन के किया जाता है। दूसरा कागज जारी हुआ और यह कागज ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास चला गया। अब मैं यह नहीं कह सकता कि वह कागज नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के पास कैसे पहुंचा।

एक आरोप उन्होंने और लगाया था। वह यह था कि एक दूसरा ग्राम सेवक का स्थानान्तरण सिरोही से सवाई माधोपुर जिले में बोंली में हो गया; पर उसका हिण्डौन नहीं हुआ। इसके लिये मैं यह निवेदन करूं कि बोंली उसकी घरू पंचायत समिति रेकार्ड के अनुसार नहीं थी। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य का यह कथन है कि उसकी घरू पंचायत समिति बोंली है, पर रेकार्ड में वह नहीं होने से आयोग को पता नहीं चला और उसका स्थानान्तरण बोंली हो गया। पर चूंकि यह ग्राम सेवक जहां तबादला चाहता था अपनी होम पंचायत समिति हिण्डौन में, जो आयोग के नियम के विपरीत होने के कारण नहीं हो सका, तो इस कारण मुमकिन है कि उसने यह गड़बड़ की। मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि आयोग के ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का भी इसमें हाथ था, उसने गलत आज्ञा हिण्डौन के लिये पेश की, जिस पर गलती से मेरे हस्ताक्षर हो गये, पर मेरे सामने ये फैक्ट्स आते ही उस कागज को मैंने ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को दे दिया और दूसरी आज्ञा जारी कराई। बाद में उस आज्ञा को हिफाजत से रखा गया और अब उसको सदन में पंहुचाया गया। मैं जब विरोधी दल से विजयी होकर यहां आ गया तो मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिये यह कार्यवाही की है, वर्ना मैं समझता हूं, सरकारी पक्ष में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि मैंने सर्विस काल में कितनी ईमानदारी से कार्य किया, मेरे विरोध में जितने मंत्रीगण रहे उन्हें भी कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी ईमानदारी के बारे में वे शंका कर सकें।

एक आरोप मुझ पर यह लगाया कि सरकारी मुलाजमत छोड़ कर चुनाव लड़ा और यहां आ गया। मैं समझता हूं कि भारत के हर एक नागरिक को संविधान के अनुसार अधिकार है कि वह सर्विस छोड़ कर चुनाव लड़ सकता है। संविधान में केन्डिडेट की यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है।

अब सरकारी मुलाजमत छोड़ कर मुझे क्यों आना पड़ा, इसके कारण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी कतई मन्शा सरकारी मुलाजमत छोड़ने की

Page No. 36

(श्री मान्धातासिंह)
नहीं थी, पर किन कारणों ने मुझे मुलाजमत छोड़ने को मजबूर किया ....।

श्री अध्यक्ष : वह इस एक्स्प्लेनेशन से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं है, तो भी वेदना भरा मामला सुन लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका एक्स्प्लेनेशन उस पत्र के बारे में है, अतः पत्र के बारे में ही बात कीजिये।

श्री मान्धातासिंह : मैं संक्षेप में कहूंगा। आज से २० साल पहिले जयपुर स्टेट के समय में मैंने सरकारी मुलाजमत में प्रवेश किया। उस समय मेरे जैसे जागीरदार कभी सरकारी मुलाजमत में नहीं घुसते थे, पर एम० ए०, एलएल० बी० पास करने के बाद मैंने स्वेच्छा से सरकारी मुलाजमत शुरू की, महज इस वजह से कि हर व्यक्ति को काम करना चाहिये, अपनी पैतृक सम्पति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। मैंने काफी कार्य किया, राजस्थान भर में घूमा। मैं समझता हूं, मैंने काफी ईमानदारी और दिलचस्पी से काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार, जिसे सुखाड़िया-मेहता सरकार कहते हैं, जब से यह सरकार आई तब से मेरे बुरे दिन आये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस स्थिति को और ज्यादा विषम नहीं बनाये और मैं समझता हूं यह सब रिलेवेन्ट नहीं है। जो कागज सदन में पेश किया गया उसके सम्बन्ध मे ही कहिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री मान्धातासिंह : मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगाते तो मैं नहीं कहता, पर मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया है सरकारी नौकरी छोड़ कर चुनाव लड़ा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पर जो आरोप लगाया गया है उसी के सम्बन्ध में कहें, और बातें कहने के लिये और बहुत से मौके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जब यह आरोप लगाया है तो यह बताना आवश्यक है कि सरकारी नौकरी छोड़ कर चुनाव लड़े तो क्यों लड़े ?

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में, किस आरोप के खण्डन में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आरोप लगाया गया कि इतने वर्षों से सरकारी नौकर थे। जब तक सरकारी नौकर थे सरकार ने उन पर आरोप नहीं लगाया, उनको प्रोटेक्शन देती रही, सरकार की नौकरी छोड़ कर अलग हो गये तो आरोप लगा दिया। सरकार इस प्रकार के अनियमित कार्यों को जब तक वे सर्विस में रहे प्रोटेक्शन देती रही।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : पहले यह वक्तव्य खत्म होने दीजिये।

श्री मान्धातासिंह : अध्यक्ष महोदय, तो इसका कारण मैं यह मानता हूं कि मेरे एक रिश्तेदार इस सदन में बैठते हैं,

(श्री मान्धातासिंह)
वे हैं जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व यहां मौजूदा सरकार के खिलाफ यह आरोप लगाया कि यह सरकार मेवाड़ी और मेवाड वालों सुखाड़िया-मेहता की सरकार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस वक्त वही कहा जाना चाहिये जो रेलेवेन्ट है। भाषण के लिये और मौके आयेंगे उस समय कह सकते हैं। इस समय जो बात सदन के समक्ष है उससे सम्बन्धित बात ही कहें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि और भाषण के दौरान में जो यह सब बातें कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। इस समय इससे रेलेवेन्ट बात ही कही जाय नहीं तो इस तरह की परम्पराएं हाउस में हो जायेंगी।

श्री मान्धातासिंह : मुझे यहां बैठे हुए महीना भर हो गया, पर यह आरोप नहीं लगाया गया तब तक मैंने कुछ नहीं कहा....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। He does not mean the Government.

श्री मान्धातासिंह : तो उन माननीय सदस्य ने इस सरकार पर यह आरोप लगाया तो सरकार ने सोचा कि उन माननीय सदस्य का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, परन्तु मैं उनका ब्रदर इन ला सर्विस में हूं इसलिए मेरे खिलाफ कार्यवाहियां करनी शुरू कीं। हर तरह से मुझे परेशान किया गया। राजस्थान में दूर से दूर जगह जैसलमेर, नागौर वगैरह मेरा स्थानान्तरण किया गया।

इसके अलावा मुझे माली नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। मैं ए० डी० एम० सीकर में था तब ×××× मैंने उनको कहा कि यदि इस किस्म की ××××

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I strongly object to this. यह इस तरह की परम्परा है जिसके बारे में अगर अभी रोक नहीं लगाई गई तो बहुत बुरी परम्परा होगी।

श्री मान्धाता सिंह : सत्य बात मैं कह रहा हूं ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: व्यक्ति जो सदन में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बातें न कहीं जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उनकी चेयर तो सदन में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: चेयर की बात नहीं है। गवर्नमेन्ट एम्पलॉयमेन्ट में एक आदमी है, अगर वह इस्तिफा देकर उधर जावे और फिर कहने लगे कि मुझसे तो यह कहा गया वह कहा गया तो यह एक गलत परम्परा होगी। There will be no end to it.

श्री मानसिंह महार: यह सदन में पहले भी रेफर किया गया था। मैंने रेफर किया था और मुझे पूछा गया था कि नाम बताइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: I am in possession of the floor of the House.

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उस वक्त × × × × ने कहा जैसा ये कहते है, तो मैं समझता हूं उचित तो यह था कि उसी वक्त ये इस्तीफा देकर अलग हो जाते । आज स्वयं जब इस्तीफा देकर आये हैं और अब ये बातें यहां कह रहे हैं । तो इससे ये केवल आज भ्रम फैलाना चाहते हैं । इस्तीफा देकर चुनाव में खड़े होते हैं और अब कहते है मुझसे यह कहा गया, इसलिये इस्तीफा दिया ।

श्री मान्धातासिंह : उस वक्त क्या जवाब दिया, यह भी सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : जवाब का यहां प्रश्न नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: क्या आपने चीफ सेक्रेट्री को सूचित किया कि इस तरह से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है ?

श्री मान्धातासिंह : यह भी बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष: नियमानुसार आपको चाहिये था कि इस तरह से अगर किसी पर आरोप आप लगाने वाले थे तो पहले मुझे यह बता देते और फिर पूर्वानुमति लेकर कहते तो नियमानुसार होता । उस हालत में आपको आज्ञा दी जाती या नहीं, यह नियमान्तर्गत सोचने की बात थी । मुझे पूर्व सूचना दिये बगैर ही ऐसी बात उठाना न तो इस पर यहां बहस हो सकती है और न निराकरण हो सकता है ।

श्री मान्धातासिंह : आपने प्रश्न पूछा । मैंने कलेक्टर को उस समय जरूर सूचना दी थी कि × × × ×

इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा तबादला फौरन नागौर कर दिया गया और मेरे चार लाख के बॉण्ड्स जो थे वे चार हजार के ड्यूज के अगेन्स्ट में अटैच कर लिये और मुझे काफी आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया गया । इसी तरह से जयपुर के वह कलेक्टर एक ऐसे महाशय थे जो मुख्य सचिव के खास आदमी थे । मैंने इसका जब विरोध किया इन राइटिंग तो··· ····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Sir, is he pleading for his bonds here ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप बोलने दीजिये । घबराइये मत । अभी तो वे और भी कई बातें बतावेंगे । अपनी पोल खुलने से आप घबराये नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य पर चार्ज लगाये जावें और फिर काउन्टर चार्ज, तो मेरे खयाल में माननीय सदस्य, जो नव निर्वाचित होकर सदन में आये हैं, उनको भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है जब कि उनके प्रति चार्ज और काउन्टर चार्ज लगाये जा रहे हों । ऐसी स्थिति में सदन को उदारतापूर्वक उनकी बात, जो कुछ वे कहना चाहें सुनना चाहिये । मेरे ख्याल से यह निर्विवाद है कि जो मुद्दे माननीय सदस्य उठा रहे हैं वे उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रश्न है और प्रतिष्ठा और इज्जत की बात करनी होती है तो मेरे ख्याल में यह रेलेवेन्ट इश्यूज, जो कुछ भी हो, सम्बन्धित मुद्दे जो कुछ भी हों, उनको भी रखने का पूर्णतया उनको अधिकार होना चाहिये । यह मेरा विनम्र निवेदन है ।

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

Page No. 39

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, मैंने चार्ज नहीं लगाया। मैंने सिर्फ यह बात उठाई कि कॉन्स्टीट्यूशनली सर्विस रूल्स में चेन्ज होना चाहिये। जब सिविल सर्विस को कॉन्स्टीट्यूशनली प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो ऐसी हालत में अगर कोई सिविल सर्विस का आदमी इस्तीफा दे तो इस्तीफा देने के बाद कम से कम दो साल तक वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यह मेरा प्रोपोजल था। वह आपके ऊपर लान्छन नहीं था। मैं तो मानता हूं आपको इस समय यह राइट है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं इस्तीफा देने के बाद। मेरा चार्ज आपके लिये यह नहीं था कि आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? कॉन्स्टीट्यूशनली आपको यह राइट था। मैं भी मानता हूं जब तक यह राइट है वे लड़ सकते हैं। पर मेरा मुद्दा यह था कि कॉन्स्टीट्यूशन में आगे यह परिवर्तन कर दिया जाय कि कोई सिविल सर्विस वाला इस्तीफा देने के दो साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता।

श्री मान्धातासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा था कि जागीर बॉंड को रोक कर मुझे काफी नुकसान पहुंचाया गया और जब दूसरे कलेक्टर आये तो उन्होंने इसे दुरुस्त किया।

इसके अलावा एक और इन्स्टान्स मैं देता हूं जिसके कारण मैंने सरकारी मुलाजमत छोड़ी है। रात दिन मेरे पास सिफारिशें आती थीं × × × × क्योंकि मैं समझता था..........

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : × × नाम बताये जावें। वेग नहीं कह सकते।

श्री रामकिशन (वैर) : बोलने दें उनको, उनके पास चिट्ठियां हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दस्तावेज के बारे में कहें। This cann.t come casually like this. मैं कई बार कह चुका हूं कि पर्सनल एलीगेशन आप किसी पर न लगावें। अगर आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं तो पहले मुझे सूचना दें और परमिशन आपको पहले मिल जावे तभी आप उन पर बोलें और उन दस्तावेज को सदन में रखना हो तो रक्खें। बिना पूर्वानुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, जिस रोज ज्वालाप्रसादजी ने सदन में चिट्ठी प्रोड्यूस की थी, कोई पूर्व सूचना उसके लिये नहीं दी आपको और आज जब उसके उत्तर में कोई बात कही जा रही है और दस्तावेज रखने की बात हो तो रोका जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता था, पर जब बहुत प्रेस किया गया तब मैंने नाम बताया।

श्री मानसिंह महार : इनसे भी हम नाम पूछ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य, बार-बार बीच-बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नियम स्पष्ट हैं। दस्तावेज अगर कोई सदन में रखना चाहे तो उसके लिये पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी है। You are not permi.ted to place it on the Table of the House.

श्री मानसिंह महार : तो चूंकि ज्वालाप्रसादजी ने अपना दस्तावेज रखते समय

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मानसिंह महार)
पूर्व स्वीकृति नहीं ली तो उनका यह काम नियम के विपरीत है, तो उनके उस अंश को कार्यवाही में से निकाल दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इसके लिये उस वक्त आपत्ति करनी चाहिये थी। इसका मतलब यह नहीं है कि आज उसके आधार पर उसको फिर दोहराया जावे। प्रोसीजर सबके लिये एक है। क्या दस्तावेज कोई माननीय सदस्य सदन में रक्खेंगे और किस पर क्या आरोप लगायेंगे इसकी स्वीकृति पहले लेनी चाहिये।

श्री मान्धातासिंह : मैं आसन का आदेश मानता हूं और ....

श्री रामकिशन : ×××× तो कह दिया। इससे तो कन्फ्यूजन हो गया। इसकी सफाई तो होनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इसकी सफाई करने के तरीके और भी हैं।

श्री मान्धातासिंह : तो मैं कह रहा था कि मेरे पास लिखित में हैं उनके पत्र......

श्री अध्यक्ष : आप फिर नाम ले रहे हैं और दस्तावेज की बात कह रहे हैं। ये सारे शब्द प्रोसीडिंग्स में से इस तरह के निकाल दिये जावें।

श्री रामकिशन : ×××× भी निकाल दिया जावे, अध्यक्ष महोदय। हम तो कोई पत्र लिखते ही नहीं हैं। कांग्रेस वाले लिखते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भी निकाला जावेगा।

श्री मान्धातासिंह:—जहां तक ईमानदारी का सवाल है, सरकारी पक्ष को भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैंने टी०ए०, डी०ए० नहीं लिया, जब मैं सैटलमेंट आफीसर था। हजारों मील का मैंने दौरा किया है। और लोगों को दो सौ रुपये तीन सौ रुपये टी० ए० मिलते हैं। मैंने वह नहीं लिया। मेरा जितना वेतन आता था उसको भी मैं नेशनल सैविंग सर्टीफिकेट और डिफेन्स बोण्डों में इनवेस्ट करता रहा हूं। और कोई ऐसा मुलाजिम नहीं होगा जो टी० ए० और डी० ए० नहीं लेता हो और अपना पूरा वेतन नेशनल सैविंग सर्टीफिकेट्स और डिफेन्स बोण्डों में इन्वेस्ट करता हो। ऐसे शख्स के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह ईमानदार नहीं था और दो सौ तीन सौ रुपया लेकर तबादला कर देता था, यह आप खुद समझ सकते हैं कि कहां तक सत्य है ?

इसके अलावा जिनके नीचे काम किया मैं उनका भी जिक्र कर दूं। कृष्णा मेनन, जो भारत के रक्षा मन्त्री रह चुके हैं और वे जिस समय लन्दन में हाई कमिश्नर थे उनके नीचे कुछ अर्से तक मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने मेरे लिये लिखा है,

"His administrative experience combined with his academic attainments makes him eminently suited for a position requiring width of out look and high sense of responsibility."

यह खुद कृष्णा मेनन सरीखे लोग मानते हैं कि एक हाई सेंस आफ रेस्पोन्सिबिलिटी की पोस्ट के मैं काबिल हूं। उस व्यक्ति को कैसे राजस्थान सरकार नाकाबिल करार देती है, यह आश्चर्य की

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मान्धातासिंह)
बात है? मेरा यह दुर्भाग्य था कि मौजूदा सरकार पावर में आई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे खुशी है कि एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य कृष्णा मेनन के सर्टिफिकेट को इतना महत्व देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : This is complimentary

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): अब कृष्णा मेनन अपनी राय बदल देंगे।

श्री मान्धातासिंह: मैं उनकी इज्जत करता हूं और इस सर्टिफिकेट की सबसे ज्यादा कद्र करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह भ्रष्टाचारी सरकार आपकी काबलियत को डाईजेस्ट नहीं कर सकी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम एप्रिशियेट करते हैं इस बात को।

श्री मान्धातासिंह: इसी तरह सर वी० टी० कृष्णामाचारी, प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चैयरमेन थे उन्होंने भी मेरे बारे में क्या लिखा है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं : "He bears an excellent character and will be found reliable in positions of trust."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रेलेवेन्ट नहीं है। यह हाउस कोई प्रोमोशन कमेटी नहीं है जो फैसला करता हो। इन सर्टिफिकेटों की रेलेवेन्सी यहां क्या है?

श्री मान्धातासिंह : महोदय। ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : बड़ी बड़ी चीजें निकल रही हैं।

श्री मान्धातासिंह : Chief Jastice श्री वोष भी हैं जिन्होंने मेरी काफी तारीफ की है। श्री सम्पतमलजी भंडारी, जो ईमानदार अफसर माने जाते थे, उनकी भी हालत इन्होंने वही की, जो मेरी की है। तो श्री भंडारी ने यह लिखा है कि: "He is an officer of parts. His honesty is beyond reproach."

श्री फूलचन्द जैन : यह सर्टिफिकेट सर्विस रूल्स में काम आ सकते हैं।

श्री मान्धातासिंह : मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसी रेपुटेशन रखने वाले व्यक्ति के प्रति इस तरह के लांछन लगाने की कैसे हिम्मत हुई किसी माननीय सदस्य की? मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई डाइरेक्ट एलीगेशन नहीं लगाया बल्कि प्लानिंग मिनिस्टर महोदय ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जो मान्धातासिंह ऐसी हरकतें करता है उसको हम मान नहीं देना चाहते। मेरा कहना है कि मान्धातासिंह उनके मान की परवाह नहीं करता, जबकि मेरा मान श्री कृष्णा मेनन सरीखे मान्य व्यक्ति ने और वी० टी० कृष्णमाचारी सरीखे व्यक्ति ने किया है।

श्री चन्दनमल बैद : हियर हियर। फिर छोड़ दो स्वतन्त्र पार्टी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिये तो मुझे आपके लिये लड़ना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : Order please! Order!

श्री मान्धातासिंह : इन शब्दों के साथ मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे लिये कहना कोई आवश्यक नहीं है कि किसी भी मामले में मैंने कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि लेने की बात सोच भी नहीं सकता। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य खुद इसे नहीं मान सकते, पर किसी कारणवश उन्होंने यह आरोप लगाया है महज इस कारण से कि मैं इस सदन में विरोधी पक्ष में हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से सम्मानीय सदस्य के वक्तव्य को सुन रहा था और सर्टिफिकेट सुनने के बाद तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 'all that glitters is not gold'.

प्रश्न सिर्फ इतना था कि मैंने उनके दस्तखतों का एक कागज जो फाइनल हो गया था वह सदन की मेज पर रखा। यह कागज उनका था, यह तो उन्होंने खुद ने माना है और उसमें प्रश्न यह था कि एक हुकमसिंह नाम का आदमी था जिससे उनके दफ्तर में २००) लेकर ट्रान्सफर करने का तय हुआ कि इस आदमी का ट्रान्सफर उसके होम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्षः दो सौ रुपया इतनी निश्चित राशि का आपको कैसे पता लगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्टेटमेन्ट है उसका।

श्री अध्यक्ष : किसका ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसका खुद का, पर ट्रान्सफर उसका नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर आ जावे वह स्टेटमेन्ट।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, वह भी कागज मेज पर आना चाहिये। यह बिल्कुल झूठ बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। ये बिल्कुल झूठ बात कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। सदन में स्टेटमेन्ट पेश कराइये अध्यक्ष महोदय, यों वेग बात न करें वे।

श्री अध्यक्ष : वेग बात पहले कह चुके। उस वक्त आप ऐतराज करते तो यह सारी दिक्कत खड़ी नहीं होती।

सवाल तो है कि जो बात इन्होंने उठाई, वह किन तथ्यों के आधार पर उठाई ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक आर्डर जारी किया, उस आर्डर के कागज को डेस्ट्रॉय करने के लिये कहा है। एक आर० ए० एस० अधिकारी डेस्ट्रॉय करने के लिये नहीं कह सकता। वह फाइल में रखे। तो इस तरह का एक आर्डर कैरी आउट नहीं करके तीन सौ रुपया लेकर दूसरा आर्डर दूसरे के फेवर में इश्यु कर दिया।

श्री अध्यक्षः वह ३००) रु० कहां गया ? मैं स्पष्ट कह दूं। किसी माननीय सदस्य के द्वारा इस तरह से २००) तीन सौ रुपया की बात नहीं होनी चाहिये। किस आधार पर वे कह रहे हैं। अगर कोई आधार उनके पास नहीं है तो उसका उल्लेख यहां वे न करें। फिर अगर कोई आधार है तो उसकी पूर्व सूचना और अनुमति लेनी चाहिये। इसके बिना वे यहां इसका उल्लेख न करें।

श्री मानसिंह महार: इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से एक्सपन्ज कर दिया जाना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रिलायेबल सोर्स से कहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: रिलायेबल सोर्स बतावें, लिखकर दें क्या रिलायेबल है। अगर वह रिलायेबल माना जावेगा तो उसको सदन में उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान की जावेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मेरे पर छोड़िये, अध्यक्ष महोदय। मैं रिलायेबल सोर्सेज़ से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल आप पर छोड़ दें तो दिक्कत हो जावेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो फैक्चुअल पोजीशन सदन में आ चुकी है उसको देखकर जब सरकम्सटान्सेज ऐसे क्रीएट हो जावे, मोटिव उसमें आ जावे और उसके द्वारा आपको खुद को शुबाह हो जावे तो ठीक ही है।

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। फिर भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अब माननीय सदस्य चाहें तो इन सबसे अन्दाज लगा सकते हैं। इससे अधिक इस पर कहना और बहस करना आवश्यक नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: तो अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमेन्ट...............

श्री अध्यक्ष : No more Statement.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने जो स्टेटमेन्ट पेश किया सदन में, उसमें ऑफिस की मोहर, तारीख और नम्बर लगाकर इश्यू किया गया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि ऑर्डर लिख दिया था, गलती से दस्तखत कर दिये थे, फिर नया ऑर्डर इश्यू कर दिया, अफसर को बुलाकर कह दिया।

श्री मान्धातासिंह: यह हस्ताक्षर करते ही मालूम हो गया और उसे कैन्सिल कर दिया उसी वक्त। यह देखा जा सकता है, उस पर डिस्पेच नम्बर और तारीख नहीं है। रात-दिन ऐसा होता है। जो ऑर्डर गलत समझा जाता है उसे डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है और सही ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: कोइ ऑर्डर या कागज डेस्ट्रोय नहीं कराया जाता। उसे फाइल में रख दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, मांग संख्या २५।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव हनुमानगढ़ काण्ड के सम्बन्ध में रक्खा था। आज तारीख थी जवाब देने की।

श्री अध्यक्ष: इसमें आप पुलिस की मांग होगी तब कह सकते हैं। काफी अवसर तब है। तब तक और तथ्य भी आ जावेंगे, और सन्तोषजनक उत्तर मिल जावेगा।

(६ ३६ म. पू.)

मांग संख्या२५, २६ व ४२ बहुप्रयोजन नदी योजनाएं सिंचन इत्यादि

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमन्त्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२,

(श्री नथूराम मिर्धा)
बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८६,०६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक), ४४ सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८-बहु प्रयोजन नदी-योजनाओं पर पूंजी की लागत, ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,५८,००,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

मांग संख्या २६

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):

१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १ रु० की कटौती की जाय (अवाणिज्यिक कार्यों की पूर्ति न करने पर बहस करने हेतु)।

२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १ रु० की कटौती की जाय (नदी योजनाऐं जो मन्जूर हो चुकी हैं उनकी पूर्ण रूप से व्यवस्था न करने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर):

३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १०० रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा नहरी विभाग में अधिकारियों की तैनाती व पदोन्नति के संबंध में बरती गई गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १ रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा भाखरा नहर में पानी सप्लाइ की समुचित व्यवस्था करने की असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (घग्घर नाली व सिधमुख नहर का काम चालू न करने की नीति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

६. **श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर)** : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन,

(श्री विजयपाल कटारा)

नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (बिलपन, वातरक व गजठा बांधों की नहरों में लीकेज की समस्या पर बहस करने हेतु)।

७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १ रु० की कटौती की जाय (गजपुर बांध से पानी नहीं मिलने से किसानों में असंतोष की भावना बढ़ती हुई परिस्थितियों पर बहस करने हेतु)।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :

८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (मेंसरा खुर्द का बांध बन्धवाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

कंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १००) रु० की कटौती की जाय (नदी योजनाओं के प्रारम्भ करते समय बरती गई अव्यवस्थाओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

१०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १००)रु० की कटौती की जाय (व्यवस्थित तटबन्धन व जल निकास निर्माण कार्यों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा (रायसिंह नगर) :

११. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में सरकार द्वारा authorised water supply देने में पूर्ण असफलता के कारण पैदा स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

१३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यक) में १००) रु० जाय की कटौती की जाय (राजस्थान केनाल कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसके निर्माण कार्य की शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

१४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा गंगनहर की authorised supply of water गंगनहर क्षेत्र में न दे पाने के कारण पैदा हुई गम्भीर स्थिति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

15. Demand No XLII, Major Head 99— Capital Outly on Irrigation, Nagivation, Embankment and Drainage works

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(Commercial) be reduced by Rupees 100/-(to discuss the failure of Government in completing minor irrigation projects.)

मांग संख्या २६

श्री मनफूलसिंह (सूरतगड) :

१६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (गंग केनाल में और भाखरा में बहुत थोड़ा पानी है जिससे फसलें नष्ट हो गई है। इस पर बहस करने हेतु)।

१७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा नहर की नहरों के टेल पर अभी पूरी तरह से पानी नहीं पहुंचा है और पड़ौसी पंजाब की भाखरा को नहरें खूब पानी देती हैं, पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

१८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान केनाल की योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करवाने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

१९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (घग्घर के Flood water को रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा बीकानेर, चूरू, नागौर के उपयोग पर बहस करने हेतु)।

२०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नहर निर्माण की धीमी प्रगति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

श्री रामाकिशन (बैर):

२१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (नदी योजनाओं की प्रगति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

श्री गणपति लाल वर्मा (मांडलगढ़):-

२२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्ध तथा जल-निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रू० की कटौती की जाय (जैतपुरा, अनवासा बांध, डि० भीलवाड़ा जो सर्वे हो चुका है किन्तु सन् १९६४-६५ के बजट में नहीं लिया इस पर बहस करने हेतु)।

२३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले के अनवासा तथा जैतपुरा वासी बांधों को बनाने की तरफ ध्यान दिलाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

श्री जुझारसिंह(चेचट) : २४. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss delay in payment of compensation for the lands acquired for Irrigation projects).

मांग संख्या २५

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) :

२५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरा - नागल परियोजना से राजस्थान को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है उस स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

२६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-- बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त सिंचाई सुविधाओं के पूर्ण उपयोग कराने में सरकारी असमर्थता, नहरों के कारण water logging की उत्पन्न समस्या पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २६

२७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (अनुत्पादक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आने वाली नहरों से अपेक्षाकृत लाभ न होने तथा सिंचाई के अभाव तथा अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

२८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यक) में १) रु० की कटौती की जाय (गंग केनाल से गंगानगर जिले के किसानों को समय पर पानी नहीं देने, कम पानी देने आदि से हुए फसल के नुकसान पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

२९. Demand No. XXV, Major Head 42- Multipurpose River Schemes be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government in implementing the multipurpose River Schemes already sanctioned by the Government).

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):

३०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-- बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १००)रु० की कटौती की जाय (उदयपुर जिले में उदयसागर की नहर बन्द की जा रही है उस पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४२

३१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १००) रु० की कटौती की जाय (नाइ बांध बनाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २५

श्री रघुनाथ विशनोई (सांचोर):

३२. Demand No. XXV, Major Head 42- Multipurpose River Schemes be reduced by Re. one (to discuss the Jetpura Badgaon and Sagi river schemes and Luni inundation Scheme).

श्री हरिकिशन (राजगढ़):

३३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (बहुप्रयोजन नदी योजनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

३४. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १)रु० की

(श्री हरिकिशन)
कटौती की जाय (जिले व तहसीलवार बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से योजना के कार्य क्रम पूरा नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

३५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में सीपेज की समस्या को हल करने में सरकार असमर्थ रही इस सम्बन्ध में बहस कने हेतु)।

३६. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १)रु० की कटौती की जाय (सीपेज के कारण पानी के बहाव हेतु नालियों में होने वाले खर्चे पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

३७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में १)रु० की कटौती की जाय (नहरों के निर्माण में बरती गई गैर जिम्मेदारियों के कारण होने वाले खर्चे पर बहस करने हेतु)।

३८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४—सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (चम्बल क्षेत्र में नहरों पर नालों के निर्माण का अभाव दूर करने, किसानों की भूमि को अवाप्त करने के बाद मुआवजे का भुगतान नहीं करने व देर पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

३९. मांग संख्या ४२—मुख्य शीर्षक ९९—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटौती की जाय (बाढ़—नियन्त्रण कार्य के नाम पर ड्रेन आदि निर्माण कार्यों की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

४०. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२— बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में १)रु० की कटौती की जाय (नदी योजनाओं से लाभ उठाने में असफल रहने पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

४१. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १००) रु० की कटौती की जाय (नदी योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों की कमी के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

४२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४— सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, तथा जल-निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १००) रु० की कटौती की जाय (सिंचाई योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों में भारी कमी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २५

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

४३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में १) रु० की कटौती की जाय (मेजा बांध के क्षेत्र में गलत बेटरमेन्टलेवी की पानड़िया बांटी गई जिस पर बहस करने हेतु)।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मांग संख्या २६

४४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (मेजा बांध की नहरों से ठीक पिलाई नहीं होने से ४००० एकड़ जमीन की फसलें खराब हो गईं जिस पर बहस करने हेतु)।

४५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (मेजा व सरेंही बांध-की पीवल जमीनों के लिए मनमाने तरीके काम में लेने व किसानों को तंग करने पर बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (नहरों के धोरे को दुरुस्त न करने से किसानों को होने वाली असुविधा पर बहस करने हेतु)।

४७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (नहरों से पिलाई की डिमान्ड स्लिप तैयार करने व पिलाई वसूल करने के तरीके पर बहस करने हेतु)

४८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक,) में रु० १) की कटौती की जाय (समय पर मेजा व सरेंही बांध के पानी देने के लिए वाटर सप्लाई कमेटी की मीटिंग न करने से पैदा हुई स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २५

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर):

४९. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १) की कटौती की जाय (सिंचन विभाग द्वारा किसानों को समय पर पानी नहीं दिए जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४२

श्री चन्द्र सिंह बर्का (बिलाड़ा) :

५०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (लघु-सिंचाई योजना के अन्तर्गत तटबन्धन कर सिंचाई साधन जुटाने पर बहस करने हेतु)।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ) :

५१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (कुशलगढ में सिंचाई संबधी छोटे बान्धों का निर्माण कराने पर बहस करने हेतु) ।

श्री ललित मोहन (गोगुंदा) :

५२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (भारोड़ी बांध को बनवाने पर बहस करने हेतु)।

Page No. 50

(श्री ललित मोहन)

५३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (नान्देशमा का तालाब बन्धवाने एवं कांधा का एनीकट सम्पूर्ण कराने पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

५४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में रु० १००) की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले को हाईडल पावर निश्चित समय में देने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

५५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा ट्रान्समिशन लाइन डालने में राज्य के अधिकाधिक क्षेत्रों को बिजली पहुंचाने में गलत प्रणाली अपनाने पर बहस करने हेतु)।

५६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान नहर को केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय योजना स्वीकार कराने पर बहस करने हेतु)।

श्री विजय सिंह झाला (नाथद्वारा):

५७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९९– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में रु० १००) की कटौती की जाय (उदयपुर जिले में लघु सिंचाई के साधन बढ़ाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

५८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान नहर की चिंताजनक प्रगति राज्य सरकार की इस संबन्ध में ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

५९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में रु० १००) की कटौती की जाय (भाखरा नांगल पर लगी हुई पूंजी पर economical return पैदा करने की सरकार की अक्षमता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी):

60. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss non-payment of compensation for lands acquired).

61. Demand No. XXVI, Major Head 44--Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Irrigation department to supply water to the areas which have been receiving water for the last two years).

मांग संख्या ४२

62. Demand No. XLII, Major Head 98-Capital Outlay on

(श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
Multipurpose, River Schemes be reduced by rupee one (to discuss excluding village from the Chambal Canal areas).

63. Demand No. XLII, Major Head 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes be reduced by rupee one (to discuss the seepage problem which is increasing in Chambal area).

६४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६८-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (चम्बल सिंचित क्षेत्र में सड़कों, रास्तों की अव्यवस्था बारे में बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २६

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):

६५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सरकार द्वारा सिंचन निर्माण के मामले में अवैज्ञानिक पूर्ण रूप से कार्य करने पर बहस करने हेतु) ।

६६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में १ रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले के बांधों की maintenance पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४२

६७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १ रु० की कटौती की जाय (गुड़गावां केनाल के निर्मित न किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

६८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १ रु० की कटौती की जाय (भरतपुर फीडर को अनाज, गुनसारा, कटौली, महागांवा, धारमुइ व हथेनी आदि-ग्रामों में न बढ़ाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

६६. मांग संख्या ४२, मुख्य शोर्षक ६६--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १ रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में आदिवासी क्षेत्र में एनिकट्स तथा छोटे टैंकों का निर्माण कराने पर बहस करने हेतु) ।

७०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में अदवास के तालाब का निर्माण कार्य चालू कराने पर बहस करने हेतु) ।

७१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६--सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (तहसील खैरवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में एनिकट तथा छोटे टैंकों का निर्माण कराने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २५

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

७२. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२--बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १) की कटौती की जाय (Right Canal व left Canal से उत्पन्न seepage व logging पर बहस करने हेतु)।

७३. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १) की कटौती की जाय (बेटरमेन्ट लेवी के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

७४. मांग संख्या २५ मुख्य शीर्षक ४२-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १००) की कटौती की जाय (चम्बल की नहरों से सीपेज द्वारा ग्रामों में सीम आना व उन्हें नुकसान पर बहस करने हेतु) ।

७५. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १००) की कटौती की जाय (सीपेज व लोगिंग के कारण बेटरमेन्ट लेवी का कोई औचित्य नहीं है, पर बहस करने हेतु)।

७६. मांग की संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२- बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १००) की कटौती की जाय (चम्बल बांध से कोटा नगर के नदी घाटों व तालाब की दुर्दशा पर बहस करने हेतु)।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल):

७७. मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में रु० १) की कटौती की जाय (भाखरा नांगल परियोजना चम्बल परियोजना, राणा प्रताप-सागर बान्ध के व्याज के जो २,४०,५६,००० लिखे गये हें वे ६२-६३ तक तो पूंजी खाते में लिखे जाते थे अब रेवेन्यु खाते में लिखे जाने पर जो राशि दूसरे कार्यों में खर्च की जा सकती थी उन कार्यों मे रुकावट आ रही है इसे दूर किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २६

७८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों (वाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (अनुत्पादक सिंचाई योजना पर व्याज के लिये ६२,६७,००० की राशि खर्च बता कर सिर्फ लेखे-जोखे के अंकों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है अतः इसे नहीं लिखे जाने पर बहस करने हेतु)।

७९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों (वाणिज्यिक) में १) रु० की कटौती की जाय (इन योजनाओं पर जो हर वर्ष टेम्प्रेरी कार्य के लिये राशि खर्च हो रही है इस खर्च की राशि को बढ़ा कर परमानेन्ट इन्तजाम किया जाय। इस पर बहस करने हेतु)।

८०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौ-चालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (पंजाब सरकार द्वारा गंगनहर में पानी बहुत ही कम दिया गया है। जिससे गंगानगर की खेती को काफी नुकसान हुआ है इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४२

८१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : लागत में रु० १) की कटौती की जाय (भाखरा क्षेत्र में उपनिवेशन योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं को बन्द किये जाने व फिजूल खर्ची को कम करने पर बहस करने हेतु) ।

८२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६८–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी को लागत में रु० १) की कटौती की जाय (भाखरा पर होने वाले खर्चों में कमी की जाय उस पर बहस करने हेतु) ।

८३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६८–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (हाइडल योजनाओं व ट्रान्समीशन और कोटा पॉवर व बाँध पर होने वाले खर्च में अनियमितताओं को रोके जाने पर बहस करने हेतु) ।

८४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान नहर परियोजना पर जो खर्च मशीनरी लाने में खर्च किया गया है उसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं, पर बहस करने हेतु) ।

८५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान केनाल गंगानगर जिले में है तो फिर जयपुर में बोर्ड का विशाल भवन बनाने व लाखों रुपयों का वार्षिक खर्च जयपुर में स्टाफ पर करने से गंगानगर में बोर्ड कार्य पर कैसे नियन्त्रण हो सका है, इस पर बहस करने हेतु) ।

८६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (माण्डल तहसील में टूटे तालाब बन्धवाने पर बहस करने हेतु) ।

८७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (इस हैड में जितने बान्ध सिंचाई के लिये बान्धे गये हैं उनके पूरे क्रोप वाटर रेट अलग २ रखने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

८८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ६६–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (उदयपुर डिवीजन में जमीन के लगान के साथ ही इरिगेशन चार्जेज जोड़कर लगान लिया जाता था, अब नये सिरे से सरकार अलग सिंचाई की रेट वसूल करना चाहती है जिससे किसानों को दुगुनी पिलाई देनी पड़ रही है। इसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २६

श्री अमरसिंह (दूदू):

८९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिंचन, तटबन्धन व जल निकास निर्माण कार्यों पर सरकार ने लापरवाही बर्ती, पर बहस करने हेतु) ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर):

90. Demand No. XXVI, Major Head 44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to accelerate the pace of progress in the construction work of the Rajasthan Canal).

91. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) be reduced by Rupees 100/- (to discuss the failure of the Government in distributing equally and rationally, the supply of Gang Canal Water among the cultivators).

92. Demand No. XXVI, Major Head 43-Irrigation and Navigation Embankment and Drainage Works (Commercial) be reduced by rupee one [to discuss the failure of the Government to increase the supply (discharge) of water in the Gang Canal].

श्री केसरीसिंह (पाली):

93. Demand No. XXVI, Major Head 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non—Commercial) be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to increase irrigation facilities in Pali especially in view of the priority, this deserves because of the Package Programme.)

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर):

९४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १००) की कटौती की जाय (सिंचाई में नहरों को समय पर साफ न कराने पर बहस करने हेतु) ।

श्री चौथमल वर्मा (भिनाय) :-

९५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) क कटौती की जाय (ऊंटड़ा बांध व नारायणी सागर व पारा प्रोजेक्ट पर कई लाख रुपये व्यय करने के बाद भी इनका सिंचाई में उपयोग न होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी):

९६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (साधारण और जीर्णोद्धार पर किये गये खर्चे की व्यवस्था असंतोषजनक होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जीवराज (गुढ़ा) :

९७. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिंचाई कार्य को पूरा करने में देरी करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर):

९८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (परबतसर तहसील में भाकरी बांध के कार्य को धीमी गति से चलाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री दलपतसिंह (आबू):

९९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिरोही जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु कोई योजना न बनाने पर बहस करने हेतु) ।

१००. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचनं, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिरोही में नदियों के कटान की समस्या पर बहस करने हेतु) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

१०१. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला-तहसील गढ़ी) में मन्डार तालाब की मरम्मत पर बहस करने हेतु) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

१०२. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सरकार कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने में असफल रही है; इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री भरतलाल (मलारना चौर):

१०३. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर जिले में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के तालाबों की मरम्मत व नये तालाब बनवाये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा):

१०४. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिंचाई तथा निर्माण के कामों को समय पर पूरा न करने व उत्पादन में कमी पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) :

१०५. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर सयंत्र पर व्यय में रु० १००) की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हेतु सिंचाई की कोई योजना न बनाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मावा (सलूम्बर) :

१०६. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (जिला उदयपुर जयसमंद तालाब से जाने वाली नहरों में लीकेजे होने से काश्त काबिल भूमि खराब होने पर बहस करने हेतु)।

१०७. **श्री रविशंकर याज्ञनिक** (पिंडवाड़ा) : Demand No.XXVI, Major Head 43 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial) be reduced by rupee one (to discuss construction of storage dam over river Sukdi in Tehsil Shivganj, District Sirohi.)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) :

१०८. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (पुराने बांध माधो सागर, तहसील सिकराय में सरकार कोई ध्यान नहीं दे पाई है, पर बहस करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) :

१०९. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (नहरों पर नालों के अभाव के कारण किसानों की परेशानियों पर बहस करने हेतु) ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावलीं) :

११०. मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (सिंचन कार्य के निर्माण में की गई ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

१११. मांग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ४४- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) में रु० १) की कटौती की जाय (बांध व नहरों में किसानों की जमीन आई है उनको मुआवजा देने में देरी पर बहस करने हेतु)।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में जो मांग यहां पर रखी गई है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई के सम्बन्ध में काफी प्रयास किए गए हैं। राजस्थान बनने के पूर्व अलग २ रियासतों में किस प्रकार के सिंचाई के साधन थे वे सबको भलीभांति मालूम हैं । इस पन्द्रह साल के अर्से में राजस्थान सरकार के इरिगेशन के सम्बन्ध में और इरिगेशन की पोटेन्शियलिटी को बढ़ाने के सम्बन्ध में जिस प्रकार से कार्यवाही की है वह काफी प्रशंसनीय है और सराहनीय है। बहुत सी दफा इस प्रकार की बातें आती हैं कि राजस्थान ने जिस प्रकार के इरिगेशन के साधन बढ़ाने चाहिये थे । उस प्रकार की कार्यवाही नहीं की । तालाब, बांध वगैरा बनाये, उनके साधन बढ़ाये उनमें बहुत सी कमियां हैं । यह जरूर हो सकता है कि सरकार ने जो साधन उपलब्ध किये हैं। राजस्थान में उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं और उनसे जनता को कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं लेकिन यह एक आवश्यक चीज है कि जिस प्रकार की इरिगेशन की पोटेन्शियलिटी राजस्थान सरकार ने बढ़ाने का प्रयास किया है अगर हम सैकड़ों और हजारों वर्षों के इतिहास की तरफ देखें तो इस प्रकार का उज्जवल इतिहास हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने इरिगेशन के सम्बन्ध में भाखरा की नहरें, चम्बल और दूसरे कई बांध जो हमारी सरकार ने हमारे प्रान्त में बनाये हैं उनसे हमारे प्रान्त का भविष्य उज्ज्वल है और जिस प्रकार से ये इरिगेशन के साधन उपलब्ध किये उनसे हमारे राजस्थान का प्रोडक्शन प्रोग्राम भी बढ़ा है और हम यह उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से इरिगेशन के साधन बढ़ते जा रहे हैं और उस ओर ध्यान रहा तो राजस्थान इस प्रकार का प्रान्त होगा कि एक दिन वह सारे हिन्दुस्तान के खाद्यान्न का समुचित प्रबन्ध कर सकेगा ।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ईरिगेशन फेसेलिटीज की कठिनाइयां हैं उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर उनको दूर नहीं करेंगे तो जो साधन उपलब्ध किये हैं, जो हम प्रान्त की जनता को दे रहे है अगर उनको दूर नहीं करेंगे, जो साधन दे रहे है उनसे काफी लाभ मिलते हुए भी जो छोटी छोटी कठिनाइयां हैं उनसे प्रभावित नहीं होते उनको दूर करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ताकि जो फायदा हम दे रहे हैं उनको वास्तविक रूप में फायदा मिले, उन पर गौर करना चाहिये। लोग उनके लिए तरह तरह की बाते करते हैं

चम्बल के इलाके में करोड़ों और अरबों रुपयों का काम हुआ है। लेकिन वहां पर वाटर लोगिंग की समस्या है हालांकि इतना बड़ा काम किया है सरकार ने, फिर भी उस पर बुरा असर पड़ता है।

तो ये छोटी छोटी समस्यायें हैं। जैसा मंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वाटर लोगिंग की समस्या को हम हाथ में ले रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। चम्बल के लिए नजीर के तौर पर यह मैंने अर्ज किया। अब मैं मेरे यहां की जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा जिले में बहुत से छोटे २ तालाब हैं, उनके पेटे में काश्त होती है और काश्तकारों का स्वामित्व उन पर है। उन तालाब की जमीनों पर उनका अधिकार है। जब से सेटलमेन्ट हुआ है तब से लगान उन पेटे की जमीनों का कायम है। तालाबों में जो तरी रहती है उसका भी उस सैटलमेन्ट के वक्त से ही लगान कायम है। लेकिन कुछ समय पहले तर पिलाई का लगान वसूल करने का विचार हुआ। एतराज पर यह हुआ कि सरकार इस पर जांच करके इसको हटाने का प्रयत्न करेगी लेकिन पूरी तरह से इसको खत्म नहीं किया गया। स्टे ऑर्डर किया गया, वसूली भी नहीं हो रही है। लेकिन यह इस प्रकार का जो कानून है जिससे जनता की पिसाई होती है और डबल लगान उनसे वसूल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की चीजों को सैटलमेन्ट रिकॉर्ड से देख कर मालूम कर सकते हैं कि किस प्रकार नमी की चीज हमारे लगान के साथ जोड़ी जा चुकी है। इसलिए वसूल करना गलत होगा।

दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं। छोटे २ तालाब पहले से ही बने हुए हैं। मेवाड़ रियासत के समय से ही बने हुए हैं। सैटलमेन्ट हुआ। जितने भी तालाब और जमीन पीवल होती थी एक पाण पानी मिलता था या दो पाण मिलता था, जितना भी पानी मिलता था उसका लगान के साथ पैसा जुड़ा हुआ था लेकिन जबसे पिलाई की रकम वसूल करने का कानून निकला है उसके बाद में जिन जमीनों के ऊपर पहले से ही ईरिगेशन के चार्जेज इन्क्ल्यूडेड थे उन पर भी ईरिगेशन के नये नये शुल्क वसूल किये जा रहे हैं, कम से कम यह न्याय संगत नहीं होगा। मैं ईरिगेशन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में खास तौर से कहीं एक पिलाई होती है, कहीं दो पिलाई होती है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और उनका लगान का पैसा सैटलमेन्ट के द्वारा पहले से ही इन्क्लूडेड है । यह रिकॉर्ड से मालूम हो सकता है । किसानों के पास जो पानड़ियां हैं उनके अन्दर लिखा हुआ है । बारानी जमीन से दस बारह गुना लगान कायम है । इसके होते हुए भी आप ईरिगेशन चार्जेज वसूल करें, यह गलत होगा । इस लिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बातों की छानबीन करके ये कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं; उन्हें दूर करना चाहिए । राजस्थान में लैण्ड रेवेन्यू पहले से ही जो वसूल किया जाता है, वह दूसरी स्टेट के मुकाबले में ज्यादा है, और ईरिगेशन चार्जेज जो पहले से ही शामिल है वसूल करना मेरे खयाल से गलत होगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा ।

बहुत से बांध पेरेनियल हैं, जो हर दम बारह महीने पानी देते हैं । और बहुत से बांध ऐसे हैं जिनसे रबी की क्रोप को पानी देने का प्रावधान है । एक फसल को देते हैं और दूसरी को दें और बेटरमेण्ट लेवी वसूल करें, तब तो ठीक होगा, इसमें सरकार ने एक्शन लिया है और रकम काफी कम करदी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि पेरेनियल बांध है, लोगों को काफी फायदा हुआ है उन पर बेटरमेन्ट लेवी वसूल की जाय जो न्याय संगत हो सकता है । लेकिन उन स्थानों पर जहां १२ महीने पानी नहीं दिया जाता है और एक फसल कटते ही दिया जाता है, वहां पर बेटरमेन्ट लेवी वसूल की जाय तो यह लाभप्रद नहीं होगा और किसानों पर भारी प्रहार होगा । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के बांधों से एक फसली में पानी दिया जाता है उनसे बेटरमेन्ट लेवी वसूल नहीं होनी चाहिये ।

संवत् २००० के साल में खारी की बाढ़ आई थी और बहुत से हमारे यहां के तालाब फूट गये थे । मांडल, आसींद, देवगढ, भीम ये चार पांच तहसीलें ऐसी हैं जिनमें खारी होकर बहती है । इनमें कई तालाब फूट गये । २१ वर्ष का अर्सा होने आया है लेकिन उन तालाबों की मरम्मत आदि के सिलसिले में ईरिगेशन की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है । अगर बड़े २ बांधों के बजाय, छोटे २ बांध जो हमारे साधन हैं जिनके जरिये से अच्छी से अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, थोड़े पैसे में काम हो सकता है, इन छोटी २ सिंचाई योजनाओं को हम हाथ में नहीं ले सकेंगे तो हमारे किस प्रकार साधन बढ़ सकेंगे और तरक्की कर सकेंगे यह एक विचारणीय विषय है । इसके अलावा डिपार्टमेन्ट को और हमारे मंत्री महोदय को कई बार निवेदन किया गया कि ये छोटे २ तालाब हैं जो थोड़े २ से टूटे पड़े हुए हैं, उनमें मरम्मत की आवश्यकता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जबकि भारत सरकार की ओर से उनकी ओर तवज्जोह दी जा रही है और उनके द्वारा काफी प्रावधान रकम का रखा जा रहा है । मगर इन बातों के लिये अगर हम पैसा स्वीकृत न करके छोटी छोटी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं करेंगे तब तक ईरिगेशन के साधन ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे । आप बड़े बड़े बान्ध बनाते हैं उनसे उतना लाभ नहीं होता है जितना छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं से होता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से तालाब अभी भी रेवेन्यू के तहत में फूटे पड़े हैं तहसीलों

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
के अधीन हैं पंचायतों के अधीन हैं उन पर कोई भी तवज्जोह नहीं करते हैं। अगर पंचायतों को आपा साधन दें तो तमाम फूटे हुए तालाब ठीक हो सकते हैं। मैं निश्चित तौर से निवेदन कर सकता हूं इससे काफी लाभ होगा हमारी पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी और उस क्षेत्र का प्रोडक्शन बढ़ेगा।

आज पंचायतों की हालत इस प्रकार की है कि जिस पंचायत समिति में फूटे हुए तालाब हैं उनको साधन दे दिये जाते हैं तो इसके साथ श्रमदान का रोड़ा अटकाते हैं जिस वजह से हिम्मत नहीं होती कि वे इतने बड़े पैमाने पर काम उठा सकें। ऐसे तालाब जो पंचायतों के अधीन हैं उनको ठीक करने के लिये काफी रकम को आवश्यकता है। वैसे तालाबों के लिये सिंचाई विभाग को काफी पैसा देना चाहिये। वे पैसा नहीं देते हैं तो हमारी योजना है जिस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं उसमें पूरी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।

हमारे यहां लाछुड़े का तालाब बहुत बड़ा है उनका सर्वे इन्वेस्टीगेशन हो चुका है लेकिन इर्रिगेशन विभाग द्वारा कोई तवज्जुह नहीं दी गई, उसको बनवाना शुरू नहीं किया है उसका आउट पुट भी ढाई तीन परसेन्ट से ज्यादा है, यह काफी लाभ–प्रद योजना है। इस प्रकार की योजनाओं को जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये तालाबों के सिवाय और कोई चीज नहीं हो सकती, हाथ में नहीं लिया जा रहा है जिससे इर्रिगेशन की फेसिलिटीज मिल सके। वहां की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यदि पानी का साधन उपलब्ध हो जाय तो ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। उसके लिये यह जबरदस्ती अड़ंगा लगाया जा रहा है कि यह जागीरदार की पाल है इसलिये हम नहीं बना सकते इर्रिगेशन विभाग द्वारा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं रेवेन्यू रेकार्ड में आज से २०-२५ साल पहले जब सेटलमेन्ट हुआ था वह बिना नाम के दर्ज है। उस रेकार्ड की कापी मैंने चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन और मिनिस्टर महोदय को भेजी है, मगर आज तक रेवेन्यू विभाग, भीलवाड़ा वालों ने इर्रिगेशन विभाग, भीलवाड़ा को नहीं लिखा है कि वाकई यह बिना नाम है या क्या है? इस बारे में कार्यवाही चालू हो जानी चाहिये। इस प्रकार की योजनायें ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकती हैं। जब इन योजनाओं में इस प्रकार के रोड़े अटकाये जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन की बढ़ोत्तरी में काफी नुकसान होता है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लिया जाकर पूरा किया जाय। इससे हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं।

इसी प्रकार आसीन्द तहसील में बदनोर नायब तहसील है। वहां पर भी सिंचाई के साधन नहीं हैं। अगर आप यह समझ कर वहां कोई योजना बनायें कि वह लाभप्रद नहीं हो सकती, तो यह मान कर चला नहीं जा सकता। ऐसा होते हुए भी उस क्षेत्र की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी योजनायें भी कार्यान्वित करनी पड़ेगी। इर्रिगेशन की जितनी योजनायें बनी है उसमें कॉमर्शियल और नोन कॉमर्शियल हैं। उसमें बहुत सी योजनायें लाभप्रद भी होती हैं। किसी में प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं भी होता, अप्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्शन बढ़ता है। इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की योजनायें बन सकती है जिनमें पानी शामिल हो और जहां इर्रिगेशन के साधन नहीं हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

वहां पर साधन बनाना आवश्यक है । फर्टाइल जमीन है। एक एक बीघे में जहां पन्द्रह मन अनाज और १२-१३मन कपास पैदा होता है। वहां इर्रिगेशन फेसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिये ।

नेखाड़ी बांध के लिये भी दो तीन मर्तबा निवेदन कर चुका हूं उसके नीचे ३५ मील का एरिया है और वह स्थान नारायणनगर के केचमेंट एरिया में नहीं आता है उसका केचमेन्ट इतना नहीं हो सकता । इस बांध के अन्दर नेखाड़ी और खारी दो नदियां गिरती हैं इससे इस बांध पर कोई असर नहीं पड़ेगा । मगर जो अधिकारी किसी कार्य को पूरा नहीं करवाना चाहते, उसके लिये कह देते हैं कि यह केचमेन्ट एरिया में आता है इसलिये नीचे के बांध में पूरा पानी नहीं आयगा, मगर वह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की नेरवाड़ो बांध की फेसीलिटीज़ हो जाने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है और वह हमको ज्यादा लाभप्रद होगा । इस प्रकार का ख्याल न रख कर कठिनाई उपस्थित कर देते हैं जिनके बारे में न तो मंत्री महोदय कुछ कह सकते हैं बल्कि यह कह कर टाल देते हैं कि यह तो टेकनिकल ओपीनियन है इसलिये इस पर दूसरे आदमी के कहने की वेल्यू नहीं समझते। सरकारी अफसर टेकनिकल राय गलत देकर के कठिनाई उनके समक्ष उपस्थित कर देते हैं।

खारी के बांध के अन्दर टेकनिकल ओपीनियन के आधार पर जबकि उतना पानी नहीं है फिर भी तीस मील लम्बी नहर बना दी । इस प्रकार की जो गलत राय देते हैं और उसमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है और उससे कोई लाभ नहीं है । दूसरी तरफ इस बांध की लेफ्ट एल्यूस इतना ऊँचा बना दिया गया है कि नीचे जो गांव वाले हैं उनको पानी तक नहीं मिलता उसके नीचे जो जमीन है उस को एक मील तक भी आप पीवल नहीं कर सके। इस प्रकार की राय से विशेष लाभ होने वाला नहीं । उनको सही तौर से राय देनी चाहिये । इस प्रकार की गलत राय नहीं देनी चाहिये जिससे नुकसान हो । खारी बांध का लेफ्ट एल्यूस नीचा बैठाया जाय और ज्यादा से ज्यादा इर्रिगेशन फेसिलिटीज़ पहुंचायी जाय ।

श्री हरबख्तसिंह (नौहर): अध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार ने नहरी योजनाओं में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, भारी प्रयास किया है उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है लेकिन उनमें कुछ ऐसी खामियां भी हैं जिनके बारे में मैं अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजनाओं में तीन बड़ी योजनायें आती हैं, एक गंग नहर, भाखरा और तीसरी राजस्थान केनाल,ये सब गंगानगर जिले में हैं। गंग नहर पुराने जमाने की चीज है, लेकिन जहां तक भाखरा योजना का प्रश्न है मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने निश्चित समय में भाखरा की नहर को खोद कर तैयार कर दिया है और निश्चित समय में उसमें पानी चलने का हिसाब किताब कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष का रेकार्ड यह बतलाता है कि हमारे पानी की सुराही का स्विच हमारी सरकार के हाथ में नहीं है वह पंजाब सरकार के हाथ में है ।

(श्री हरदत्त सिंह)
जबसे भाखरा नहर शुरू हुई तब से लेकर गत वर्ष तक जब कि वर्षा अच्छी होती रही, किसानों को महसूस नहीं हुआ राज्य सरकार को महसूस नहीं हुआ कि हमारे साथ में पानी देने में अन्याय हुआ। हैं। हमारा कोटा हमें नहीं दिया जा रहा है । इसी बात से क्षुब्ध होकर बजट के संबन्ध में बोलते हुए हमारे गंगा नगर से आने वाले साथी ने कहा था कि हमारी राजस्थान सरकार को इस पानी के मामले में पंजाब सरकार ने एक खिलौने की तरह बना रखा है । मैं दावे के साथ कहता हूं इस वर्ष में भाखरा नहर से सिंचाई पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुई। सिचाई उप-मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि भाखरा नहर से चालू साल में १३.५ पानी भाखरा हैड से दिया गया । भाखरा हैड से दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है । लेकिन भाखरा नहर को दो प्रमुख ब्रान्च हैं । एक तो अमरसिंह ब्रान्च और दूसरी डेशाना ब्रान्च। मैं इन दोनों ब्रान्चों के दो तीन आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको यकीन हो जायगा कि हमको हमारा हिस्सा पूरा नहीं मिला है ।

(१०.०० म० पू०)

अध्यक्ष महोदय, मैं तिथियां आपके सामने रखना चाहता हूं । मैंने नोट किया है कि जो हमारी अमरसिंह ब्रान्च भाखरा नहर की है और जो सबसे बड़ी है, उसका कोटा ३५० क्यूसेक्स फिट का है । लेकिन जुलाई के महीने में १ जुलाई को उसमें ३०० क्यूसेक्स फिट, पानी था और ३१ जुलाई को १९५ क्यूसेक्स फिट पानी मिला और सारे महीने में ३०० से १९५ के बीच में इस नहर में पानी चलता रहा । वहां पर १९५ क्यूसेक्स फिट पानी मिला २ अगस्त को और अगस्त २४ से सितम्बर १० तक हमारी यह नहर बन्द रही । सितम्बर में ३०० क्यूसेक्स पानी मिला । अक्टूबर में २४० क्यूसेक्स मिला और नवम्बर में जिस दिन मुख्य मंत्री जी ने नहर का दौरा किया उस समय इस नहर में १९५ क्यूसेक्स फिट पानी चलता था जिससे सिंचाई नहीं हो सकती । क्योंकि जब १९५ क्यूसेक्स पानी बेड में चलता रहा और आउटलेट क्यों कि उसके ऊपर है इसलिए उसका पानी सिंचाई के काम नहीं आ सका । नवम्बर का महीना खासकर बोआई का महीना होता है जब कि किसान फसलों को पहले पानी देकर गेहूं और चने की तैयारी करता है और उस समय १९५ क्यूसेक्स पानी रहा, इसलिए बोआई बहुत कम हुई । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद १५ नवम्बर को यह नहर बन्द हो गयी और २५ जनवरी तक यह नहर बिल्कुल बन्द रही जब कि पंजाब की नहरों में पानी चलता रहा और इसमें एतराज की बात यह हुई कि सिल्ट निकालने का जो टाइम होता है वह वह होता है जब कि पंजाब और राजस्थान की दोनों की बन्दी का टाइम हो, लेकिन हमारी नहरें तो बन्द रहीं, लेकिन वहां चलती रहीं और हमारे माननीय सिंचाई मंत्री महोदय और हमारी राजस्थान की सरकार इस मामले में खामोश बैठी रही और हमारे किसान लुटते रहे, उनकी फसल बरबाद होती रही । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में दूसरा एक उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारी भाखरा की दूसरी ब्रान्च डेसाना की हैं । उसका

(श्री हरदत्त सिंह)

कोटा १०८ क्यूसेक्स फीट पानी का है। जुलाई में जब कि बोग्राई का वक्त होता है इस १०८ क्यूसेक्स कोटा वाली नहर में सिर्फ ६७ क्यूसेक्स पानी चलता था। जुलाई के महीने और अगस्त के महीने में । मुझे बताते हुए खेद होता है कि यह कोटा जो इस नहर का १०८ क्यूसेक्स का था वह ४२ क्यूसेक्स पर आ गया । सितम्बर में यह ६७ क्यूसेक्स आ गया और इसके बाद अक्टूबर में यह ३१ और ३८ के बीच में झूलता रहा । यानी जो हमारा निश्चित कोटा है उससे एक तिहाई में यह नहर चलती रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नहरों का ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि जब एक तिहाई कोटा का पानी चलता है तो वह बैंड में चलता है और चूंकि आउटलैट ऊंचाई पर होते हैं इसलिए सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा हमारे सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इन आंकड़ों पर खास तौर से इसलिए खींचना चाहता हूं कि भाखरा क्षेत्र में भी पाले की लहर का असर उसी प्रकार से पड़ा जिस प्रकार दूसरे क्षेत्र में पड़ा। अकाल की स्थिति भी भाखरा के क्षेत्र में वैसी ही रही जैसी कि दूसरे क्षेत्र में थी और क्योंकि वह भाखरा एरिया में है और गंगानगर जिले में यह एरिया है इसलिए वहां लगान की वसूली होती है हालांकि पानी वहां पर इतना कम मिला । वहां पर पानी नहीं मिला फिर भी पिलाई की वसूली की जाती है, तावान की वसूली की जाती है और लगान की वसूली की जाती है । मैं कहता हूं कि बाकी के इलाकों में लोगों ने खर्च तो नहीं किया और माननीय अध्यक्ष जी भाखरा के इलाके में लोगों ने काफी पैसा भी खर्च किया और उनकी फसल भी बरबाद हो गयी लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने उस क्षेत्र में कोई राहत नहीं दी और जब वहां के लिए राहत की मांग की जाती है तो उसके लिए उपेक्षा बरती जाती है । मैं निवेदन करूंगा कि या तो आप इस क्षेत्र को राहत दें और अगर नहीं दे सकते और गंगानगर जिले में होने का कसूर है, तो कम से कम भाखरा एरिया को उदयपुर में लिख दो ताकि हमको कुछ राहत मिल जाये ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाखरा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। भाखरा के पानी का कन्ट्रोल है उसमें पांच प्रमुख नहरें चलती हैं और जो कि सब की सब पंजाब से निकलती हैं । उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है । राजस्थान सरकार ने भी इस पर कुछ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर दिलाया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक मूलभूत गलती जिसकी ओर सिंचाई. विभाग का ध्यान नहीं है और उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । जैसा कि सिंचाई मन्त्री जी ने कहा था कि १३.५ भाखरा हैड से पानी चल चुका है लेकिन आगे चल कर पंजाब की नहरें बीच में आती हैं, हमारे हैड से पहले भी पंजाब की नहरें निकलती हैं । हमारा जो निकासी का पाइन्ट है, उससे भी पंजाब की नहरें निकलती हैं । पंजाब वाले अपना प्रपोर्शनेट कोटा पानी का न लेकर, पूरा का पूरा कोटा लेते हैं । हालांकि डैम में पानी कम है और इसको आधार मान कर भी पंजाब की नहरें अपना शत प्रतिशत कोटा लेती हैं और हमारा सारा का सारा कोटा वह खा जाते हैं ।

Page No. 63

(श्री हरदत्त सिंह)

इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां हमारे हैड्स बने हैं, पंजाब में जहां से हमारी नहर बनी है वहां हमारा कम से कम एक एस० डी० ओ० ग्रेड का आदमी रहे और पंजाब में जो पानी जाता है उसकी रेगुलर रिपोर्ट हमारे कार्यालय को देता रहे। इसके साथ ही जो डैम बना हुआ है वहां पर एस० डी० ओ० ग्रेड का आदमी रहे ताकि हमारे से सम्बन्धित जो पंजाब की नहरें हैं उनकी स्टडी करता रहे और इसका ध्यान रखे कि कहीं वह अपने से ज्यादा कोटा तो नहीं ले जाते हैं। अब तक तो दोनों ही जगह पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है लेकिन मानलो कि पंजाब में अकाल दल की पार्टी आ गयी और उसने सरकार बना ली तो उस समय राजस्थान की सरकार की बात पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होगा। या फिर कहीं राजस्थान में स्वतन्त्र पार्टी की हुकूमत आ जाये और वहां कांग्रेस ही रहे तो भी वह नहीं सुनेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी राजस्थान सरकार इस मामले में हमारा कोटा जो है उसको निश्चित रूप से तय करायें और नहर के पानी का रेगुलेशन हो, उसमें बराबर का हिस्सा भारत सरकार को बीच में लेकर तय करें। इससे ज्यादा मैं भाखरा के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा हां, भाखरा के बारे में सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होगा कि पटवारी लोग जो गिरदावरी करेंगे उसमें खराबी दिखादेगी। उसके कायदे के मुताबिक खराबा की रिपोर्ट करनी पड़ती है और कायदे के अन्दर की जाये तो उस पर कार्यवाही की जाती है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहूंगा कि खराबा की आम रिपोर्ट तैयार को जाकर उसके मुताबिक उसका फैसला लगान का किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दूसरा जो मेरा मुद्दा है वह यह है कि गत वर्ष सदन के फ्लोर पर माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न संख्या ४५६ तारीख १६-३-६३ के उत्तर में बताया था कि ७ ओवरसियर्स को एसिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया गया है। इस पर मैंने प्रश्न किया था उनकी लिस्ट में क्रम संख्या भी एक नहीं है, कोई ३ पर है, कोई ३६ पर है, कोई ५६ पर है और कोई ८६ पर है। ऐसे सात आदमियों को जो कि नॉन-रिकॉग्नाइज्ड इन्सटीट्यूशन्स से आये और जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, उनको आपने एसिस्टेन्ट इन्जीनियर ओवरसियर से बनाया है। यह आपने क्यों किया है। उसके जवाब में उन्होंने बताया था कि एडहॉक बेसिस पर यह पदोन्नति की गयी है और माननीय अध्यक्ष जी जरा और पूछे जाने पर उन्होंने यह स्पष्टीकरण किया था कि राजस्थान सरकार की यह नीति है कि डिप्लोमा होल्डर्स को ही यह प्रमोशन दिया जाय। इस तरह का बिल्कुल क्लियर एश्योरेन्स दिये जाने के बाद ७ प्रमोशन्स इसी तरह के और दिये गये हैं, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है आज नहरी विभाग ने १४ ओवरसियरों को जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो क्वालिफाइड नहीं हैं, उनको असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया है उन लोगों के मुकाबले में जो कि क्वालीफाइड है, डिप्लोमा होल्डर्स

(श्री हरदत्तसिंह)

है और डिग्री होल्डर्स हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि वह अब तक इस बात पर चले आते हैं, लेकिन माननीय सिचाई मंत्री महोदय के इस सदन में आश्वासन दिये जाने के बाद उन्होने एक फाईल चलाई कि सदन में आश्वासन दिया जा चुका है इसलिए इनको रिवर्ट किया जाय और यह ताज्जुब की बात है कि हमारे मंत्री महोदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकी और इरिगेशन सेक्रेटरी की बात कायम रही। उन्होंने कह दिया कि जो हो चुके व हो चुके और वह कायम रहेंगे, और अपनी इस गलती को दुरुस्त करने के लिए और इस सदन में दिये गये आश्वासन को साइड-ट्रेक करने के लिए मैं, माननीय अध्यक्षजी, माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान इस बात को ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सन् १९५४ के जो इरिगेशन सर्विस रूल्स बने हुए थे उनमें २५-१-६४ को तरमीम की, और तरमीम के मुताबिक जो एमेन्डेड रूल्स हैं उनमें परिवर्तन किया है शिड्यूल आफ जूनियर पोस्ट्स का उसमें लिखा है जहां उन्होंने बी० ई० और दूसरे डिप्लोमाज को मान्यता दी है प्रमोशन के लिए 'Or otherwise with 15 years requisite experience as Engineering subordinate.' इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जिन लोगों को जो कि डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें वे आदमी हैं जो नोन-मेट्रिक है, उनमें ऐसे आदमी हैं जिनकी कोई टेक्नीकल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन महज पक्षपात के आधार पर ऐसे लोग आये हैं कि मुझे अफसोस होता है कि समाजवाद में निष्ठा रखने वाली सरकार हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ इस तरह का पक्षपात करती है, और उस पक्षपात को कायम रखने के लिये रूल्स में परिवर्तन करती है। हाउस को जो एश्योरेन्स दिया गया है उससे बचने के लिए रूल्स में परिवर्तन करतो है और परिवर्तन की कोई वजह नहीं बताई गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां पर क्वालिफाइड और रिकगनाइज्ड इन्स्टीट्यूशन्स के क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स के बहुत से आदमी बैठे हैं जिनको कि ओवरसियर्स से असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स बनाया जाना चाहिये लेकिन अभी तक उनको नहीं बनाया जाता है। और ऐसे नान-क्वालि-फाइड आदमी है जिनके पास में किसी रिकगनाइज्ड इन्स्टीट्यूशन की कोई सनद नहीं हैं लेकिन उनको तरक्की नहीं दी जाती है और यह कहा जायगा कि उनका सीनियोरिटी लिस्ट में नाम आ गया। यह भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीनियोरिटी लिस्ट सिस्टेमेटिक क्रम के हिसाब से भी बिलकुल उनका नाम नहीं है। किसी का नवें नम्बर पर नाम है, किसी का ३९ वें नम्बर पर नाम हैं और किसी का ८६ वें नम्बर पर नाम हैं, लेकिन जिनको प्रमोशन दिया जाना मन्जूर था, जिनकी सिफारिश की जानी मन्जूर थी उनको सन् ५४ के इरिगेशन रूल्स की परवाह नहीं करते हुए उनको तरक्की दे दी गई, और यहां आश्वासन के बावजूद भी माननीय सिंचाई मंत्री का आश्वासन धरा रह गया। अब सिंचाई मंत्री बदले जा चुके हैं, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं नये सिंचाई मंत्रीजी से अपील करता हूँ कि अगर आप इस तरह का रवैया बरतेंगे, तो

(श्री हरदत्तसिंह)
फिर कौन रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन में जावेगा ? कौन पैसा लगावेगा और कौन डिग्री प्राप्त करेगा ?

इसके साथ ही एक अन्याय उनके साथ और हो रहा है कि जो टेकनिकल हैंडस् हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन से आते हैं उनके लिए ऐसा है आर्डर की उनकी १० साल तक की सर्विस हो बतौर ओवरसियर के डिप्लोमा होल्डर्स की तो उनको प्रमोशन देते हैं और उन लोगों से पहले जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं इनको चान्स देते हैं । और इसके बाद १० वर्ष के बाद किसी तरह से असिस्टेन्ट इन्जीनियर बनेगा तो फिर उनको एक्स० ई० एन बनने के लिए १५ वर्ष की सर्विस को कैद बान्धी गई है। पहले रूल १० वर्ष का था। अब १५ वर्ष का दिया गया है। इसका मतलब साफ है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं क्वालीफाइड हेन्ड्स हैं उनको पेनैलाइज किया जा रहा है, महज इसलिए पेनैलाइज किया जा रहा है कि इस विभाग के जो आफिसर्स हैं, सेक्रेटरी या माननीय सिंचाई मंत्री महोदय के खुद के कुछ ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर उनकी महरबानी है, उनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनको एस० डी० ओ० प्लान का चान्स दिया जाता है । अब इस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता और, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसकी ओर ध्यान देंगे और अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया तो फिर काम जो है, सुचारु रूप से नहीं चलेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नहरी योजना जो है, इसके बारे में जो मिड टर्म एप्रेजल प्लान का किया गया है उससे एक अजीब बात समझ में आती है कि ८,५१० लाख रुपये मल्टी पर्पज., मीडियम और मेजर सिंचाई कार्यों के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया तो ७,६२७ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया और सितम्बर, ६३ तक इस राशि का सिर्फ ४० पर्सेन्टेज खर्च हुआ, और यह आशा की गई है कि इस साल के आखिर तक ४८ पर्सेन्ट खर्च हो जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी योजना के तीन साल पूरे हो चुके हैं और तीन साल पूरे होने पर सितम्बर में सिर्फ ४० पर्सेन्ट किया गया और भी जो बान्ध रखा है वह आज तक नहीं बाँधे गये है। तीन साल में आधा खर्च पूरा नहीं किया गया इसका मतलब यह है कि हमारी योजना का आधा खर्च इस समय तक नही हो सकता है। इससे जाहिर होता है कि हमारा सिंचाई विभाग बहुत सुस्त और धीमा है और उनकी जो प्रगति है वह बहुत स्लो है।

इस सम्बन्ध में कुछ राजस्थान कैनाल की प्रगति के बारे में कुछ अर्ज कर देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल का काम दो फेजेज में, दो स्टेजेज में पूरा करने का निश्चय किया गया था। पहली स्टेज जो है उसमें फीडर लाइन को पूरा करना और मेन लाइन जो है उसको १२२ मील तक पूरा करना, यह तय किया गया था। और इस पहली स्टेज का कार्य मैं आपसे अर्ज करूं कि यह सन् ६८ तक पूरा किया जाना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ५८ में काम शुरू हुआ और सन् ६८ तक राजस्थान

(श्री हरदत्तसिंह)
केनाल का पहला स्टेज पूरा किया जाना था और उसमें फीडर लाइन और मेन केनाल में १२२ मील पूरा किया जाना जरूरी था लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, ६ साल पूरे हो चुके हैं और अब तक जो काम की प्रगति है वह बहुत स्लो है। फीडर लाइन २३.२ मील तक पूरी की जा चुकी है। थोड़ा बहुत काम बाकी है और इसके आगे मैन लाइन सिर्फ २२ मील पूरी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम सवा सात मील प्रति वर्ष के हिसाब से निर्माण-कार्य कर पाये हैं यानी हमने ६ सालों में सवा सात मील प्रति वर्ष के हिसाब से अपनी राजस्थान केनाल का काम पूरा किया है, और अब मेन लाइन पर १०० मील पहली स्टेज का काम बाकी पड़ा है जो कि हमको सन् ६८ तक पूरा करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम २५ मील प्रतिवर्ष हमारी मेन लाइन पर काम करें और सहायक नहरों का काम करें तो हमारा पूरा हो सकता है। जो राजस्थान का सिंचाई विभाग राजस्थान केनाल के निर्माण के काम को लेकर अपनी कार गुजारी का ढ़ोल पीटता है उसका रेकार्ड सिर्फ सवा सात मील प्रति वर्ष का रहता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कतई उम्मीद नही है कि आयन्दा यह महकमा २५ मील प्रतिवर्ष के हिसाब से हमारे काम को गति दे सकेगा। और इस हिसाब से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देता हूँ नहरी विभाग को, कि राजस्थान केनाल के निर्माण-कार्य की प्रगति जैसी आज चल रही है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सन् ६६ तक काम पूरा होगा ६८ तक नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में माननीय सिंचाई मंत्री महोदय खुद थोड़ी सी व्यक्तिगत रुचि लेकर ध्यान दें। यह बहुत बड़ी अहम योजना है। अगर उन्होंने इसको पार पाड़ दिया तो काम सही हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र बात यह है कि हमने राजस्थान में भाखरा की नहरें खोदी, राजस्थान केनाल भी खोद रहे हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अगर उनमें पानी नही हैं तो, अध्यक्ष, महोदय, नहरें दो ही काम कर सकती हैं कि या तो आवागमन का सीधा रास्ता रुक जाता हैं और ५-४ मील हैंड का चक्कर लगाकर आवागमन वाले लोग जायं। या तो यह काम आता है या यह काम आता है। उनके नाम से कि यह नहरी इलाका है। लोगों से बेटरमेन्ट लेवी वसूल की जावे। एक बार पानी दे दिया तो पूरे पानी का चार्ज ले लिया जाता है।

नहरी विभाग की गारन्टी थी कि ६० प्रतिशत पानी दिया जावेगा। और दिया नहीं पांच परसेन्ट भी। फिर भी ६० प्रतिशत मानकर बेटरमेन्ट लेवी और तकावी की किश्तों की वसूली जारी है। इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है।

इससे भी बड़ा अन्याय और बताऊं ६१ में राजस्थान केनाल का उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, ने किया और उस समय भाखरा का पानी उसमें डाला। यह ठीक था। पर अगर वह पानी केवल नहर के निर्माण के लिये उसको प्रारम्भ

Page No. 67

(श्री हरदत्तसिंह)

करने के लिये डाला जाता, तब तो मैं यह ऐतराज आपके सामने नहीं करता, पर अफसोस है कि जो पानी उस वक्त डाला गया वह डालते ही रहे और ३,००० एकड़ भूमि की उससे सिंचाई की गई और उसके बाद ६२ में इस सिंचाई की मियाद बढ़ा दी और ६३ में भी पिछले वर्ष यह सिंचाई इससे की गई। इस वर्ष कहना पड़ा है पर फिर भी १३ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गई और यह सारा का सारा पानी जो राजस्थान केनाल में डाला जाता रहा, भाखरा का था। अब होता क्या है, इस पानी के नाम पर भाखरा के किसानों पर बेटरमेन्ट लेवी लेते हैं, पिलाई के नाम पर एक पानी के नाम पर पूरे पानी का पानी लिया जाता है, और उसी पानी के नाम पर राजस्थान केनाल के किसानों से भी पैसा वसूल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि राजस्थान सरकार ने ब्लेक करने वाले व्यापारियों को भी मात दे दी। उसी पानी के नाम पर भाखरा वालों से आबियाना ले लिया और उसी पानी के नाम पर राजस्थान केनाल वालों से पैसा वसूल कर दिया। इससे ज्यादा भ्रष्ट और अनैतिक कार्य कोई ब्लेक मार्केटियर और क्या कर सकता है। इसके लिये राजस्थान सरकार का नहरी विभाग कण्डम करने लायक है। उम्मीद करता हूं कि सिंचाई मन्त्री इसकी ठीक तरह से जांच करके सही कदम उठावेंगे और इस धांधली को बन्द करेंगे।

इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि आपके पास एक लोटा पानी है, आपने उसे दस आदमियों को थोड़ा, थोड़ा पानी पिला दिया। पर आपने किसी मेहमान को खाना खाने के लिये बुलाया, पेट भरने के लिये पूरी तरह से पेट भरकर खाना खाने के लिये होटल में पूरी कीमत चार्ज करली पर रोटी एक ही दी, पूरा पेट नहीं भराया, एक रोटी दो चार मेहमानों में बांट दी और चार्ज पूरा पेट भरने का कर लिया। तो यह एक तरह की ठगी होगी। यही काम सरकार ने किया है। भाखरा का पानी राजस्थान केनाल के निर्माण के लिये लिया जाता और उसके लेने से भाखरा के किसानों को नुकसान भी होता तो परवाह नहीं थी। पर वह पानी सिंचाई के लिये दिया गया, उसके लिये वाटर सैस वसूल किया गया। मैं मांग करता हूं कि आपने जो हमारे १६ हजार एकड़ का पानी उधार दिया है उसका भाखरा क्षेत्र के किसानों को रिबेट देना चाहिये था। कानूनन यह जरूरी था। जो पानी हमारा था, जो हमें भाखरा वालों को मिलना चाहिये था, जिसकी चार पानी की वाटर रेट आप वसूल करते हैं, और हुआ एक ही, और वह भी पूरा नहीं हुआ, तो इसका रिबेट देना चाहिये। नहीं देते हैं, तो वादा खिलाफी करते हैं।

दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, कि फसलें बोने के लिये किसानों ने जमीन काश्त की। छः छः और सात सात बार मेहनत करते हैं। तब बारानी से नहरी जमीन बनती है। कीमती खाद उसमें उन्होंने डाला, कीमती बीज डाला, लेकिन क्योंकि आपको दोहरी मार करनी थी, इधर भी इनसे वाटर सैस

(श्री हरदत्तसिंह)

वसूल करना था, पूरी पिलाई का पैसा वसूल करना था और उधर राजस्थान कैनाल के किसानों से भी वसूल करना था इसलिये आपने इधर का पानी उधर दिया। थोड़ा पानी तो पंजाब वाले खा गये, और आप भी ४२० कर गये और वहां का किसान बरबाद हो गया।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। गदर पार्टी के करतार सिंह अमेरिका से आये। पंजाब में एक बड़ी फेमिली में डाका डाला और सब माल मत्ता लूटकर ले कर जा रहे थे तो करतारसिंह देशभक्त था उसे कहा करतारसिंह तुम देशभक्त हो, सारा माल मत्ता लूटकर ले जा रहे हो, घर में बीस वर्ष की बेटी बैठी है, इसकी शादी करनी है। उस करतार सिंह ने कहा ठीक है मैं और कहीं तलाश करूंगा। डकैती का इलजाम कबूल करके उस नौजवान देश-भक्त ने सारा धन दे दिया। उस नाते में अपने सरकारी मित्रों से अपील करता हूं कि आप भी देशभक्ति में नाम लिखाते हैं। समाजवाद में आपकी बड़ी निष्ठा है। आप उसे कार्य रूप में बताइये और आप इस बात को याद रखिये कि भाखरा में आपकी महरबानी से, आपकी लापरवाही से, आपकी अयोग्यता से, पूरा पानी नहीं आया। आप उस मामले में उस वक्त भी दिल्ली सरकार को लिखते कि हमारा पानी जितना आना चाहिये, नहीं आ रहा है, कम आया है। इस मामले का आप टेकल करते। आपने कहा भी कि हम टेकल कर रहे हैं। किसान देखता रहा, मेरा मन्त्री वहां बैठा है, कुछ करेगा। हम कहते हैं तो जवाब देते हैं कुछ करेंगे। अब आप लिखापढी करते हैं। १२ महीनों की फसल भाखरा क्षेत्र के किसानों की, गंग नहर के किसानों की, बरबाद हो गई, नौजवान बिटिया कंवारी रह गई तो कुछ तो कम्पेन्सेशन दीजिये। उनकी धरती उनकी खेती वैसे ही रह गई, उसका कुछ हरजाना तो दीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: काफी बातें कह दी आपने।

श्री हरदत्तसिंह: एक जरूरी बात और कहनी है, अध्यक्ष महोदय।

भाखरा क्षेत्र में जो सिंचाई होती हैं, उसके लिये अमरसिंह हैड पर मीटर लगा है, वह जो पानी का नाप बताता है उसके मुकाबले में पंजाब का मीटर जो वहां पर लगा है वह ५० ज्यादा बताता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंचाई मन्त्री इस पर ध्यान दें, कि हम पर ५० क्यूसेकस पर ड़े पर ओवर ज्यादा कंज्यूम करने का पंजाब सरकार अपने खाते में खताती है और मैंने इसके बारे में १५ नवम्बर ६३ को नहर में जब माननीय मुख्य मन्त्री जी मिले थे तो उनका ध्यान इस ओर दिलाया था। फिर जब सेशन में आया तब भी देखा तो वह मीटर ज्यों का त्यों लगा है कोई करेक्शन इसमें नहीं हुआ। पर जब हिसाब करना पड़ेगा, तो पचास क्यूसेक्स रोजाना का हमारे जिम्मे ज्यादा खताया हुआ मिलेगा। मैं फिर अपील करता हूं कि चाहे आपकी लागत लग जाय, अपनी लागत से भी उस मीटर को दुरुस्त कराइये। उनका गलत है तो उनके मीटर को दुरुस्त कराइये, अपना गलत है तो अपने को दुरुस्त कराइये।

(श्री हरदत्तसिंह)

एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। आपके इन्जीनियर गड़बड़ करते हैं। आपके एक अफसर पंसाली साहब हैं। उसने तो हमको मार दिया। एक एक पंसाली, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से इस पर जोर दे कर कहना चाहता हूं कि एक एक पंसाली तीन तीन और पांच पांच साल रहता है वहां पर। वह चक वाले को एक २ को जानता है और वह हर काश्तकार से पैसा वसूल करता है और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि ऐसा एक भी काश्तकार नहीं जो उस पंसाली को हर मौसम में सौ रुपया कम से कम नहीं देता हो। आप अन्दाज लगाइये कि कितना पैसा होता है यह। इस पैसे को यह सारा नहरी विभाग आपस में बांट लेता है। शिकायत भी हो जाती है तो प्रूफ मांगते हैं। उनकी चीजों का प्रूफ नहीं है ऐसी चीजों का प्रूफ मुश्किल है। फिर भी प्रूफ देता हूं। एस० डी० आर० नहरी है, भाखरा का एक नम्बर चक में काश्तकारों ने सौ घन्टे का पानी खरीद कर लिया। सुबूत चाहें तो दे सकता हूं। १०० घन्टे मुकर्रर किये हैं। औरों की महीने महीने तक टर्न नहीं आई, उनको १०० घन्टे का पानी बेच दिया।

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री, सिंचाई): कौन ऐसा था?

श्री हरदत्तसिंह: १०० घन्टे का पानी मुल जिमानो को देने के लिये .... आप (श्री दौलतराम सारण) गर्दन हिलाते है। मैं उस चक का काश्तकार हूं। मैंने पूल में पैसा दिया है।

श्री दौलतराम सारण: मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह: एक दो नहीं, सारे ही पंसाली ऐसे है। एक भी ठीक नहीं है। इसका मूल कारण बताता हूं। होता क्या है? बजाय इसके कि एक को पकड़े या सौ को पकड़े फर्क नहीं होने वाला है। अपने ही आदमी हैं, अपने ही जैसे हैं। इसका मूल कारण यह हैं कि जो आपने आउट लेट बनाये हैं सब छोटे बड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक नम्बर एस० डी० आर० से उसका जिक्र किया, तो उसने कहा कि उस आउट लेट को जो ४॥ इन्ची है अगर छोड़ा जाय तो उससे पानी डेढ डेढ मील दूरी पर जाता है, पर मैं बताऊं ४॥ इन्ची से कभी इतना दूर नहीं जा सकता। एक बार पंसाली को राजी करना बन्द करदो तो वह पानी देना बन्द कर देगा। पानी नहीं लगने देगा। और अगर पानी नहीं लगा तो आपके भरोसे तो लगान भी माफ नहीं हो सकता। तो मजबूर होकर उनको यह देना पड़ता है। इसलिये आपके द्वारा मैं मांग करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से, कि भाखरा की नहरों में कोई भी आउट लैट कहीं भी ६॥ इन्ची से कम नहीं होना चाहिये। अगर कम का होगा तो इन पंसालियों के कमाई का धन्धा ऐसे ही चलता रहेगा। ६॥ कर देंगे तो उनका यह धन्धा बन्द हो सकता है।

दूसरी एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, रिमोडलिंग होना चाहिये नहरों का। पानी आज सिंक हो सकता है। इसलिये बेंच को ठीक कराया जावे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जितने आउट लैट थे, जिनको आप मोगा कहते हैं

(श्री हरदत्तसिंह)
उनमें आप ए०पी०एम० लगावें। इसका मतलब होता है एडजस्टेबल प्रपोर्शनेट मीडियम।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (रायसिंहनगर): यह तो पुराना मोडल है।

श्री हरदत्तसिंह: नये मोडल जो है उनको फैक्टरी से मंगवा लीजिये और नहरी विभाग ने इसको रिकमन्ड किया है कि ए०पी०एम० हो।

श्री योगन्द्रनाथ हान्डा: मेरे पास फैक्टरी नहीं है, गोशाला है मेरे पास तो आप वहां भेज दीजिये।

घंटी

श्री हरदत्तसिंह: आखिरी बात और कह देता हूं। आपके जो एस०डी०ओज० हैं उनको आप कन्वेयेन्स के साधन नहीं देते। एक एक को पांच पांच और छः छः आउटलैट और रेगुलेशन पोइन्ट पर पहुंचाना होता है। इसलिये मेरी आपसे कर बद्ध प्रार्थना है कि एस० डी० ओज़ को कन्वेयेन्स के साधन जरूर आप दें और आखिरी बात यह कहता हूं कि अब तक तो अपने भाखरा की नहरों में उस व्यापारी का काम किया है जो एक लोटा पानी बीस को बांट कर कीमत वसूल करना चाहता है। अब आप उस नहर में पानी भी चलावें, भगवान आपका भला करेगा।

श्री विजयपाल कटारा (डुंगरपुर-सु०): मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या २६ पर है। आज आदिवासी एरिया में नहरें निकाली है, उसमें लीकेज होने से आसपास की भूमि बिलकुल खराब हो गई है। पक्का आप नहीं करावेंगे तो आगे के काश्तकारों को पानी पहुंचाने में आप असमर्थ रहेंगे।

मेरा निवेदन है कि विपग्न करोड़ में जापर पर कराड़ा के गंगवा साइड में नहर आई है। आगे जाकर उसमें धोरा निकाला गया।

उसके अन्दर सरकार ने हजारों रुपया खर्च किया, पर धोरों में आज तक पानी नहीं जा रहा है। वहां के काश्तकारों ने अपने श्रमदान के द्वारा इस वर्ष बड़ी मुश्किल से उसे ठीक किया है और पानी लाये हैं। पर जिसमें अनाप शनाप खर्चा सरकार ने किया है उसमें कम से कम यह देखना चाहिये कि जब बिना पैसे श्रमदान से उसमें जब पानी ले आये, तो क्यों नहीं सरकार पहले ही ठीक ढंग से सर्वे आदि करावे और नाजायज़ खर्चा रोके।

लेकिन इन कांग्रेसी नेताओं की सलाह से गलत तरीकों से सरकार खर्च करती है। इसका ठीक ढंग से उपयोग होना चाहिये। दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

और इसी वर्ष लीकेज होने की वजह से हमको सिर्फ एक ही पानी मिला और चार्ज पूरा पीवल का कर लिया। कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको वे देखें और आदिवासियों की सहायता करें, वे पीवल का बयाना भरने में असमर्थ होंगे। इसको पक्का बनाया जावे। बार बार मैंने प्रार्थना की, लोगों ने की, पर इसके लिये कोई सुनवाई नहीं करता। वहां के इन्जीनियर साहब से भी हम मिले। बातें की, पर वे फरमाते हैं मेरे पास कोई पैसा इसके लिये नहीं है।

(श्री विजयपाल कटारा)

आज करावड़े का फाटक एक फीट गहरा करने से आगे ज्यादा पानी मिलेगा और अधिक भूमि सिंचित होगी । नहर को पक्का भी बनाया जावे ।

दूसरा गजपुर टैंक ६३ में तैयार हो चुका पर एक बीघा जमीन भी सिंचित नहीं हुई है । इससे काफी नुकसान हुआ । काश्तकारों के घर में बीज और खाद पड़ा है । लोग पानी लेने को तैयार हैं । तो आप इसमें जल्दी करावें । गजपुर टैंक की नहर तालाब के साथ होती तो ज्यादा फायदा होता । पर सरकार गांव के लोगों के भले कामों की तरफ कम ध्यान देती है ।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि बाकरो बान्ध बन तो गया है, पर आज भी हजारों बीघा पर पानी की मांग है । बीज भी समय पर वहां उपलब्ध नहीं हुआ । पानी और खाद और बीज साथ साथ मिलते तो हजारों रुपयों की आमदनी हो सकती थी । इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि आदिवासी एरिया में सरकार जहां आदिवासी एरिया में तालाब बंधाती है वहां तालाब पूरी तादादमें और अच्छे बनवाये जावें । जहां इसकी गुंजाइश ही नहीं, वहां कुछ खुदवाये जावें ताकि महवा खाने वाले पहाड़ी आदिवासी गेहूं और चने को देख सकें ।

मुख्यमन्त्रीजी ने बताया कि आज ये आदिवासी महवा और चना खाकर अपना पेट भरते हैं तो यह आज प्रजातन्त्र में और समाजवादी समाज में अगर नहीं किया गया उनको नहीं उठाया गया, तो उनको समाजवादी समाज रचना वाले राज्य में अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है ।

दूसरा सुझाव है कि घोड़ी बान्ध दो हैं । ऊपरी हिस्सा में जो है उसको भी हाथ में लें । उस तालाब में जमीन जो डूब में जाने वाली है, सरकार ने मुआवजा भी दे दिया है पर आज तक बान्ध कम्प्लीट नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है । उसमें जो पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो सकता है । यह भी मेरा निवेदन है कि उसको हाथ में लिया जावे ।

बजट सेशन पर मैंने निवेदन किया था कि यह जो गोडिया बान्ध है, कोटिया बांन्ध है, दोनों आदिवासी एरिया में सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाले हैं । अब गोडिया बान्ध का पहले इलेक्शन के वक्त सर्वे किया गया था । बाद में बन्द कर दिया, तो इससे लोगों की भावना खराब होती है । गोडिया बान्ध के निर्माण से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है ।

दूसरा बादर बन्ध है । पांच लाख या छः लाख का इसका एस्टीमेट है । इसको भी शायद ६२-६३, ६४-६५ तक बजट में रखकर पूरा करेंगे । और यह बान्ध हाथ में लिया जायेगा, तो कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़ेगा । कोड़िया में भी कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़ेगा । दूसरे भी कई बांध हैं । आडक का सबसे बड़ा बांध है उसमें एक पाई भी नहीं देना पड़ेगी और नीचे जो आदिवासी एरिया है उसमें इनसे सबसे ज्यादा सिंचाई होगी । मेरा निवेदन है कि इन तालाबों को हाथ में लेकर अधिक से अधिक काम किया जाय । हमारे यहां की सबसे बड़ी पंचायत समिति बीचन्डा है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं दिया है । इस पंचायत समिति ने रक्षा कोष में सबसे अधिक पैसा दिया है और फर्स्ट नंबर में

(श्री विजयपाल कटारा)

आई है । ऐसी पंचायत समिति को ज्यादा पैसा देकर इस काम को क्यों नहीं उसके हाथ में दिया जाता जो निष्पक्ष रूप से फयदेबंद चीज है उसको हाथ में लेना चाहिये ।

दूसरी पंचायत समिति सीमलवाड़ा है उसको हजारों रुपये दिये गये हैं। पाईलेट प्लान भी चल रहा है लेकिन वह राजनीति का अड्डा है। वहां का जो विकास अधिकारी है, वह भी राजनीति के अलावा और कोई बात नहीं करता । यदि मेरे को कोई फार्म पेश करता है तो वह यह सवाल खड़ा करता है कि विजयपाल को तुमने वोट दिया है उसके पास जाओ, वही पैसा देगा । मेरे विरोध में जो खड़ा हुआ था रामचन्द्रजी वह वहां का प्रधान है । जितने भी मेरी तरफ के काश्तकार हैं, मेरे को जो सपोर्ट करने वाले है, उनको रुपये नहीं दिये जाते हैं उनसे लिखाया जाता है कि हमको वोट दोगे तो पैसा देंगे, नहीं तो देनेवाले नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष मैंने उनके टी.ए. बिल की फाइल पेश की थी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इस विकास समिति की बहुत शिकायत है फाइल के ऊपर है, लेकिन श्री भीखा भाई मिनिस्टर हैं, उनकी कांस्टिटयूएन्सी में यह ाया आता है । इस विकास अधिकारी का ट्रान्सफर वे शायद नहीं करना चाहते हैं मैंने कहा कि विकास अधिकारी का ट्रान्सफर किया जाय क्योंकि इसने राजनीति का अड्डा बना रखा है। दूसरे काम करने वाले हैं, उनका भी असंतोषजनक रवैया है। दफ्तर में काम नहीं, कागजों का ठिकाना नहीं। मेरा निवेदन है कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर अंकुश रखिये । जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले हैं उनसे इस्तीफा दिलाना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति का २५,००० रुपये देकर तालाब बनवाये जाते हैं लेकिन लोगों को श्रमदान भी देना पड़ता है । आदिवासी एरिया के कारण श्रमदान पूरा नहीं मिल पाता इसलिए तालाब अधूरे है । २५ हजार रु० तक के तालाब बनाये जाते है, तो कम से कम श्रमदान रखा जाय । अधिक से अधिक पंचायत समिति के बांध बनाये जायं, अधिक से अधिक काम पंचायत समितियों को दिया जाय और सरकार को पक्षपात की नीति नहीं बरतनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है ।

दूसरा निवेदन यह था कि पंचायत समिति डूंगरपुर है, वह भी सबसे आगे है उसको सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिये । वहां तलाबों की सबसे ज्यादा गुंजायश है । वहां के प्रधान आदिवासी हैं जो अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं, आदिवासियों में रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जहां स्वतंत्रपार्टी के प्रधान नहीं हैं, वहीं सबसे ज्यदा पैसा दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि पक्षपात नहीं करते हुए सबसे ज्यादा पैसा हमको मिलना चाहिये । वहां के आदिवासी लोग हैं उनके पीछे आज प्रजातंत्र में समाजवादी माज व्यवस्था के अन्दर यदि हम इन सब को नहीं उठा पायेंगे, तो भविष्य में क्या उम्मेद कर सकते हैं सरकार से, और यह सरकार बिल्कुल गरीबों के आधार पर चलने वाली सरकार है। गरीबों को लेकर चलने वाली है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका रवैया बदलता जा रहा है न मालूम क्यों? ज्यों ज्यों विरोधी पक्ष बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों काम करने की इनकी भावना कम होती जा रही है ।

(श्री विजयपाल कटारा)

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि ग्रादिवासियों के लिये सबसे ज्यादा काम किया, ज्यादा पैसा देने की कोशिश की तो हो सकता है कि ग्रापका ग्रासन ग्रौर भी ग्रागे बढ़े। हमें शासन से मतलब नहीं हैं, काम से मतलब है। मैं कहूंगा कि यदि ग्रापको ५,१० साल तक ग्रौर जिन्दा रहना है तो पक्षपात की नीति ग्रौर राजनीति को छोड़ दीजिये ग्रौर जो राजनीतिक ग्रखाड़ा कर रहे हैं, उनको दूर करिये।

दूसरी बात यह है कि प्रावधान रखा है कि सर्विसेज में ग्रधिक से ग्रधिक लोगों को लिया जाय, लगाने की कोशिश की जाय। हम समाज कल्याण विभाग को बार बार पुकार कर रो रहे है, लेकिन समाज कल्याण विभाग चुप होकर पड़ा हुग्रा है। क्योंकि हम उम्मेद करते थे कि समाज कल्याण विभाग भीखाभाई के पास है तो उसमें सुधार होगा, लेकिन फिर यह दासाहब के पास गया ग्रौर दासाहब इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इस विभाग को किसी ग्रच्छे मिनिस्टर को, ग्रादिवासियों में रुचि लेनेवाले के हाथ में दें, तो ग्रादिवासियों का उत्थान हो सकता है। लेकिन ग्रादिवासियों को इलेक्शन के टाइम में तालाब ग्रादि बनाने के या ग्रौर किसी वात के लिये ग्राश्वासन देकर वोट लेकर बैठ जाते हैं ग्रौर बाद में काम ठप हो जाता है। इसलिये इस सरकार के प्रति लोगों की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि काम की ग्रोर ग्रधिक से ग्रधिक ध्यान देकर ग्राप हमको बलशाली बनावे ताकि भविष्य में दूसरे कौमों का मुकाबला हम कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन था डूगरपुर में ग्रादिवासी एरिया के हजारों लोग ग्रहमदाबाद ग्रौर मौरवी जाकर काम करते हैं। यदि हमारे यहां उनके लिये काम होगा, तो हजारों लोगों को ग्रहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा ग्रौर वे ग्रपने घर में ही काम कर लेंगे। ग्राज वे लोग इसलिये बाहर जाते है कि डूंगरपुर में कोई ग्रच्छी फेक्ट्री नहीं हैं जो इनको धंधा दे सके। ग्राज सीमलवाड़ा में कॉटन फेक्ट्री ग्रच्छी तरह से चल सकती है। इसलिये यहां पर फेक्ट्री लगाकर ग्रादिवासियों को ग्रधिक से ग्रधिक राहत देने का प्रयत्न करें।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ग्रादिवासी क्षेत्रमें ग्रधिक से ग्रधिक काम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद।

श्री मूलचन्द (दौसा) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी सेवा में एक प्रस्ताव पेश करता हूं।

जमीन के लिए लोगों को पानी देते हैं लेकिन तहसील जमुवा रामगढ़ के बांध का पानी बंदकर दिया गया है। उसके कारण १५०० एकड़ जमीन यों ही पड़ी है। उसमें हजारों मन गल्ला पैदा होता ग्रौर क़ाश्तकारों को फायदा होता, लगान भी ग्रच्छा वसूल होता, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी देने के लिये साधन होने चाहिये। ग्राज तक इस जमीन से काश्तकार कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं ग्रौर बंजड़ जमीन पड़ी है। इसलिये सरकार से निवेदन है कि इस जमीन की सिंचाई करने के लिये छोटे मोटे तालाब बनाने चाहिये ग्रौर ट्यूबवेल ५,७ होने वाजिब हैं। जनता बहुत परेशान है। इस जमीन के वैसे ही पड़े रहने से सरकार को भी नुकसान हैं। वह जमींन बगैर सिंचाई के बेकार पड़ी हुई है।

(श्री मूलचन्द)

इस वजह से बारम्बार निवेदन है कि दौसा तहसील के इलाकों में पानी की पहले से बहुत कमी है, पानी की कमी के कारण अकाल के पड़ने से जमीन बेकार पड़ी हुई है और कुओं में बिजली नहीं है। हमने कुओं में बिजली देने की मांग की थी लेकिन सरकार ने कुओं में बिजली देने की ओर ध्यान नहीं दिया। कुओं के वास्ते बिजली देने का सरकार प्रावधान करे, इससे काश्तकारों का भला हो सकता है। पानी नहीं मिलने से दौसा डिस्ट्रिक्ट के किसान बरबाद हो जायेंगे इसलिए कुओं में बिजली देने की व्यवस्था करना आवश्यक है। वहां पर भैंसर के बांध की सर्वे सरकार करा चुकी है और सर्वे कराने के वास्ते गवर्नमेंट ने हजारों रुपये खर्च कर दिये हैं लेकिन तीन चार साल के बाद भी उस पर काम शुरू नहीं किया है। दौसा के आस पास के काश्तकारों के लिए भी पानी की बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आस पास के काश्तकारों को भी पानी देने की व्यवस्था करना वाजिब होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तालाब बनवाने की कोशिश करें और आस पास के कुओं को बिजली देने का ध्यान दिया जाय। इस तरह से बारम्बार निवेदन है कि काश्तकारों के वास्ते सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जायगा, तो काश्तकार कैसे पनप सकते हैं और कुओं को बिजली देने के वास्ते ध्यान नहीं दिया जायगा तो काश्तकारों की काश्त कैसे सफल हो सकती है। इस तरह से हमारी सरकार से निवेदन है कि भैंसरा का बांध है, यह बहुत पुराना बांध है। १९८१ में वह बांध फूटा था, वह पुराना बांध है। लेकिन अभी तक उसको नहीं बना पाये हैं। इसकी सर्वे हो चुकी है। इस बांध को बनाया जाय। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने को खड़े हुए)

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : मेरे लिए आज्ञा हुई है, आप बैठ जायं।

अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर आज लोगों को शिकायतें हैं, परेशानियां हैं तो वह चम्बल विभाग से हैं। यह बात सही है कि जब हमारे मंत्री जवाब देने लगें तब इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।

वह जवाब में जरूर कहेंगे कि वहां कोई तकलीफ नहीं है....

श्री नाथूराम मिर्धा, (सिंचाई मंत्री) : आपने रिप्लाई एन्टीसिपेट कैसे कर लिया ?

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : कोटा में गड़बड़ी इनके विभाग द्वारा नहीं, ये अक्सर कहा भी करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आज नहीं कहेंगे।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : कृषि का जवाब देते हुए यह फर्माया था। हालांकि उन्होंने मंजूर किया है कि चम्बल क्षेत्र में कई परेशानियां हैं -- किसान पानी से महरूम हैं, पानी आता नहीं है, धोरे नहीं खोले जाते हैं, माइनर टेल नहीं चलाई जाती, सीपेज होता है -- और आपने यह भी स्वीकार किया है कि चम्बल एरिया का पूरा डेवलपमेंट होने के लिए कम से कम आठ वर्ष चाहिए। आठ वर्ष के बाद ही सारा एरिया पूर्णतया डवलप हो सकता है। मैं समझता हूं कि जिस समय मंत्री महोदय इस बात का जवाब देंगे, तो वे इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं क्योंकि जब बैटरमेंट लेवी

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

का प्रश्न आया तब हम मंत्री महोदय को कहें कि जब आप यह महसूस करते हैं कि उस एरिया का डेवलपमेंट होने के लिए आठ वर्ष चाहिए, जब आठ वर्ष तक आमदनी की वृद्धि नहीं हो सकती, तो बैटरमेंट लेवी आज क्यों लगाने जा रहे हैं, आज वसूल कर रहे हैं, वह किस आधार पर कर रहे हैं ? इस मामले पर आप बोलें तो यह अधिकार अपने पास रखेंगे और कहेंगे कि कुछ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसका डवलपमेंट हो चुका है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील लाड़पुरा के अन्दर जितने गांव हैं, जिनके लिए राजपत्र के अन्दर घोषणा हुई है कि इन गांवों से बैटरमेंट लेवी वसूल की जायगी -- उन गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां ठीक स्थिति हुई हो और किसी प्रकार की समस्या उनके सामने उपस्थित नहीं है । तहसील लाडपुरा के गांवों में वही समस्या उपस्थित है जो कल थी और जो आज है वह आगे भी रहेगी, अगर सरकार उस पर ठीक तरह से ध्यान नहीं देगी तो ! आज भी सीपेज की समस्या है । जो नहर खुलनी चाहिए, वे नहीं खोली जातीं, कई माइनर टैल्स ऐसी हैं जो बन्द हैं, वाटर कोर्सेज पूर्ण रूप से नहीं खोदे हैं और जो खोदे हैं वे अपूर्ण हैं और उनका काम पूरा नहीं हुआ है ।

(१०. ५५ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन वाटर कोर्सेज से किसान अपने धोरों के द्वारा पानी ले जाते हैं तो पानी का लेवल खेत के लेवल के साथ न होने के कारण वाटर कोर्सेज के ऊपर होकर पानी निकल जाता है और उससे फसल को नुकसान होता है । इसके अलावा जितनी टेलें हैं वे रकबे के बीच में जाकर, जो काबिलेकाश्त है, छोड़ दी गई हैं और इन टेलो के ऊपर विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है । आज भी टेलों के अन्दर नहरें एक्सेस पानी बहाती हैं और सारा का सारा पानी टेलों के पास वाले खेतों की क्राप पर असर डालता है, खेतों में पानी फैल जाता है और पानी फैल जाने के कारण फसलों को नुकसान होता है । इस तरह कई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर सरकार को पूर्ण ध्यान देना चाहिए ।

आप मुआवजे के प्रश्न को लीजिये । यह प्रश्न गत दो वर्ष से मंत्री महोदय के सामने विधान सभा में रखते आये हैं और कई प्रश्न सम्बन्धित विधायकों, जो कोटा जिले से आये हैं, ने रखे हैं लेकिन इस मुतल्लिक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुआवजा देने का तरीका है वह सारा का सारा बिल्कुल गलत तरीका है । आज सरकार या मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते सदन में खड़े होकर कि फलां माइनर का मुआवजा या इतने माइनर का मुआवजा सारे किसानों को चुका दिया है । माइनर्स को छोड़िये, अगर एक गांव के लिए भी कह दें कि फलां गांव का मुआवजा उन सारे किसानों को दे दिया है । लेकिन मेरे ख्याल से इस पोजीशन में हमारे मंत्री महोदय नहीं हैं । अब इसके अलावा मुआवजा बेढन्ग से दिया जाता है, जो व्यक्ति आफिस में जाकर ऑफिसरान को एप्रोच करके केस को सुलझवा लेता है, उसका केस सुलझ जाता है । जो गरीब हैं, जिनको जानकारी

[redacted]

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

नहीं हैं जो सम्बन्धित अधिकारी तक एप्रोच नहीं कर सकते उनके मुआवजे का प्रश्न आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजा न मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे ईरिगेशन विभाग द्वारा एवार्ड इश्यू होने के बाद, नहरें खोदी जायं -- ऐसा तरीका है; लेकिन एवार्ड इश्यू नहीं हुआ और हो -- इसका इन्तजार न करते हुए हमारे ईरिगेशन विभाग ने मनमाने तरीके से नहरें खोदी। वहां के लोगों ने, यह बात सही है, बड़ी नम्रता के साथ विभाग और सरकार को निवेदन किया लेकिन एवार्ड न होने के बावजूद भी ईरिगेशन विभाग ने नहर खोदने के लिए अलाऊ किया। फिर भी वहां की जनता ने नहरें खोदने दीं। लेकिन उसका इनाम यह मिला कि चार चार साल के बाद भी एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो रास्ता है गांव का, वहां से नहरें निकल जाने के कारण वे रास्ते बन्द हो गये हैं। उन पर कोई पुलिया नहीं बनाई है। साथ ही खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि नहरें ऐसी हैं कि जो पानी जायगा, वह नीचे जायगा और खेतों में पानी पहुंच नहीं पाता। इसलिए फाल बनाने चाहिए। डिपार्टमेंट ने फाल बनाना तय कर लिया है लेकिन नहरों में फाल नहीं बनाया गया है। जितने रास्ते हैं और जितने आवागमन के साधन हैं वे बन्द हो गये हैं। पानी ने रास्ते को क्रोस किया है और जहां क्रोस किया है वहां पाइप नहीं लगाया गया है, और किसी प्रकार से रास्ते का प्रोटेक्शन हो, इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सीपेज के कारण जो मेन कैनाल का पानी फॉल होता है, उस सीपेज के पानी को दो-- तीन नदी नालों में डाला है। राइट बैंक सीपेज के पानी को चन्दलोई नदी में डाला है। इस कारण जो नदी चार-- पांच मास बहती थी, वह आज बारह मास चलती है और उसके अन्दर पांच फीट गहरा पानी चलता है। इस कारण आज गांव के आवागमन के रास्ते बिल्कुल बन्द हो गये हैं। इसके साथ ही मानस गांव, लाडपुरा पंचायत, ने सुल्ताननगर के चार्ज लोड पर पुलिया बनानी चाहिए और रास्तों को चालू रहना चाहिए, इसके लिए मांग की है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया है। वरांडी नाला तहसील दीगोद में निकला है, वह नाला पांच फीट गहरा बहता है, कुछ गांव की आबादी और खेत के रकबे इसके बीच में आने के कारण लोग बागों को अपने खेतों से फसल गांव तक ले जाने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। वे बड़ी मुसीबत अनुभव करते हैं और उन लोगों को खेत जोतने में बड़ी मुश्किल होती है। वहां के लोगों ने अधिकारियों से बात की है, दरख्वास्त की है। चम्बल के ईरिगेशन के अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से बात की है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है...........

(११·०० म० पू०)

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत सुलतानपुरा की मीटिंग हुई उसमें हमारे जोइन्ट डाइरेक्टर, और ईरिगेशन के दूसरे अधिकारियों ने वहां के लोगों को पंचायत समिति एरिया में लाइन खोद कर यह बताया कि इस एरिया में गन्ना और बगीचे की खेती की जावेगी, तो वाटर लोगिंग होने को

Page No. 77

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

संभावना है और इस कारण इस एरिया में गन्ना और बगीचे की फसलें नहीं बोई जावें । इसके लिये लोगों को मना कर दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जहां वाटर लोगिंग होने की संभावना है वहां पर बेटरमेंट लेवी नहीं लगाई जावेगी । मैं यह कहूंगा कि अगर आप इस पंचायत क्षेत्र में बेटरमेंट लेवी लेना चाहेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि फिर कोई इलाका नहीं रहता जहां लोगिंग होता है और आप बेटरमेंट लेवी ले रहे हैं । वहां के लोग गन्ने की फसल नहीं करें और बगीचे की फसल नहीं कर सकें तो उस इलाके में किस प्रकार से बेटरमेंट लेवी होगी, मैं नहीं समझ सकता ।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बाद में श्री भैरोंसिंहजी बोलने वाले हैं । मुझे १० मिनट का समय मिला है ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के लोग पानी अपने मनमाने ढंग से छोड़ते हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है । इसके अलावा सरकार ने पिलाई के टारगेट फिक्स कर दिये हैं कि इतनी पिलाई होनी चाहिये । इससे किसानों पर बहुत बड़ा आघात हुआ है । इरिगेशन विभाग के लोगों ने जबर्दस्ती पाइप खोल कर किसानों के खेतों में पानी दिया है । इससे उनको बहुत नुकसान हुआ है । कहीं फसलें खराब हो गईं । इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि चम्बल के पानी से एक खेत जिसका एरिया ३० बीघा था, चम्बल के पानी की पिलाई होने के बाद उसको ४० बीघा दर्ज कर दिया गया, पिलाई में ३० बीघा खेत को ४० बीघा दर्ज किया गया । यह एक बहुत बड़ा चम्बल के पानी में गुण हुआ । इसके अतिरिक्त एक खेत तीन बीघा और कुछ बिस्वा रेवेन्यू के रेकार्ड में बंजर दर्ज हैं क्योंकि उसमें नहर का पानी आ गया । उसमें गेहूं और जौ की खेती दर्ज कर दी गई और वह लहराने लगा । इस प्रकार का चम्बल का प्रभाव है तो फिर मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर बंजर जमीन है वहां पर ले जाकर चम्बल का पानी टैंकियों द्वारा लेजा कर उन खेतों में छिड़का जावे ताकि १० बीघा से वह खेत बढ़ कर ५० बीघा हो जावे और अन्य भी जहां पर कुछ नहीं होता हो, तो वह भी ज्यादा पैदा होने लग जावेगा और अन्न की समस्या है, वह भी दूर हो सकती है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मीडियम, मेजर और माइनर इरिगेशन सब पर एक साथ बहस चल रही है । इन तीनों के संबन्ध में मैंने कट मोशन्स दिये हैं ।

एक ओर तो आपकी गन्ग नहर जो सीमेन्टेड लाइन्ड का क्षेत्र है और दूसरी ओर चम्बल का क्षेत्र है जहां पर वाटर आउटलेट्स बहुत कम हैं । वाटर आउटलेट के अभाव के कारण राजस्थान में मेन नहर के टूटने का खतरा रहता है और इरिगेशन विभाग का भी यह मत है कि इसकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मेन केनाल को वस्ट होने से बचाने के लिये इसमें वाटर ग्राउट लेट्स हों। एक तरफ तो ग्रापकी यह समस्या है ग्रौर दूसरी ग्रोर ग्रापकी जितनी नहरें हैं, उनमें बराबर पानी नहीं ग्राता।

उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही समस्यायें ग्रपने ग्राप में बहुत जरूरी हैं ग्रोर इन दोनों ही समस्याग्रों के सम्बन्ध में मेरा ग्रौर मेरी पार्टी के विचार हैं वे मैं ग्रापके सामने रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर हम बजट के ग्रांकड़ों को देखें जो हमने सिंचाई के लिये लिखे हैं ग्रौर जहां हमने कटौती की वहां इन ग्रांकड़ों में भी हमने बहुत बड़ी कटौती की है। हमने ८५.१० करोड़ मीडियम ग्रौर माइनर ईरिगेशन के लिये रखे जिसमें से ३८,००० लाख राजस्थान केनाल के लिये रखे ग्रौर २५,००० लाख पांग डेम के लिये रखे। ग्राप यह कहते हैं कि हमने दूसरे खर्चों में कमी की है। लेकिन हमने राजस्थान केनाल के खर्चे में कोई कट नहीं किया है ग्रौर ग्रगर किसी में कट किया है तो मीडियम ग्रौर माइनर इर्रिगेशन के खर्चों में कमी की है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हम हमारे पहले दो सालों में ०.६१ लाख एकड़ एरिया को सिंचित किया है जबकि हमारा टार्गेट ४.३१ लाख एकड़ का कुल पांच साल की योजना के ग्रन्दर था। तो इस हिसाब से हमारा टार्गेट बहुत स्लो चल रहा है जिसको देख कर कुछ खेद होता है। ग्रभी भी हमारे पास ग्राखिरी वर्ष के लिये करीब दो लाख एकड़ का टार्गेट पूरा करना बाकी रह जावेगा इसका मतलब यह हुग्रा कि चार वर्षों में जिस टार्गेट पर हम पहुंचेंगे वह हमारे टार्गेट का ५६ परसेन्ट होगा ग्रौर ४६ परसेन्ट फिर भी इन्कम का टार्गेट पूरा करने के लिये रह जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्रोर जब हम कहते है कि हमने राजस्थान केनाल के बजट में कोई कटौती नहीं की ग्रौर दूसरी ग्रोर राजस्थान केनाल की प्रोग्रेस की स्थिति को देखें ग्रौर जो काम हुग्रा है उसको देखें तो हमको मालूम होगा कि ग्रभी तक जितना काम हमको करना चाहिये था वह नहीं कर पाये हैं। ६० मील केनाल तैयार करनी थी, ३८ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। हमने ५ वर्षों में ८ करोड़ कम रुपया खर्च किया ग्रौर ग्रभी तक ३८ मील ही काम पूरा कर पाये है, ऐसा हमारे इन्जीनियरों की रिपोर्ट से मालूम होगा। यदि ग्राप राजस्थान केनाल से होने वाली सिंचाई के ग्रांकड़े देखें, तो ग्रापको मालूम होगा कि पिछले वर्ष जितना टार्गेट सिंचाई का हमने रखा था वह नहीं कर पाये। पिछले वर्ष हमने ३६ लाख एकड़ सिंचाई का टार्गेट रखा था लेकिन ग्रभी तक २८.७५ लाख एकड में ही सिंचाई कर पाये हैं। खरीफ ग्रौर रबी के लिये हमने ४६ लाख ग्रौर ८० लाख कल्टीवेटेड एरिया का टार्गेट रखा था मगर वह भी टार्गेट पूरा न कर पाये। इसके ग्रलावा राजस्थान केनाल की खुदाई ६० मील तक करानी थी, वह भी खुदाई नहीं करा पाये। मैं यह कहूंगा कि ग्रगर ग्रर्थ वर्क के ग्रांकड़ों को देखें ग्रौर राजस्थान केनाल का श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के कर कमलों से उद्घाटन हुग्रा, उसके बाद उस समय से लेकर ग्रब तक कितनी खुदाई की गई है ग्रौर कितना कार्य किया गया है, उसको देखें तो ग्रापको मालूम होगा कि इन ६ वर्षों में जितनी खुदाई हम कर पाये हैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उस हिसाब से हम ३।।। मील प्रति वर्ष खुदाई करा पाये हैं और जितनी हमको खुदाई करानी चाहिये थी उन आंकड़ों से मिलावें तो ये आंकड़े मेल नहीं खाते। इसके अलावा राजस्थान केनाल में जहां हमको २५,३७३ लाख क्यूबिक फीट मिट्टी खोदनी चाहिये थी, वहां हमने ७,३७१ लाख क्यूबिक फीट मिट्टी खोद पाये हैं। यह टोटल का २६ परसेन्ट रहा।

जहां डिस्ट्रिब्यूशन, सिस्टम ग्रॉफ ग्रर्थ वर्क है, २५,००० क्यूबिक फीट डालना था वहां ६,६४७ लाख क्यूबिक फीट ही किया जो २८ परसेंट टोटल का होता है, यह बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है। फिडरीज का अधिक काम किया, वह अलग बात है। राजस्थान केनाल के सारे कार्य को देखा जाय, तो बड़ी शिथिलता रही है।

राजस्थान केनाल के वर्कशॉप को देखा जाय तो कोन्टिनेन्टल चैन ट्रेक्टर्स ४०,००० माइल चलने चाहिये और २० हजार माइल चलने के बाद उनकी रिपेअर्स होनी चाहिये, पर ४०० माइल चलने के बाद ही उनको खोल दिया गया। आप जाकर देख सकते हैं– दो करोड़ रुपये की मशीनरी हनुमानगढ़ के वर्कशॉप में बेकार पड़ी हुई है, ५०००कुल मशीनरीज हैं उनमें से ५० मशीनरी ऐसी हैं जो वर्किंग ग्रॉर्डर में हैं। रणजीतपुरा की पोखर के अन्दर ५,००,००० रु० की हैवी मशीन गिर पड़ी, वह एक साल तक रणजीतपुरा की छापर में पड़ी रही। रणजीतपुरा के गांव वालों ने बार बार दरख्वास्तें दीं कि वहां से मशीनरी को हटाया जाय, वहां के लोग छापर का पानी नहीं पी सके एक साल तक। हनुमानगढ़ के वर्कशॉप में एक्स.ईएन. और एस.ई. नहीं थे। एक्स.ईएन. का अभी अभी अपोइन्टमेंट हुआ है और एस.ई. का अपोइन्टमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है।

ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब कि हेवी मशीनरीज के टायर खरीद लिये गये। इन मशीनरीज के टायर्स मशीनरी की कीमत से ज्यादा कीमती होते हैं, वे टायर्स क्रेक थे। इन्जीनियर्स ने रिपोर्ट की कि टायर्स क्रेक हैं इनको यूज नहीं किया जाय। पर उन क्रेक टायर्स को यूज किया गया और इस तरह से हजारों रुपये का नुकसान हुआ। मसीताली रेगुलेटर की बात रखूं। वहां पर एक्सपर्ट डिजाइन अभी तक नहीं बना है। ओवरसियर और कॉन्ट्रेक्टर के का झगड़ा चलरहा है। इसे दबाया जा रहा है कि कॉन्ट्रेक्टर के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाय। एस०डी० ओ० ने कम्प्लेन्ट की है कि कन्ट्रेक्टर ने सैन्ड के बजाय क्ले लगाया है। कहां आर० डी० लेवल बैठ सकता है, एक बैंक से दूसरा बैंक नहीं मिलता है। वहां लाखों रुपयों का घोटाला है। रणजीतपुरा सब डिवीजन को ले लीजिये वहां सैंकशन्ड अमाउन्ट से, एस्टीमेटेड एक्स्पेन्डीचर से २३ परसेंट अधिक हुआ। नेचुरल लेवल से दो फीट ज्यादा मेजरमेंट दे दिया गया, सुरतगढ़ सब डिवी-जन के डेजर्ट सेक्शन के पास खास कर आप जांच करा सकते हैं, यह रेकार्ड में मौजूद है कि शिवदयाल कॉन्ट्रेक्टर को एक्स. ईएन. कालेरा ने ४५ पर्सेंट एक्स्ट्रा पेमैन्ट कर दिया, ४० हजार का गबन था, एस.ई.गंगानगर ने कहा कि फीता ज्यादा खिंचा गया था, उसके यह सब कुछ करने के बाद भी ६ पर्सेंट एम्बेजलमेंट मौजूद है। जो रेकॉर्ड में ४५ पर्सेन्ट का गबन था

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसको एस.ई. ने घटा कर ६ पर्सेन्ट पर ला दिया है, लेकिन ६ पर्सेन्ट एम्बेजलमेंट को वह आज भी स्वीकार करता है। जगह जगह से एम्बेजलमेंट की खबरें आ रही है। तलवाड़ा डिवीजन में ५० हजार ईंटे चोरी चली गई। एफ०आइ०आर० ईरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने नहीं की, वहां के सरपंच ने की। राजस्थान केनाल का निर्माण कर्ता सपरिवार रात को सिनेमा....

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री): मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कटौती के प्रस्तावों के सिलसिले में ही मुद्दें उठावें वे जो अपने मुद्दे उठा रहे हैं वे अपने कटौती प्रस्ताव का नम्बर भी दे दें जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने कौनसा मुद्दा उठाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा कटौती प्रस्ताव स्पष्ट है। जो राजस्थान केनाल में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य शिवदयाल कॉन्ट्रेक्टर की बात कहते हैं, अगर कटौती प्रस्ताव में नाम लिख देते तो मैं जानकारी कर के अपने जवाब में उसका उत्तर दे सकता। जनरल बात भ्रष्टाचार की कर देते हैं और इस समय प्रश्न उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो मेरे लिये यह संभव नहीं कि इतने थोड़े समय में सारी जानकारी कर के, सदन के समक्ष रख सकूं। इसलिये स्पेसिफिक बात उसी तरह की कहें जिसका कट मोशन्स में उल्लेख है। कटौती प्रस्ताव का मतलब ही यह होता है कि पोइन्टेडली कहा जाय ताकि पोइन्टेडली ही उसका जवाब दिया जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान केनाल में भ्रष्टाचार के बारे में कट मोशन रखा है। मैंने एक साल पहले भी यह तथ्य यहां रखे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल पहले मेरे पास यह विभाग ही नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सुन लीजिये। उस समय भी मन्त्री महोदय ने कहा था पर एक साल में कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया। इस बजट सेशन में कुछ तथ्य जो मेरे पास आये, उनको जोड़ कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। मन्त्री महोदय, इनकी जांच करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच अभी नहीं की जा सकती। पोइन्टेडली मुद्दे उठा लेते तो पहले जानकारी करके जवाब दिया जा सकता था। जनरल तरीके के भ्रष्टाचार की बात कह दें और स्पेसिफिक बातें आज सदन में रखते हैं तो वह कट मेशन्स की मंशा नहीं हो सकती। कटौती प्रस्ताव का मकसद है उसको माननीय सदस्य समझें और उसके मुताबिक ही बात करें, तो सदन में बात बेसिक तौर पर चलेंगी, उनका सही उत्तर भी आ सकेगा। पर एट रेंडम मुद्दे रख दें, तो मेरे लिये संभव नहीं होगा कि मैं उनका उत्तर दे सकूं और उत्तर नहीं दे सकूं तो बहस अनिर्णीत ही रहती है और जो असर उस बहस का होना चाहिये, वह असर नहीं रहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भ्रष्टाचार के बारे में वेग टर्म पर रख देने से कुछ नहीं होता है। मैं बड़े गम्भीर मुद्दे रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में साधारणतया जो होना चाहिये, उसका संकेत दे देता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

कटौती प्रस्ताव इसीलिये रखे जाते हैं कि कोई खास बात हो उसको सरकार के सामने लाया जाय। अब जिस प्रकार से आपने कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र है, केनाल का भी जिक्र है, तो अगर आपको किसी विशेष ही भ्रष्टाचार की तरफ संकेत करना है तो उसी विषय पर कट मोशन रखना चाहिये था। क्योंकि यह तो मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार के विभाग अलग अलग हैं और उस पर्टीक्यूलर विषय की जानकारी जो खास तौर से बिना कट मोशन में संकेत किये उठाया जाय उस पर्टीक्यूलर विषय की जानकारी सरकार को एकदम हो जाय यह संभव नहीं है तो ऐसी दशा में कोई खास विषय उठा कर उस पर कुछ कहेंगे तो उसका बराबर जवाब नहीं आ पायेगा तो वह भी ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आगे भी इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव रखे जायं तो उस विशेष बात का भी जिक्र कर दिया करें ताकि जिन विभागों से जानकारी करनी है, वह जानकारी करने में सहूलियत रहे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : यह जिक्र करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इस तरह के स्पेसिफिक करप्शन के प्रश्न उठाये जायें तो ड्यू नोटिस होना चाहिये। करप्शन एक जनरल टर्म है, इसलिये इस प्रकार के मुद्दे उठाये जायं जैसे शिवदयाल कॉन्ट्रेक्टर का भी मामला रखा गया कि ६ परसेंट करप्शन किया है तो इस प्रकार के मुद्दे उठाने से पहले सरकार को ड्यू नोटिस होना चाहिये ड्यू नोटिस के अभाव में उपयुक्त उत्तर इस सदन में नहीं दिया जा सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : यही बात मैंने रखी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं मंत्रीजी की परेशानी को समझता हूं और आपके द्वारा कही गई बातों के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कुछ गंम्भीर तथ्य बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सदन के सामने ला रहा हूं और मैं इस रूप में ला रहा हूं जैसे आप चाहते हैं। राजस्थान कैनाल योजना हमारे देश की एक आशा है। मैं यह भी चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल योजना पर जो राशि खर्च की जा रही है उसमें अधिक से अधिक भारत सरकार की राशि हो। आज माधोपुर बियास या पोंग डेम के सम्बन्ध में या हरबा बांध के सम्बन्ध में ५४ करोड़ की राशि जो हमारी जमा पड़ी है, जिसमें से राजस्थान कैनाल के हिस्से में से ६३,५०,००,००० की घोषणा करने के बाद केवल २७ करोड़ रुपए हमें भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं और उसकी ८० लाख एकड़ धरती सिंचित होने वाली ऐसी योजना के बारे में जब शिथिलता बर्ती जाती है तो कष्ट होता है उन लोगों को जो प्लान्ड इकोनॅामी में विश्वास करते हैं।

आज हम चाहते हैं कि देश में अधिक से अधिक निर्माण हो। तो मैं उसी सम्बन्ध में कुछ केसेज आपके सामने रखना चाहता हूं जिनकी आप इन्क्वारी करा लीजिए। राजस्थान केनाल में शिथिलता और भ्रष्टाचार किस प्रकार स्पष्ट है यह हमें कुछ दिन पहले इंजीनियरों के सम्बन्ध में अखबारों में पढ़ने को मिलता था। बाकायदा सरकार को जानकारी है। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने इन्क्वारी की। गंगानगर सिनेमा हाल के बाहर उनकी जीपें पकडी

(श्री योगन्द्रनाथ हांडा)

गई। अभी सरकार ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पेट्रोल का राशन कर दिया है। मैं स्वयं उच्च अधिकारी से मिला कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पेट्रोल का राशन कर रहे हो, उनको तो किसी भी समय कार्य पर जाना पडता है, किसी भी समय कैनाल का ब्रीच हो जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एस. डी. ओ. इन जीपस का मिसयूज न करें और इस योजना में किसी प्रकार की शिथिलता न आए।

राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में इतना कहने के बाद मैं कुछ गंग कैनाल और भाखरा कैनाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और इसके साथ ही चंबल कैनाल के सम्बन्ध में कहूंगा। इस वादविवाद में जो मेरे १० मिनिट खराब हो गए कृपया वे मेरे समय में से निकाल दें। गंग कैनाल के सम्बन्ध में थोड़े दिन पहले ही मुख्य मंत्रीजी ने एक बयान सदन में दिया था कि भाखरा क्षेत्र के अन्दर जो बाढ़ प्रति वर्ष आती है जिससे करोड़ों की क्षति होती है, अभी पंजाब सरकार के द्वारा लिसाड़ा ड्रेन जिससे हमारे एरिया के बाढ़ग्रस्त होने की संभावना है, उसका जिक्र किया था। मैंने गवर्नर की स्पीच के समय भी गंग कैनाल की समस्या को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया था तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अपने जोन की मीटिंग के अन्दर इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया है और पंजाब सरकार से हमने इस संबंध में बातचीत भी की है। मैंने १४–१५ अक्टूबर १९६३ को होने वाली नॉदर्न जोन की मीटिंग के एजेंडा को अच्छी तरह से देखा है और उसकी सारी कार्यवाही को भी पढ़ा है। उसमें मुख्य मन्त्री उपस्थित थे, श्री प्रतापसिंह कैरों, पंजाब के मुख्य मन्त्री भी थे। श्री गुलजारीलाल नन्दा भी थे। कुल उपस्थिति ११ थी। वह सारा का सारा ऐजन्डा मेरे पास है। इसमें कहीं भी गंग कैनाल के संबन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई जिक्र लिसाड़ा ड्रेनेज का इस मीटिंग के अन्दर नहीं हुआ है जब कि मुख्य मन्त्री ने कहा कि हमने नॉर्थ जोन की मीटिंग में इसका जिक्र किया। यह मीटिंग उस समय हुई जबकि ईस्ट कैनाल का पानी बन्द हुआ- १५ अक्टूबर के बाद नहीं चल सकता। जब कैनाल बन्द हुआ था उसी दिन नॉर्थ जोन की मीटिंग हुई थी। उस समय गंग कैनाल, भाखरा क्षेत्र या लिसाड़ा क्षेत्र की कोई बातचीत नहीं हुई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): आपके पास जो सूचना है....................

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप अपने भाषण में कह दें। इस एजेन्डा की कॉपी को सदन की मेज पर रख लें। आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आप उस मीटिंग में हाजिर थे?

श्री भीमसेन: मैंने प्रोसीडिंग्ज देखी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैंने भी प्रोसीडिंग्ज देखी हैं। इसमें गंग कैनाल के बारे में कोई वाद-विवाद नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: डॉक्यूमेंट आप सदन की मेज पर रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: प्रोसीडिंग्ज भी रखवा लीजिए। मुख्य मंत्री द्वारा सदन की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
मेज पर रखी गई थी जो इस समय लाइब्रेरी में है ! मैंने गंग कैनाल के संबंध में एक बात की । आज गंगानगर जिले के अंदर दो गम्भीर स्थितियां हैं । एक ओर गंगानगर जिले के बाढ़ के पानी से करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है और दूसरी ओर गंगानगर की हरियाली प्रायः लुप्त हो चुकी हैं । खेती आस-पास हो चुकी है । १५ हजार एकड़ जमीन पर कपास की खेती पैकेज प्रोग्राम के तहत हुई है, वह पानी सूख गया और पैकेज प्रोग्राम गंगानगर के अन्दर पूर्ण रूप से लुप्त हुआ । एल. एम. पी. कैनाल के एरिया में छपरों के अन्दर पानी नहीं । उसी एल० एम० पी० कैनाल के अन्दर पानी छोडा गया जिस दिन मैं उपस्थित था तब आया, उससे पहले कई महीनों से नहीं आया । रिडमलसर मंडी में पांच हजार से ऊपर पापुलेशन है । इसी तरह बीन्ज बेला में भी ५ हजार पापूलेशन है । पांच पांच हजार की पापुलेशन के गांवों के अन्दर पीने के पानी का अभाव था । बींज बेला के अभावग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने गांव में पानी का एक एक घड़ा ४-४ आने में लाए । जहां पीने के पानी का अभाव है और नहरी क्षेत्र के लोग भी पांच पांच दस-दस मील से पाने लाते हैं, दूसरी ओर लगातार बाढ़ों के जरिए यह क्षेत्र डूबता जा रहा हैं, दो स्थितियां है एक तो प्री-इन्डो-पाकिस्तान ट्रीटी, और दूसरी स्थिति जो उसके बाद पैदा हुई । अगर इस संबंध में राय बहादुर बिहारीलाल ने जो अपनी रिपोर्ट के अन्दर आंकड़े दिए हैं उसको देखें तो आपको पता चल जायगा कि ये आंकड़े सन् १९४५ के हैं । उन्होंने १७ साल-१९४५ से पहले का एवरेज निकाला है जिसमें उन्होंने कैनाल के एवरेज क्लोजर्स १५५ निकाले हैं । उस समय एब्जॉर्शन बहुत अधिक था जब कैनाल की नई स्थिति थी । छोटे छोटे मैंन कैनाल भी उठते थे और कैनाल के फीडर्स और ब्रान्चेज भी उठती थी । क्लोजर्स के आंकड़े देखें । १९५९ से किसी भी एरिया का क्लोजर ले लें । एल० एम० पी० ७८ डेज, ८२ डेज, १०३ डेज-१९६० के आंकड़े । १९६१ में १८० डेज और १९६ डेज किसी भी ब्रांच या किसी भी फीडर के क्लोजर्स आप ले लें । १९५७-५८ से लेकर १९६१-६२ तक के आंकड़े मेरे पास हैं । ये क्लोजर्स लगातार बढते जा रहे है और आज १९६३-६४ के अन्दर राय बहादुर बिहारीलाल के दिए ५५ डेज के आंकड़े क्लोजर्स के उनको एवरेज २०० डेज के करीब या १७५ डेज के करीब आज के दिन पहुँच चुके हैं ।...

उपाध्यक्ष महोदय, १९५९ के आंकड़े आपके सामने पेश किये ।

श्री दौलतराम सारण (उप मंत्री, सिचाई) : यह कौनसी कैनाल का रख दिया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एल० एम० पी० कैनाल का । मेरे पास सारे आंकड़े है, आप चाहें तो सदन की मेज पर रख दूंगा । वैसे आपके पास भी होंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पिछले वर्ष के भाषण में भी थे । दुबारा पढेंगे तो मिल जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि दो स्थितियां इन्डो–पाक ट्रीटी से पहले की हैं। इन्डो–पाक ट्रीटी के बाद गंग कैनाल बचत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की कैनाल बन गयी । जो समझौता हुआ था ब्याज का, खरीफ और रबी का पर्सेन्टेज तय किया १६ खरीफ और २१ रबी की प्राप्त हुई खरीफ के महीने के अंदर जो १६ पर्सेन्ट प्राप्त हुआ उसमें हमारा और ईस्ट कैनाल का था । आधो आध आ जाता है । १५ नवम्बर के बाद कैनाल रन नहीं करती है लेकिन सतलज का वाटर दे दिया-एक मजाक किया । लोअर ब्रिचेज में प्रश्न ही नहीं उठता । रबी और खरीफ में पर्सेन्टेज तय किया ६५० और ६५० क्यूसेक्स कोई पर्सेन्टेज प्राप्त हो या न हो यह हमें हर हालत में देना पड़ता है । इसे कॉन्सटेण्ट देने से गंग कैनाल को एक एस्केप कैनाल बना दिया । अब तो स्थिति यह पहुँच गई है कि १५ अक्टूबर के बाद भी रन करती है ईस्ट कैनाल १५ जनवरी को क्लोजर आपके इन्जीनियर मानते हैं । सिल्ट क्लीयरेन्स के लिए यह मानते हैं । लेकिन पंजाब सरकार १५ जनवरी को क्लोजर नहीं देती है और वह ३० जनवरी को क्लोजर देती है । सारी फसलें फ्रोस्ट से नष्ट हो जाती है । १५ जनवरी को क्लोजर मिल जाता तो फ्रोस्ट की जो लहर चली उससे बच सकते थे । लेकिन जिस समय फ्रोस्ट की लहर चल रही थी हमारा क्लोजर चल रहा था और हम सिल्ट क्लीयरेन्स कर रहे थे, डिस्टिलिंग करा रहे थे, गंग कैनाल की रिपेयर करा रहे थे जिसके कारण हमारी फसलों को तबाह कर दिया । और उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद पंजाब ने लगातार हमारे पानी को रोका । उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी गंग कैनाल के गेज को देखें तो जो पानी हमको दिया है, एक मजाक किया है । १२०० क्यूसेक्स आता है । तीन घंटे के अन्दर ३०० क्यूसेक्स ड्रॉप हो जाता है । और एक घंटे में जीरो ड्राप हो जाता है । मैं माननीय इरिगेशन मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के ग्राफ गेजेज को सदन की मेज पर रखें ताकि मालूम हो कितने वेरियेशन्स हुए हैं । जो पंजाब ने दिया उसको रिलीज किया और एकदम उसको बन्द कर दिया या ड्रॉप कर दिया । रोटेशन नहीं रख सके । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अधिक समय नहीं लूंगा किन्तु एक दो महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत जरूर करना चाहूंगा । मेरी पार्टी का समय है । मैं इतना अर्ज कर दूं कि इसके बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि इन्जीनियर्स उसके रोटेशन को मेन्टेन कर सकें । थ्री गेजेज रेगुलर रोटेशन के हों तो बात हो सकती है । उस वक्त इतने फ्लक्चुएशन्स हुए हैं । गंग कैनाल का १२०० पर पानी चल रहा था एल० एम० पी० कैनाल में पानी नहीं था लेकिन उसके साथ चलने वाला डाबला का एस्केप उसमें चल रहा है । एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स रोटेशन को मेनेज करते हैं उनकी इनएफिशियेन्सी थी । इन्जीनियर्स को आज कठिनाइयां महसूस हो रही हैं । हम उनकी कठिनाइयों को महसूस करते है । उनका वह रोटेशन गलत था ।

इसके साथ साथ मैं लोकल डिफिकल्टीज की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा शोर्टेज दो चीज अवश्य हुई । पानी की हुई है । कैनाल में काफी कट हुये हैं । मेन कैनाल में जीवनदेसर के पास कट हुये हैं । जिससे थोडा पानी भी नहीं मिल सका, छोटे ब्रीचेज क्लोज रहे । सारे क्लोज हुए और पानी नहीं मिल सका । तीन चार दिन पहले ही गंगुवाला के पास

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
हमारे प्रधान साहब ने कट कर लिया। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि इतनी शॉर्टेज ग्रॉफ वाटर थी मेग्जिमम ग्रॉफ कट्स कैसे हुए ? यहां के लोगों को इस बात का शुब्हा है कि लोकल ग्राथोरिटीज ने पैसा खाकर कट्स कराये। इरिगेशन मन्त्री इसमें जानकारी प्राप्त करें।

इसके ग्रतिरिक्त मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य जो भादरा से ग्राते हैं, उन्होंने जो ऐतराजात उठाये वैसे ऐतराजात मेरे भी हैं। टेल्स के गेजेज गंगानगर के इन्जीनीयर्स ने दिये है। ग्राप ईरिगेटेड एरिया को देखें ग्रोर हेम्स गेजेज को देखें तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। जब पन्चानलवीस ग्राउटलेट के जे देता है तो पंच या नम्बरदार के हस्ताक्षर ले लेता है। मौके पर देख लेता है; ग्राप उसमें क्या एतराज मानते हैं? मौके पर पन्च उस गांव का मौजूद हो ग्रौर पन्चालनवीस द्वारा दे दिया जाता है। ग्राप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्याक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। बात-चीत में ही दस मिनिट मेरे खराब हो गये थे।

चार प्रकार की बारियां चलती हैं। गोलबारी, खाते वार बारी, पन्चायत बारी ग्रौर सूखी-गीली बारी। सूखोगीली बारी, उपाध्यक्ष महोदय, सदन व ग्राप इसको न समझ पायें; इसलिए थोड़ा ग्रर्ज कर देता हूं। इसका मतलब यह होता है कि पचास मुरब्बा जमीन है तो उसकी बारी बन्द नहीं होती है। मुरब्बाधार बारी लगती ग्रावेगी ग्रौर नहर बन्द हो गई तब भी चलती रहेगी। पलक्चूएशन्स नहरों में इतने ग्रधिक होते हैं कि पानी ग्राता है। क्लोजर्स के नम्बर बढ़ा दिये सूखी गीली बारी लायी जा रही है। एक गांव में ग्राठ दस मुरब्बा है। शायद बारी ग्राजाय। गोल बारियां ग्रौर दूसरी किस्म की बारियां है उनको ग्राप पन्चायत को क्यों नहीं देते हैं। ग्राखिर वह किस मर्ज की हैं ? ऐसे केसेज में गांव पन्चायत को कर देना चाहिये। ग्रगर मन्त्री महोदय चाहेंगे तो ऐसी लिस्ट पेश कर दूंगा।

इसके ग्रालावा एक ग्रौर कठिनाई है। एक शख्स के पास जमीन है। उसका नाम है ग्रात्मा सिंह। २८ में जमीन खरीदी ग्रौर नहरी जमीन खरीदी तीस साल तक बराबर बीघे बीघे में पानी लगता है। ग्रापको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि ६३ में जाकर, ३० साल के बाद जाकर यह कहा जाता है यह ग्रनकमांडेड है। उसका पानी बन्द कर दिया जाता है। दो साल तक वह ईरिगेशन विभाग में जूतियां चटकाता फिरता है। ग्रापके ईरिगेशन विभाग ग्रौर नहरी रिकॉर्ड को क्यों नहीं देखते हो। लेकिन उससे तावान वसूल किया जाता है जो पानी देते हैं। गरीब ग्रात्मासिंह के २० हजार रुपये का तावान लगा दिया। नहरी किश्त दी ग्रौर ग्रदा कर रहा है। नहरी विभाग ने तब जमीन दी है। लेकिन ईरिगेशन वालों ने उसको ग्रनकमान्डेड घोषित कर दिया। ग्रापके रेकॉर्ड में फर्क है। तो इसका खमिहाजा उन लोगों को क्यों भुगतना पड़े ?

ग्रंत में ग्रपने भाषण को सम-ग्रप करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं

Page No. 86

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:)
कि चम्बल के वाटर लोगिग के बारे में। वहां वाटर लोगिग के कारण डिफीकल्टी हो रही है। वहां पर युटिलाइजेशन ऑफ वाटर कतई नहीं हो पा रहा है। चंबल क्षेत्र के एक एक गांव में मैं गया हूं और वहां की स्थति का पर्सनली अध्ययन किया है। पानी के लोगिग के कारण लेंड को नुकसान हो सकता है। वहां जो पानी का सीपेज है, उसके कारण हमें वहां के क्रोप का पेटर्न बदलना पड़ेगा। वहां जो धनिया, अलसी वगैरह बोयी जाती है उनको छोड़ कर कपास और चावल बोना होगा। वहां के किसान को कैनाल माइण्डेड बनना पड़ेगा, केनाल माइन्डेड नहीं होने के कारण यह समस्या वहां बनी हुई है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जो भूमि है, होल्डिग है वह बड़ी होती हुई स्केटर्ड है, इसलिये भी वे कंट्रोल नही कर सकते। वहां के लोगों को केनाल माइंडेड होना पड़ेगा और उन्हीं को वहां बसाना जरूरी है और वहां के लोगों को नये क्रोप पेटर्न को समझना भी बहुत जरूरी हैं। मैंने एक गाँव में देखा, बुढा दीप गाव में पहुंचा वहां पर ५०० एकड़ भूमि का मालिक मौजूद है। वहां पर मैंने एक पंजाब के किसान को भी देखा जिसने अपने खेत में चावल बीजा हुआ था; क्योंकि वह जानता है पानी का उपयोग। इसी तरह वहां के किसान को करना होगा। गंगानगर में भूमि के लिए तीन लाख से अधिक दर्ख्वास्तें मौजूद हैं उन लोगों को वहां जमीन दी जय ताकि वे उस जमीन मे चावल बीज सकें, गन्ना बीज सकें इससे जो उस डिस्ट्रिक्ट की पोपुलेशन बढ़ी है। क्यों न कैनाल माइंडेड बनाने के लिये आप उनको वहां जमीन दें और वहां के किसान को गंगानगर में सैटल करें।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान बनने के बाद राजस्थान ने सिंचाई के सम्बन्ध में काफी प्रगति की है। मैं भाखरा नहर के सम्बन्ध में कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा। भाखरा, गंग केनाल और राजस्थान नहर और घग्घर इन सबका सम्बंध हमारा पंजाब से हैं। इसलिये इसके लिये हमें पंजाब के सामने देखना पड़ता हैं। भाखरा के बारे में जो पंजाब ने हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया है वह हमारे लिये बड़ा नुकसान दायक साबित हुआ है। इससे जो राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसके लिये मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं।

भाखरा के अन्दर एक हरीके बांध बंधा हुआ है। जिसके लिये सतलज को कंट्रोल किया गया है। उससे थोड़ी सी दूरी पर व्यास नदी मिलती है। हरीके बांध बन्धा हुआ है जिसमें अधिकांश पैसा राजस्थान का लगा हुआ है। लेकिन उसका पानी नही मिलता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, भाखरा अन्दर के हरीके बांध के पास व्यास नदी का लिंक है। उसका हमें पानी मिलना चाहिये, लेकिन यह पंजाब गवर्नमेंट है जो पानी हमें नही दे रही है।

दूसरा भाखरा के अन्दर जो पानी हमको मिलता है वह भाखरा स्टोरेज से

(श्री मनफूलसिंह)

मिलता है, जब कि हमारा पंजाब के साथ एग्रीमेंट है कि हमको २१ सितम्बर के बाद १३.४२ पानी उस दरिये के पलों से मिलना चाहिये, लेकिन उसमें से हमको एक बून्द भी पानी नहीं मिल पा रहा है। भाखरा में २.२ पानी हमको मिलता है जब कि गंग केनाल के अन्दर हमेशा से २ २.६ पानी मिलता रहा है। इस तरह से पंजाब का व्यवहार हमारे साथ है। पंजाब का एग्रीमेंट जो राजस्थान के साथ में है उनके अनुसार भाखरा का पानी पूरी तरह नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी माइनर्स हैं, बड़ी नहरें हैं उनके अंदर पानी नहीं मिलता है जिन्होंने जमीन की किश्तें दे दी हैं फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। इससे भाखरा के किसान बहुत परेशान हैं। मैं राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भाखरा के सम्बन्ध में जो प्रयास है और राजस्थान के साथ में जो पंजाब का व्यवहार है उसमें सुधार करवाने का प्रयत्न राज्य सरकार को करना चाहिये। उसके लिये आपकी तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा के पानी के सम्बन्ध में पूरी तरह से आपस में बैठ कर एडजस्टमेंट करके हमारे इस पानी की समस्या को हल करना चाहिये और हमारा पानी हमको मिलना चाहिये। जब हमारा पूरा खर्चा भाखरा के अन्दर लगा है फिर भी किसान को उसके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। पैदावार में कमी हुई है, इस बात का दावा करते से उत्पादन बढ़ेगा; किन्तु आपके पानी न देने से उत्पादन का नुकसान हुआ है। इस ओर राज्य सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिये।

अब मैं, आपके सामने एक बर्निंग क्वेश्चन है वह रखना चाहता हूं। घग्घर की बाढ़ का पानी हमेशा से हमारे यहां आता रहा है। कभी पांच साल से, कभी सात साल से, कभी दस साल से बारी बारी से आता रहा है। लेकिन गत वर्ष में जो हर साल घग्घर का पानी हमारे यहां आ जाता है उसका मुख्य कारण है पंजाब का सीपेज और ड्रेनेज। वहां इतना सीपेज हो गया है, इतना ड्रेनेज हो गया है जिसकी वजह से सारा का सारा पानी ड्रेन कर रहे हैं, उससे मैं समझता हूं जितना भी राजस्थान को बाढ़ से नुकसान हुआ है उसके लिये राज्य सरकार को अपना क्लेम करना चाहिये, पंजाब के ऊपर, पंजाब सरकार से जवाब मांगना चाहिये कि जितना नुकसान हुआ है उसके लिये एक प्रकार से दावा पेश करना चाहिये पंजाब सरकार पर। राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसने अपने हक के पानी को प्राप्त करने के लिये पूरा प्रयास नहीं किया। इसके अलावा घग्घर बाढ़ का पानी इधर मोड़ने के लिये लसाड़ा ड्रेन निकाली जा रही है। केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये कि वे पंजाब सरकार को यह करने से रोके। मेरे पूर्व वक्ता ने यह बात कही कि इस बारे में राज्य सरकार ने प्रयास नहीं किया। मेरी जहां तक जानकारी है मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के साथ पंजाब गया था। वहां के मुख्य मन्त्री और सिंचाई मन्त्री से इस बारे में बात-चीत हुई थी। उसमें लसाड़ा डेम के लिये मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम पूरी कोशीश कर रहे हैं

(श्री मनफूलसिंह)

जिससे आपको कोई नुकसान न हो। हमारे यहां १८ क्यूसेक्स पानी पहले से आ रहा है। ६१ के अन्दर करोड़ों रुपयों की फसल बरबाद हुई इस घग्घर बाढ़ के कारण। ६२ के अन्दर जो तबाही इस बाढ़ के कारण हुई उससे कई गांव डूबे। सारी केबिनेट को वहां जाना पड़ा और आँपोजीशन के लीडर्स को भी जाना पड़ा उस समय बाढ़ग्रस्त इलाके की बहुत बुरी हालत थी। राज्य सरकार का जहां तक ताल्लुक है वह इस ओर प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो कुछ प्रयास किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है।

अभी २७ तारीख को फिर केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने राजस्थान के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री दोनों को दिल्ली बुलाया है। लसाड़ा डेम के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में सख्ती से काम लें, पूरे आर्ग्युमेन्ट के साथ अपने केस को रखें, हमारे केस को मुख्य मंत्री पूरी तौर से रखेंगे। इसमें बिलकुल भी कमजोरी हमको नहीं दिखानी है। अगर राजस्थान की सरकार की तरफ से इसमें कमजोरी हो गयी तो इसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हमारे राजस्थान को निकट भविष्य में होने वाला है, क्योंकि मैं समझता हूं कि १८ हजार क्यूसेक्स फिट पानी हमारी घग्घर में आता है और फिर लिसाड़ा ड्रेन का भी पानी होगा तो इस तरह से कुल मिलाकर बड़ा भारी पानी हमारे राजस्थान में आयेगा और जिसमें पहले तो ५, ७, १० गांव ही डूबे थे, अब मैं कहता हूं कि सैकड़ों गांव डूबने वाले हैं। अगर इस तरह का पानी सारा का सारा राजस्थान में आ गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की बहुत बुरी हालत होगी और उसका हमारे अन्न के उत्पादन पर बड़ा भारी बुरा असर पड़ेगा।

तीसरा मैं आपसे राजस्थान केनाल के लिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल एक बहुत बड़ी योजना है और राष्ट्र की सबसे बड़ी योजना है। मैं समझता हूं कि यह एशिया की सबसे बड़ी नहर है और बहुत बड़ा खर्च इसके अन्दर हमारे राजस्थान को केन्द्रीय सरकार से मिल रहा है और वह केन्द्रीय सरकार से मिलने के बावजूद भी हमारा काम काफी ढीला है और उसका जो टार्गेट हमारे यहां था वह पूरा नही हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े काम में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत किसी भी चीज की कमी रह सकती है और शिथिलता भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो कमी है वह है बजट की। हो सकता है कि राजस्थान उसको मीट नहीं कर रहा होगा या केन्द्रीय सरकार भी कुछ देने में थोड़ी बहुत संकुचित होती होगी, इसलिए मैं राजस्थाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्र की इतनी बड़ी योजना है और राजस्थान को बहुत बड़ा इससे फल मिलने वाला है और राजस्थान ही नहीं, बल्कि हमारे आधे देश को इससे फल मिलने वाला है और इतना भारी उत्पादन इस नहर से होने वाला है और इस योजना को पूरी तरह से और बहुत जल्दी, जो कि अभी १५ साल इसमें टार्गेट रखा हुआ है, १५ साल के बजाय २५ साल हो गया तो मैं समझता हूं कि १० साल का नुकसान हम पूरा नहीं कर सकेंगे और उसकी जिम्मेदारी हमारी राजस्थान सरकार पर पड़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सरकार इसमें पूरी कोशिश करे और केन्द्रीय सरकार से नेगोशियेट करके इस राष्ट्रीय योजना को केन्द्र के सुपुर्द कर दे क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार इतना पैसा बजट में से नहीं दे सकती और इसके कारण हमारे राजस्थान में कमी रहेगी तो उस काम को हम टार्गेट के ऊपर पूरा नहीं कर सकेंगे । इसलिये मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि वह इसके लिये पूरा जोर करके केन्द्रीय सरकार से बातचीत करे और केन्द्रीय सरकार को इस योजना को दे दें । इससे हमारे राजस्थान की बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं हैं वे पूरी हो सकेंगी और यदि केन्द्रीय सरकार को नहीं दे पाते हैं तो इससे हमारी छोटी योजनाओं को धक्का लगेगा और वे पूरी नहीं होंगी और हमारा जो मेन काम है वह भी समय पर पूरा नहीं हो सकेगा ।

अब मैं गंग कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

गंग कैनाल में ५६ से पहले हमको २७०० क्यूसेक्स पानी मिलता था, लेकिन उसके बाद इन्डो-पाक की जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी के बाद हमको पानी बहुत कम मिला है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर सबसे बड़ी भारी जो गड़बड़ी है वह है पंजाब की सप्लाई की । लेकिन आज हमको जो मिल रहा है वह १ हजार क्यूसेक्स पानी मिल रहा है । कभी तो ८००, कभी ७०० मिलता है लेकिन एवरेज ६००-७०० के आसपास पड़ता है जो कि एक एस्केप की माफिक है । इसलिए जहां तक हमारे लोगों ने समझा है और महसूस किया है वह यह है कि जहां से सप्लाई होती है वहां पंजाब बहुत भारी गड़बड़ियां करता है । तो उस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमने सरकार को कई बार कहा है और लिख कर भी दे चुके हैं और जनता के जो प्रधान और सरपंच हैं उन्होंने भी लिख कर दिया है कि जहां से यह पानी कन्ट्रोल होता है वहां हमारा एक जिम्मेदार ऑफिसर बैठना चाहिए । उसके लिए वहां एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का दफ्तर हो और पूरी तरह से वह उसकी निगाह रखे ताकि पानी का पूरी तरह से वितरण हो सके । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के संबन्ध में हमारी सरकार ने कोई बहुत अच्छे कदम या ढंग से जो कदम उठाने चाहिए उस ढंग से सरकार का कदम नहीं है और इसमें सरकार की ओर से काफी उदासीनता है क्योंकि गंगानगर जिला ऐसा है कि जिसमें तीन बड़ी २ योजनायें हैं; भाखरा कैनाल, गंग नहर और राजस्थान कैनाल और इन योजनाओं से इतना अधिक अन्न उत्पन्न हो सकता है कि वह सारे राजस्थान की कमी को पूरा कर सकता है । अगर वहां इन तीनों योजनाओं को पूरी तरह से वाच किया जाये तो गंगानगर जिले के अन्दर इतना अन्न पैदा हो सकता है कि राजस्थान को पूरा सप्लाई कर सकता है । इसलिए ये छोटी २ बहुत सी कमियां हैं; जैसे राजस्थान क्षेत्र में भाखरा के अन्दर बहुत छोटी २ नहरें हैं, उनकी टेलों पर पानी बहुत कम पहुंचता है, इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ ढिलाई हो सकती है, कुछ शिथिलता हो सकती है उसके ऊपर सरकार को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे २ कटौती प्रस्ताव हैं । मैं, समय का अभाव है इस लिए अधिक टाइम नहीं लेना चाहूंगा । सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है, सिंचाई के साधनों को अधिक बढ़ाना चाहती है, लेकिन फिर भी सरकार ने जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के टार्गेट्स फिक्स किये थे कि हम इरिगेशन पोटेंशियल ११ लाख ४६ हजार एकड़ में खेती में सिंचाई करके पैदा करेंगे लेकिन इन आंकड़ों को रिवाइज करके केवल १० लाख एकड़ तक रखा तो जहां तक सरकार की मन्शा है कि वह खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है और सिंचाई के साधनों को भी बढ़ाना चाहती है तो उसमें टार्गेट्स को भी धीरे २ कम ला रहे हैं, यह अफसोस का विषय है । इसके साथ ही साथ राजस्थान कैनाल के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार काफी प्रकट किये हैं कि उसमें ज्यादा खेती होनी चाहिए और इस योजना से हमारे राजस्थान के और हिन्दुस्तान के लोगों को आशा है । उस आशा में हमें कुछ खलल होती मालूम पड़ रही है । अभी जैसा कहा गया है कि फर्स्ट स्टेज जो राजस्थान कैनाल की है वह १२२ मील है, डिस्ट्रिब्यूशन ६८-६९ तक पूरा करना चाहते हैं । लेकिन जिस गति से राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है उसमें हम बहुत पीछे रह जायेंगे । इसलिए राजस्थान सरकार को इसके बारे में हमने जो आउट साइड प्लान राजस्थान कैनाल का प्रोवीजन है उसके लिए केन्द्रीय सरकार से प्रयत्न करने चाहिए और इस योजना को जितना जल्दी हो उतना ही राजस्थान को और हिन्दुस्तान को लाभ मिलेगा ।

खास तौर से मैं राजस्थान सरकार का कोलोनाइजेशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । कोलोनाइजेशन के लिए गंगानगर जिले की पोपुलेशन १० साल में बढ़ी है उससे अन्दाजा लगा सकते हैं । इन पिछले दस सालों में गंगानगर जिले की ६५ परसैन्ट आबादी बढ़ी है जब कि राजस्थान की पोपुलेशन २६ परसैन्ट बढ़ी है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह आबादी कहां से आई । यह आबादी पंजाब से और दूसरे प्रान्तों से आई और यहां के जो स्थानीय लोग थे उनको जमीन न देकर बाहर के काश्तकारों को जमीन मिली और राजस्थान नहर में भी यही हालत होने वाली है । इसलिए मैं कहूंगा कि बीकानेर, चूरू, नागौर ये ऐसे जिले हैं कि जो डेजर्टेड एरिया हैं, जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनको वहां जमीन दी जाये । अगर सरकार राजस्थान केनाल के मामले में भी सचेत नहीं रही तो जो हालत गंग नहर और भाखरा की रही है कि वहां पर बाहर के लोगों ने जमीनें प्राप्त कीं और यहां के लैंडलैस काश्तकार होकर बाहर के लोगों को जमीन मिल गयी और स्थानीय लोग इससे महरूम हो गये । अगर सरकार सचेत नहीं रही तो यही हालत राजस्थान कैनाल में भी आने वाली है । जिनको जमीनों की आवश्यकता है वे तो वंचित रह जायेंगे और बाहर के लोगों को जमीनें प्राप्त होंगी, क्योंकि बाहर के लोग जो पंजाब के काश्तकार हैं उनके पास पैसे का साधन है और जो स्थानीय काश्तकार हैं वे उनका

(श्री भीमसेन)

मुकाबिला नहीं कर सकते, इसलिये मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि जिस तरह से गंग नहर और भाखरा में अलॉटमेन्ट की पॉलिसी रही तो इससे जनता को निराशा होगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डेज़र्टेड एरिया के काश्तकारों को राजस्थान नहर में जमीन अलॉटमेन्ट के सिलसिले में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाये।

(१२.०० मध्यान्ह)

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी घग्घर फ्लड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया सरकार का। यह लिसाड़ा डैम की प्रोब्लम है, यह बहुत अहम प्रोब्लम है। और सरकार को इस बारे में भरसक कोशिश करनी चाहिए, वर्ना हमारा करोड़ों रुपयों का नुक्सान आने वाली सीज़न में होगा। इसके बारे में पंजाब सरकार की लिसाड़ा की योजना द्वारा इसको सतलज में डाल सकते हैं और सतलज में डालने से जो हमारे यहां का प्रोब्लम है वह हल हो जायेगी। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन्डस से पानी का जो एग्रीमेन्ट है वह ७० तक का है। जब तक हमारा पानी का पाकिस्तान के साथ समझौता है उस टाइम तक लिसाड़ा डैम का पानी सतलज में डाला जाय तो वह पानी हमारी गंग नहर तक पहुंच जायगा। तो इससे गंगानगर के इलाके की जो पानी की समस्या है कि पानी कम मिलता है वह प्रोब्लम दूर हो जायगी और ७० के बाद में पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की सन्धि है उसके बाद यह पानी बीकानेर और चूरू जिले के लिए, घग्घर फ्लड का पानी है वह लिसाड़ा ड्रेन के द्वारा तथा पंजाब का जो सीपेज का प्रोब्लम है उसके लिए और बरसात के पानी के लिए राजस्थान और पंजाब सरकार एक मिली-जुली योजना बनाये ताकि वहां पर जो सीपेज का प्रोब्लम है, वाटर-लॉगिंग की जो प्रोब्लम है पंजाब का वह भी सोल्व हो जाय और जो सरप्लस पानी है वह राजस्थान में आ सकता है। उससे हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां कि अकाल पड़ता रहता है उनकी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

इन तीन समस्याओं की तरफ मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की आम नीति पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। वैसे मैं यह चाहता था कि आज सिंचाई के संबंध में मैं तथ्यपूर्वक विवाद प्रस्तुत करूं, लेकिन अफसोस है कि सिंचाई विभाग से हमको जो रिपोर्ट मिली है वह अंग्रेजी में मिली है, इसलिए मैं उन तथ्यों का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। यहां पर कई बार रूलिंग दी जा चुकी है, यहां पर कई बार व्यवस्था की जा चुकी है कि सदन में जो भी रिपोर्ट दी जाय वे सदन की भाषा में आनी चाहिएं जिससे सभी माननीय सदस्य उसको समझ सकें, लेकिन इस सरकार की तो आदत पड़ गई है कि कितना ही लताड़ा जाय, कितना ही फटकारा जाय, इसमें न चेतना है, न ज्ञान है और न इनमें प्रेरणा का स्त्रोत मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान नहर और राजस्थान की

(श्री रामकिशन)

सिंचाई का जहां तक सवाल है उसमें बीकानेर और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। मुझे राजस्थान नहर के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि मौजूदा राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान की सरकार के सामने अपना केस मजबूती से नहीं रख पा रही है। इन १६ सालों में कम से कम २८ अरब का अनाज विदेश से मंगा चुके हैं। अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के सिंचाई मंत्री जो आमतौर पर राजनैतिक कामों के लिए कभी नन्दाजी से, कभी नेहरूजी से और कभी इन्दिराजी से मिलते हैं तो प्रयत्न करके राजस्थान नहर के सम्बन्ध में उनको समझा पाते कि राजस्थान नहर के बनने के बाद हिन्दुस्तान को कोई अनाज विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा और वह २ करोड़ ८० टन अनाज अधिक पैदा कर सकेगा, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इस मामले में गम्भीरता से विचार करती।

राजस्थान सरकार ने जो इसमें रखा है, राजस्थान सरकार की जो गति है वह इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि सन् ५८ से राजस्थान नहर का काम चल रहा है और सन् ६४ होने को आया है उसमें केवल ३६ पर्सेन्ट ही व्यय कर पाई है। अगर इसी गति से काम चलता रहा तो '७८ तो क्या बल्कि ८५-८६ के पास में जाकर वह काम पूरा होगा। योजना १८४ करोड़ से बढ़ कर दो-सवा दो अरब के आस पास लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से कृषि मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी आप विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। अगर वे काहिरा गये होंगे तो वहां पर आस्वान बान्ध देखा होगा जो कि वहां पर बनाया जा रहा है। उनको अमेरिका मदद नहीं देता है, रूस से मदद नहीं ली गई। मिश्र वाले उस बांध को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रश्न था। इसी तरह से चीन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि चीन हमारा शत्रु देश है। वहां पर यांगटिसीक्यांग नदी का जो फ्लड आता था उससे पूरा यांगटिसीक्यांग प्रान्त बरबाद हो जाता था, उन्होंने उस सवाल को हल कर लिया। मिश्र में आस्वान बांध बन गया, लेकिन राजस्थान सरकार राजस्थान नहर बनाने की बात ७८ तक करती है वह ८५-८६ तक काम को पूरा नहीं कर पायेगी। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आज एक नागौर के किसान के पास है। मैं चाहूंगा कि आज वे किसानों की तकलीफों को समझने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि १२ साल तक जयपुर में बैठने के बाद उनमें किसान वाला दृष्टिकोण रहा नहीं। मुरारजी से दोस्ती हो जाय और मेनन से दोस्ती हो जाय तो मैं नागौर के किसान से कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्रीजी थोड़ी बहुत दृष्टि फेंके राजस्थान नहर के ऊपर तो उससे वे फायदा ले सकते है और राजस्थान को गति को ठीक प्रकार से कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि योजना के किसी भी अंग में कटौती की जाय लेकिन सिचाई के काम में कटौती करना देश के साथ देशद्रोह का काम है। इस कोर आफ दी प्लान में ६ करोड़ की कटौती कर दी गई है। वैसे सरकार की रिपोर्ट देखते है अलग अलग तो किसी में लिखा

Page No. 93

(श्री रामकिशन)

है कि राजस्थान नहर में कोई कटौती नहीं की गई, पोंग डेम में कटौती नहीं कीगई है, लेकिन जब डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि ३६ करोड़ के बजाय ३१ करोड़ कर दिया गया है। किसको सही मानें और किसको सही न मानें। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी यही है, ये रिपोर्ट्स एक दूसरे के विरुद्ध हैं जो मिड टर्म एप्रेजल है उसमें लिखा है कि इन योजनाओं में कटौती नहीं की गई है, लेकिन जो मौजूदा डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इस योजना में कटौती कर दी गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और माननीय मंत्रीजी को क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह के गलत स्टेटमेंट क्यों सदन के सम्मुख रखे जाते हैं। पता नहीं लग पाता है हमको कि किसकी मानें, सही बात किसकी मानें, इधर की मानें या उधर की मानें। एक विभाग की दो रिपोर्टें आती हैं तो दोनों में ही अलग २ आंकड़े मिलेंगे, दोनों में अलग २ तथ्य मिलेंगे। इन अलग २ तथ्यों पर किसी एक नतीजे पर पहुंचना हमारे लिए बहुत ही असम्भव है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज की बात नहीं है। सदन में जब भी रिपोर्ट्स पर बहस होती है और माननीय सदस्य जो बातें उठाते हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है।

दूसरी बात खास तौर पर निवेदन मुझे यह करनी है कि राजस्थान का जो कोर ऑफ दी प्लान है उसमें जो कटौती की गई है सिंचाई में वह छोटी और माध्यम सिंचाई की योजनाओं पर ६ करोड़ की कटौती कर दी गई है। यह बहुत ही भयंकर बात है। हमारे जैसे देश में, राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां की जनता की तादाद काफी है और जमीनें खाली पड़ी हुई हैं वहां पर वे काम कर सकते हैं। उन मुल्कों में जो पिछड़े हुए हैं उनमें आम तौर पर छोटी २ योजनाओं पर वर्क किया जाता हैं। बड़े कामों का मैं विरोधी नहीं हूं। राजस्थान कैनाल पूरी हो, चम्बल की योजना पूरी हो, भाखरा का काम चले, लेकिन छोटी २ योजनाओं का फल जल्दी ही लग सकता है; पहली और दूसरी योजना में आपने ५ करोड़ के आस-पास रुपया खर्च किया और इतनी ही एकड़ करीब करीब जमीनों को पानी दे सकें। राजस्थान नहर को होने दें, भाखरा को होने दें, चम्बल को होने दें। इनसे जो पूंजी निर्मित होगी, इससे जितनी भी परकेपिटा इनकम बढ़ेगी वह उससे १० गुना होगी। सरकार छोटी योजनाओं में कटौती करके बहुत ही गलत काम कर रही है।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि सरकार नई नई योजनाएं बनाती चली जा रही है, नई--नई नहरें बनाती चली जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पुरानी है और काम कर रही है उनकी विचित्र स्थिति है कि उन सब को बन्द कर देती है। मुझे भरतपुर से लौटकर इसलिए आना पड़ता है कि अगर मंत्रीजी की ओर से इन सारी चीजों को अंग्रेजी में देना बन्द कर दिया जाय तो अच्छी अच्छी जानकारी हमारी ओर से मिल सकेगी। मैंने सोचा था कि इन चीजों पर बोलूंगा और इसकी मैंने पूरी तैयारी की थी। मैं पूरी रात जागा था, लेकिन रिपोर्ट को देखते हुए तबियत खराब हो गई कि यह सरकार तो सुधरने वाली नहीं है।

Page No. 94

(श्री रामकिशन)

आप नये नये काम कर रहे हैं। राजस्थान में वैसे फ्लड का सवाल नहीं है लेकिन राजस्थान के दो जिलों में, भरतपुर और गंगानगर में जहां बाढ़ आती है वहां के लिए इस सरकार के लिये यह अहम चीज है लेकिन १२ साल से योजना बना रही है लेकिन बाढ़ के सवाल को हल नहीं कर पा रही है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइये सब जगह कुछ कामों को प्राथमिकता देते हैं। उन कामों को हर स्थिति में हर सूरत में पूरा करते हैं और एक हमारा प्रान्त है जहां हर साल बाढ़ फसलों को नुकसान करती है, एक नये उत्पादन क्षेत्र को नष्ट करती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ६० लाख की धनराशि का प्रोवीज़न किया गया था, मैं आपसे घग्घर के लिए कितना प्रोवीज़न हुआ है उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। तीसरी योजना में ६० लाख का प्रोवीज़न था भरतपुर और गंगानगर में बाढ़ को रोक करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि इन तीन सालों में केवल चार लाख के आसपास खर्च हुआ है। यह कितना है? केवल ५ पर्सेन्ट इसमें खर्च हुआ है। यह तो सौभाग्य की बात है कि दो वर्ष से बरसात कम हो रही है और बरसात कम होने की वजह से बाढ़ नहीं आई है, नहीं तो इस चार लाख की धनराशि से जो दो--चार बंगले इधर उधर बनाये गये हैं वह बाढ़ में बह गये होते और आप यह कह देते कि चार लाख खर्च कर दिया और जनता को कोई लाभ नहीं हुआ होता।

अपने विभाग को सबसे पहले इस बात पर कसें, जैसे युद्ध होता है उसमें लक्ष्य एक ही रहता है शत्रु को पराजित करना, इसी तरह से कृषि मंत्रीजी दो लक्ष्य सामने रखें; एक तो बाढ़ को रोकना और दूसरा जमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी देने का प्रयत्न करना।

कामां में बाढ़ आती है उसके लिए मैं मंत्रीजी से लगाकर सिंचाई विभाग के दारोगा तक से मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वे हर मामले में नये नये सुझाव देते हैं, बहुत ही सहानुभूति दिखाते हैं, हर ऑफिसर में सहानुभूति है, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलता नहीं है। नतीजा यह है कि भरतपुर जिले में सरकार की नीति से पहले की अपेक्षा बरबादी होती जा रही है। पहले रियासत के समय में देखें तो बाढ़ नहीं आती थी, बांध नहीं टूटते थे। कारण इसका यह है कि आपने मेन्टेनेन्स में पैसा कम कर दिया, नदियों में सिलवट आ रही है उसके लिए आप कोई प्रयत्न नहीं करते। नये नये क्षेत्रों के लिये कोशिश की जाती है और पुराने बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने पुराने कृषि मंत्रीजी से कहा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी के सिंचाई मंत्रीजी से कहा तो कहते हैं कि मेरे पास तो यह विभाग अभी दो-तीन महीने से आया है, सुखाड़िया साहब यदि साल में बारह बार विभाग बदलते रहें तो हर मिनिस्टर यही कहेंगे कि मेरे पास तो विभाग अभी आया है। इतना गैर जिम्मेदारी का जवाब आज तक लोकतंत्र में कोई मंत्री नहीं दे सका होगा। प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर में मंत्रीजी कहते हैं कि मेरे पास तो अभी तीन-चार महीने से यह विभाग आया है, अब मैं इसको गतिशील बना रहा हूं। इसका मतलब यह है कि पहले के जो मंत्री और

(श्री रामकिशन)

मंत्रालय थे उनका जानबूझ कर विरोध कर रहे हैं। ८-१० साल से मुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री हैं। हर मंत्री और सरकार का छोटे से छोटा पुर्जा भी काम के लिये जिम्मेदार है। मैं निवेदन करूंगा कि विभाग को गतिशील बनाना चाहिये

गोवर्धन ड्रेनेज और गुड़गावां नहर की बात चलती है, यदि इसको गति नहीं दी तो एक तरफ तो भाखरा और गंगानहर का क्षेत्र बढ़ता चलेगा और दूसरी तरफ भरतपुर का क्षेत्र गिरता जायगा। पैदावार गिरती जायगी, आबादी बढ़ती जा रही है इसका नतीजा यह होगा कि भूखमरी फैलेगी। दूसरी जगह लोगों को बसा नहीं सकते क्योंकि हिन्दुस्तान के लोग परम्परागत कन्जर्वेटिव होते हैं, घर छोड़ने की खिलाफत करते हैं। इस जिले में भूखमरी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और पैदावार घट रही है, यही बात आज भरतपुर में है। प्रति एकड़ पैदावार घटती चली जा रही है। कुछ बाढ़ नष्ट कर देती है, कुछ बांध टूटे हुए हैं, सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देती। इसके अलावा एक चीज और हो रही है सिंचाई विभाग के कई टुकड़े कर दिये हैं कोई टुकड़ा एग्रीकल्चर विभाग संभालता है, कोई विकास विभाग संभालता है और कोई सिंचाई विभाग संभालता है। जहां एक एक इन्जिनियर से मिलते हैं तो वह कहता कि मेरे से इसका संबंध नहीं है डेवलपमेन्ट वालों के पास जाओ। उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं, इसका संबंध तो सिंचाई विभाग से है, उनके पास जाओ। नतीजा यह होता है कि एक आदमी दरख्वास्त लेकर जाय तो एक दिन में पांच इन्जीनियरों से मिल नहीं सकेगा। कोई इन्जीनियर मिलेगा, कोई दौरे पर गया हुआ होगा। नतीजा वहीं का वही रहता है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक विभाग के नीचे ही सारी कार्यवाही सिंचाई के बारे में क्यों नहीं चलाई जाती? मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि सिंचाई का काम एक ही विभाग के नीचे रहना चाहिये, अलग अलग विभागों के नीचे करना उचित नहीं है।

पंचायत समितियों के पास सरकार ने छोटे २ बांध ट्रान्सफर किये हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वे इस काम को अच्छी तरह से कर नहीं सकते, सरकार ने उनको साधन नहीं दिये हैं। पंचायत समितियों के पास फण्ड्स नहीं हैं। मैं सारी पंचायत समितियों का उल्लेख यहां करूंगा नहीं। मैं वैर पंचायत समिति की बात कर रहा हूँ जहां से मेरा निर्वाचन हुआ है वहां पर ३४ बांध टूटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि विकास विभाग के पास जाइये। विकास विभाग के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हर पंचायत समिति को टूटे हुए बांधों की मरम्मत के लिये २०००) रु० दिये हैं। ३४ टूटे हुए बांधों की मरम्मत के लिये बड़ी सर-पच्ची की तो पंचायत समिति ने पौने दो लाख रुपयों की मांग की थी, यदि यह राशि मिल जाय तो टूटे हुए बांधों की मरम्मत करा सकते हैं, इन बांधों को दुरुस्त करा सकते हैं। सौभाग्य से दो वर्ष तक मेहनत करने के बाद २०,०००) सरकार ने दिये हैं यह केवल वैर की दिक्कत नहीं है। सारे

(श्री रामकिशन)

राजस्थान की दिक्कत है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग का सारा कार्यक्रम एक ही विभाग के नीचे होना चाहिये । विकेन्द्रीकरण से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं । उसमें ज्यादा लाभ है तो वही लाभ सिंचाई विभाग से उठा सकते हैं । यदि वे कहेंगे, श्रमदान करो तो श्रमदान करेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि छोटी सिंचाई योजना से नतीजा जल्दी आ सकता है, इसलिये उन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय ।

तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार का जिक्र में कभी नहीं करता । मेरी मान्यता है कि अधिक जिक्र करने से लोगों की आस्था कम होती जा रही है । राजस्थान कैनाल के सिलसिले में कमल एंड कंपनी को ३ लाख रुपयों का लोन दिया है । किस लिये दिया है ? शायद ढुलाई के लिये दिया है । मेरी नोलेज में आया है, आज तक उसने एग्रीमेंट नहीं किया है । ढुलाई के लिये ३ लाख का लोन दिया । तीन–चार महीने पहले केवल ८ ट्रेक्टर्स आये हैं । इस तरह गबन होता है । गबन में इस तरह मैं नहीं कहता कि रुपये खा जायगा, लेकिन जो देरी होगी, गड़बड़ी होगी उसको दूर करने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये । इस कमल एंड कंपनी को तो हाउस के लिये जरूरी बना दिया है । जिस तरह से बिड़लाजी पार्लियामेंट के लिये जरूरी हो जाते हैं उसी तरह से कमल एंड कंपनी हमारी विधान सभा के लिये जरूरी बन गई है; कुछ न कुछ जिक्र इसका आता ही रहता है । पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, कौन इसकी मदद करता है कौन नहीं, किसी मंत्री के रिश्तेदार होंगे, नहीं होंगे, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा लेकिन ३ लाख रुपये देकर एग्रीमेन्ट क्यों नहीं किया ? वसूली की जमानत क्यों नहीं ली और यदि जमानत ली तो यह तय क्यों नहीं किया कि काम में देरी न हो ?........

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री): मेरे ख्याल से आपने इस बारे में स्पेसिफिक कट मोशन नहीं दिया है, आप अभी इस मुद्दे को खड़ा करते है तो मैं कैसे जवाब दूंगा ।

श्री रामकिशन : मैंने इसके लिये अलग से प्रश्न रखा है, वह आवे तब उसका जवाब दे देना ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आप नाराज होंगे ।

श्री रामकिशन : नाराज कायको होऊंगा, मेरा और आपका जवाब एक ही मिलेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मान कर मैं नहीं चल सकता, मुझे बहुतसी बातें जाननी पड़ेगी, सही स्थिति क्या है ।

श्री रामकिशन : मैं आपकी नीयत और विवेक पर विश्वास करता हूं और इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, लेकिन इतना निवेदन करता हूं कि सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये । मैंने अधिक जिक्र नहीं किया इसलिये कि मुझे पार्टी की तरफ से बोलना था । मेरा निवेदन है कि सरकार एक तो कुओं के लिये और अधिक ध्यान दे । कूओं से जो सिंचाई हुई है उसका नतीजा अच्छा आया है ।

(श्री रामकिशन)
हमने देखा है कि १२००० कुए पहली योजना में बनाने का लक्ष्य था । और १७ हजार का प्रोविजन इस योजना में रखा है उनमें से जितने अधिक बना सके, उतने बनने चाहिये । कूओं से जितना फायदा, हमारे यहां होता है उतना बड़ी योजना से नहीं होता । मैं बड़ी योजनाओं का भी विरोधी नहीं हूं, वे अपनी जगह पर हैं । बड़ी योजनाओं में देरी लग सकती है । सरकार को इस बारे में भी अधिक कोशिश करनी चाहिये ।

यहां गोवर्धन ड्रेनेज और गुड़गांव केनाल की चर्चा बहुत अर्से से हो रही है, भरतपुर में बन रही है; लेकिन वहां तो हालत यह है कि राजनैतिक दबाव के कारण एलाइनमैंट बदल जाते हैं, राय तब्दील होती है । ज्यादा अच्छी योजनाओं के बारे में भी कई मुश्किलात होती हैं । एक प्रस्ताव आया उसके बारे में टेलीफोन आते है —

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई टेलिफोन नही आता । मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं ।

श्री रामकिशन : आप उस गुट में नहीं है । मैं क्या कहूं ? कांग्रेस के आपसी झगड़े में पड़ना पड़ेगा । आप उस गुट में नहीं हैं, इसलिये आपके पास टेलीफोन नही आवेगा । थोड़े दिनो में आपका समझौता हो जायेगा तब आने लगेंगे। आप लोग जो काम करते हैं उसके पीछे अच्छी भावना होती है, दुर्भावना नहीं होती, राजस्थान का विकास चाहते हैं। लेकिन आपके जो तौर तरीके हैं उनसे मालुम होता है कि न तो आप राजस्थान का विकास चाहते हैं, न भलाई चाहते, हैं । आप तो फण्ड्स लें, खर्च करदें, नतीजा इधर आ जाय या उधर आ जाय उसकी आपको चिन्ता नहीं है ।

हमने पहली योजना देखी, दूसरी योजना देखी । पहली और दूसरी योजना में बीस लाख एकड़ का लक्ष्य रखा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि बीस लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई कर पायेंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ ? ११ लाख एकड़ जमीन अधिक की सिंचाई कर पाये हैं । हम एक चीज के अन्दर सरकार की असफलता को बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार को उस असफलता के लिए क्षमा कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई के मामले में, खेती के मामले में और पढ़ाई के मामले में सरकार असफल हो जाय तो सरकार को राज्य करने का चाहे वोटें के आधार पर हक मिला हो, नैतिक दृष्टि से हक नहीं है । इतनी मंहगाई है, अकाल पड़ रहा है-ये सब चीजें आपके सामने हैं; इनके बारे में सरकार जिस प्रकार कह देती है उसी तरह आज सदन में कृषि मंत्री कुछ न कुछ जवाब दे जायेंगे और फिर कल बेढंगी चाल, कल कुछ असर होगा नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा: आपकी बात का असर होता है। ऐसा मान कर चलने लगेंगे तो सचमुच नहीं होने लगेगा । आप कहते जायें कि असर नहीं होता है, तो सचमुच नहीं होने लगेगा ।

श्री रामकिशन : आप पर तो असर होता है। लेकिन मैं बताता हूं कि इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं सिंचाई विभाग को, आप जाकर देख लीजिये कि चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी है....

श्री भीमसेन : अंग्रेजी में लिखा करें ।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में तो, एक बांध भी नहीं बनें, तो भी नहीं लिखूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी और पानी का सवाल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । ... एक यह निवेदन करना है....

एक माननीय सदस्य : जनहित में ?

श्री रामकिशन : गोर्धन की जो केनाल है, गुड़गांव की जो केनाल है--इन दोनों केनाल्स के बनने से डीग, नदबई, राजाखेड़ा आदि के इलाके हैं, वे सरसब्ज हो सकते हैं और बढ़ती हुई आबादी का विकास पहले से सोचने से किया जा सकता है । मैं आपको निवेदन करूं कि भरतपुर में एक ओर सूखा है तो दूसरी ओर बाढ़ है वहां दस इलाकों में बाढ़ आ जाती है तो पचास इलाकों में सूखा होता है । यह इस सरकार की सफलता का प्रतीक हो सकता है । अगर बाढ़ के एरिया से पानी सूखे के एरिया में डाइवर्ट कर दें, इससे उस इलाके को भी पानी मिल सकता है। भरतपुर में सूखा होता है और बाढ़ आती है, यह समस्या दस पन्द्रह सालों से है उसका समा-धान होने का सवाल है, कृषि मंत्री ने दो-तीन महीनों से इस महकमे को लिया है इसलिये देख नहीं सके हैं--यह जवाब वे नहीं देंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा जवाब नहीं देंगे ।

श्री रामकिशन: ऐसा जवाब एक बार दे दिया था, इससे मुझे तकलीफ हुई थी । मैं चाहूँगा कि इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीगणपतिलाल वर्मा ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद राजस्थान के अन्दर जो नये नये बांध, चम्बल बांध, भाखरा तथा दूसरे बांध बनाये गये हैं, उनके द्वारा किसानों की जमीन पर पानी पहुंचा है और किसानों को राहत मिली है--वह सब की जानकारी में है ही । आज कट मोशन्स के जरिये इस हाउस मे इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के विचार मालूम हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि एक बात वे मानते है कि राजस्थान में सिंचाई के मामले में बहुत बड़ा काम हुआ है और किसानों को राहत मिली है, लेकिन छोटी-मोटी शिकायतें हैं; कहीं नहर टूट गई है कहीं कोई गल्ती रह गई है, कहीं पुलिया नहीं बनी है। ये मामूली शिकायतें आई हैं । जहां इतने बड़े काम होते हैं वहां शिकायतें होती हैं । मैं नहीं कहता कि ये शिकायतें नहीं हैं और जो शिकायतें वाजिब हैं, उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

खुशी इस बात की है कि पहले ये दोनों डिपार्टमेन्ट्स कृषि विभाग और इरिगेशन विभाग अलग अलग हाथों में थे, अब ये दोनों विभाग जो किसानों का सही प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनके हाथ में आये हैं । हम आशा करते है कि वे किसानों की शिकायतों पर निश्चित रूप से गौर करेंगे।

मैं आपका ध्यान भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां के लिए मैंने कई बार हर वर्ष बजट के मौके पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है । वह एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां सिंचाई के साधन भी बहुत कम हैं । वह एक पहाड़ी इलाका है,

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

वहां का पानी बेकार नदियों में चला जाता है और उसका उपयोग नहीं होता। उसका उपयोग करने के लिए फर्स्ट प्लान में एक योजना मांडलगढ़ तहसील के लिए आई थी और वह जैतपुरा बांध की योजना थी। इसका फर्स्ट प्लान में काम शुरू नहीं हुआ। सैकिन्ड प्लान में सर्वे हुआ और यह तय हुआ कि बांध बनेगा लेकिन सैकन्ड प्लान में कोई रकम खर्च नहीं की गई। अब थर्ड प्लान भी खत्म होने जा रही है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को कहते हैं कि बांध बनाये जायं तो रकम की कमी बताते हैं और कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के विचारने की बात है। मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा बांध है, जिससे इतनी आमद होने वाली है और जहां का पिछड़ा हुआ इलाका है जिससे भील, मीणों को लाभ मिलने वाला है--ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए ताकि बांध बनाकर पिछड़े हुए लोगों को राहत मिल सके।

दूसरा एक है, अनवासा बांध। यह छोटा बांध है, इसकी सर्वे कम्प्लीट हो चुकी है। लेकिन मालूम नहीं, किस दफ्तर मे पड़ीहुई है और दो साल हो गए, अभी तक रकम सेंक्शन नहीं की गई है।

तीसरा बांध, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं, गोहटा का बांध है। मेवाड़ राज्य के वक्त में फतहसिंहजी ने इस बांध की नींव डाली थी। इस बांध की मजबूत नींव है! इसका कोई बांध मुकाबला नहीं कर सकता उस पर हर साल दस, बीस फुट पुलिया पर होकर पानी निकलता है, लेकिन इसको रत्ती भर आंच नहीं आती है। लेकिन इन्जीनियर कहते हैं कि इसकी नींव कमजोर है। यह बांध अधूरा पड़ा है और इस पर तीन-चार लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि किन्हीं अच्छे इन्जीनियरों का एक बोर्ड बनाया जाय और उससे इसकी जांच कराई जाय कि यह वाकई बनाने लायक है या नहीं? वैसे हमारा और पब्लिक का ख्याल है कि इसको बनाया जाय, यह निवेदन करना है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना डिस्कशन कोटा और चम्बल तक ही सीमित रखूंगा और सदन का ज्यादा समय न लेकर संक्षेप में आपके द्वारा मंत्री महोदय के समक्ष अपने विचार रखूंगा। चम्बल के बारे में, जो इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से नोट आया है, उसमें लिखा है:

"Chambal Canal : Some difficulties have been experienced in the expeditions development of irrigation due to seepage from canals, late constructions and maintenance of water courses and the apathy of the cultivators for change from the age old practices of dry-farming and the canal irrigation"

इसमें जो बातें बतलाई हैं उनमें एक बात गवर्नमेंट से सम्बन्धित है और दो कल्टीवेटर्स से सम्बन्धित हैं। उनमें कहा है, कल्टीवेटर्स की अपैथी हैं, क्योंकि वाटर कोर्स समय पर नहीं बने, इसलिए चम्बल में डिफीकल्टीज़ आ रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक-दो कोटेशन कोटा करना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में एप्रोप्रियेट होंगे। यह कोटेशन जो इन्डो अमेरीकन टीम-ओन एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च and extension रिपोर्ट से लिये गये हैं, और हमारी जो

(श्री जुझार सिंह)

प्रोबलम हैं उनसे थोड़ा सम्बन्ध रखते हैं पहला यह है : "Before launching a major research programme of a particular problems, provision should be made for studying all facts of problems as it existed at the cultivators' level." दूसरा यह है : "agricultural programme should be designed and conducted in such a manner that answers to the cultivators' problems are forthcoming"

(१२.२३ म.प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

यह सिगनिफिकेन्ट कोटेशनीसं हैं जो भी प्रोग्राम चलता है उसमें कल्टीवेटर्स की क्या प्रोबलम्स हैं और उस प्रोग्राम के प्रति वह क्या फील करता है, इस बारे में सरकार को जान लेना आवश्यक है। आज कोटा के बारे में कहा है कि कोटा की प्रोग्रेस सेटिस्फेक्ट्री नहीं है। मेरा अनुमान है कि कल्टीवेटर्स की लाइफ में जो डिफीकल्टीज आती हैं और उसे जो मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उनको सरकार ने पूरी तरह डिटेल में स्टडी नहीं किया है और अगर स्टडी किया है तो जो डिफीकल्टीज हैं उनको इरेडिकेट करने के लिये, उनको मिटाने के लिये ध्यान नहीं दिया है, जिससे आपको प्रोग्राम को मीट करने के लिये व प्रोग्राम को बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। इसलिये जितना ध्यान दिया है, कल्टीवेटर्स की प्रोबलम्स को स्टडी किया है उससे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको जल्दी मीट करने की आवश्यकता है। इस दिशा में मैं कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। बहुत से महानुभाव, जो कोटा से आये हैं, उनके द्वारा, सीपेज, वाटर लोगिंग कम्पेन्सेशन न मिलने, रास्ता खराब हो जाने आदि की जो प्राबलम्स हैं, वे सदन के अन्दर बताई जा चुकी हैं फिर भी खास २ प्रोबलम्स जो चम्बल तक सीमित नहीं हैं, जो कोटा के दूसरे इरिगेशन बांध हैं उनसे भी सम्बन्धित हैं – के बारे में नहीं कहा गया है उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूगा। मैंने पिछली साल भी निवेदन किया था कि भीमसागर बांध १९५४ में शुरू हुआ और १९५८ तक वह पूरा होने वाला था। लेकिन अब १९६४ आ गया, उस बांध का क्या होने वाला है इसके बारे में सरकारी उत्तर आना चाहिए था। बांध का जो भी हो, उसकी कोस्ट के बारे में, जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ है उसका क्वेश्चन है, ये सारी चीजें सोचने की बात है। जो १९ लाख में बनने वाला था, उसका एस्टीमेट ७२ लाख तक पहुंच चुका है। ७५ % रिटर्न शिड्यूल्ड टाइम पर पूरा हो जाने पर मिलता उसके मुकाबले एक परसेंन्ट से कम मिलने वाला है। इन बातों की तरफ आपको सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो जमीन कल्टीवेटर्स की बांधों के नीचे आ गई है, जिसको लिये हुए दस साल हो गये हैं, उनका कम्पेन्सेशन न मिलना, अवार्ड तैयार न होना और अभी तक अनिश्चित दिशा में सब बात रखना खेद की बातें हैं और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और कम्पेन्सेशन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके साथ यह बात और है, वहां पर अमनावर गांव है वह भी भीमसागर बांध की डूब में आने वाला है। सरकार ने वहां के रहने वाले लोगों को ओर्डर दिया है कि मकान मालिक वहां पर अपने मकानों की रिपेअर्स नहीं करावें और अगर

(श्री जुझारसिंह)

कोई मकानों की रिपेयर्स या किसी तरह का उनमें ग्राल्ट्रेशन करवाएगा, तो सरकार उनका मुग्रावजा नहीं देगी। उनके मकानों की हालत खराब है, उनको ग्रपने मकानों को रहने के लिये मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है, मगर फिर भी ग्राप उनको कहते हैं कि ग्रगर वे मरम्मत करावेंगे, तो उनको कोई एक्स्ट्रा कम्पेन्सेशन उसका नहीं दिया जावेगा। एक तरफ तो ग्राप लोगों को इस प्रकार मकानों की मरम्मत कराने के लिये मना करते हैं ग्रौर पाबन्द करते हैं ग्रौर दूसरी तरफ उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं देते हैं। यह एक बहुत ही शोचनीय बात है। इसके लिये ग्रापको पूरा ध्यान देना चाहिये ग्रौर कम्पेन्सेशन देने के मामलों में जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिये, जिससे उन लोगों की जिनकी जमीनें व मकान डूब में ग्राये हैं उनको बहुत जल्दी कम्पेन्सेशन दिया जा सके।

दूसरी बात मैं काली सिंध बांध ग्रौर दूसरे बांधों के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रापने इस बांध से सिंचाई शुरू कर दी हैं ग्रौर हजार दो हजार बीघा जमीन में सिंचाई हो रही है। मगर ग्रभी ग्रापने यह तय नहीं किया हैं कि यह बांध इसी जगह पर टिकेगा भी या नहीं। क्योंकि यह बांध हर साल टूट जाता है। जब से यह बांध तैयार हुग्रा है तब से तीन बार टूट चुका है इसके लिये एक्सपर्ट्स की भी रिपोर्ट है कि ग्रगर इसी प्रकार यह टूटता रहा तो संभव है इसके साइट को यहां से चेन्ज करना पड़े।

(समय--समाप्ति--सूचक घन्टी)

इस बांध से जो इरिगेशन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है ग्रौर इसके नीचे जो जमीन डूब में ग्रा रही है उसका कम्पेन्सेशन ग्रभी तक नहीं दिया गया है, उनको कम्पेन्सेशन जल्दी दिलाने की कोशिश करें। यह तो उस क्षेत्र की जनरल डिफिकल्टी हैं।

इसके ग्रलावा मेरी कॉन्सटीट्यूएन्सी में भी तीन चार बांध ग्राते हैं ग्रौर उन का जो सरप्लस वाटर रिलीज होता है वह किसी नदी में नहीं जाता बल्कि वहां के कल्टीवेटरों के खेतों में चला जाता है। जिससे उनको बहुत नुकसान होता है। ग्रालनिया बांध है उसका पानी एक नाले में छोड़ा जाता है जहां से पानी कई गांवों में फैल जाता है ग्रौर इससे रास्ते रुक जाते हैं। लोगों को ग्राने-जाने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। ग्राने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, इसी तरह से कालीसिंध का बांध है। उसका भी पानी बगड़ा नाला में छोड़ दिया जाता है। जो दस-पांच गांवों में बहता हुग्रा कल्टीवेटरों को नुकसान पहुंचता है। मगर उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरह से पानी छोड़ने से किसानों के ग्राने जाने के जो रास्ते रोक दिये हैं उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। यही नहीं, जो पुराने रास्ते थे वे नहरों के ग्रा जाने से बन्द हो गये हैं ग्रौर नये रास्तों से लोगों का काम नहीं चलता। कभी कभी केनाल रोड़ से होकर किसानों को जाना पड़ता है जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट लोगों के ग्राने जाने पर कई तरह की कठिनाइयें उत्पन्न करता है ग्रौर इससे वहां के लोगों को बड़ी नाराजगी है। किसानों को ग्रपने खेतों के लिये बीज ग्रादि लेने के लिये केनाल रोड़ से जाना स्वभाविक होता है। इसलिए इसके संबंध में कुछ प्रबन्ध होना चाहिये।

(श्री जुझार सिंह)

इसके अलावा आपने जो चम्बल में इरिगेशन के टार्गेट रखे थे वे पूरे नहीं हुए हैं। इसी तरह से दूसरे बांधों में भी जो टार्गेट रखे थे उनमें शोर्टफाल रहा है, इन सब का कारण है कि कल्टीवेटरों को कम्पेन्सेशन नहीं मिलता, उनको रास्ते नहीं मिलते, उनके खेतों में इस तरह से पानी छोड़ दिया जाता है जिससे उनके खेतों को बहुत नुकसान होता है।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

दो मिनट।

इसकी वजह से डिफॉल्ट होता है और आपको इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। कल्टीवेटरों की भावना की कद्र करना चाहिये और उनकी जो डिफिकल्टीज़ हैं, उनको मीट करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): सभापति महोदय, सिंचाई विभाग में मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ माइनर इरिगेशन वर्क्स चालू रहते हैं। सिंचाई विभाग अभी तक इस मद पर प्रथम पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ खर्चा हुआ, इस खर्चे के अनुपात में यदि इससे मिलने वाले लाभ की तुलना की जावें, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार का जो फिज़िकल एचीवमेंट का टार्गेट था उसको पूरा करने में हमारी सरकार पूर्णतया असफल रही है। सभापति महोदय, जिस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिंचाई होनेवाली थी, उसी प्रकार के प्रोजेक्टों पर पहली, दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजना में जो कुछ भी खर्चा हम करपाये, वह सब मिला कर ७८ करोड़ के लगभग होता था। यह हमारी एस्टीमेटेड कोस्ट थी। इसके दौरान में वह ८० करोड़ के लगभग हो गई है। इस कोस्ट के बढ़ने के रीज़न्स हमारी सरकार ने समय २ पर दिये हैं और जो रीज़न्स दिये हैं और देती रही है, वे यह कि चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है और इस वजह से पार्टों के खर्चे बढ़े हैं और जिस समय एस्टीमेट बनाया गया था, उस समय से इस समय में इस प्रकार की वृद्धि होना आवश्यक था। यह बात यदि कुछ समय के लिये मंजूर भी कर ली जाय तो सरकार के सामने यह समस्या पैदा होती है कि जिस और हमने टार्गेट बनाये वे हमारे टार्गेट पूरे क्यों नहीं होते हैं। इसका खर्चा लगभग ८३ लाख का हो गया लेकिन टार्गेट तय किया था, वहां तक हम नहीं पहुंचे। सरकार ने उसको रिवाइज किया और २९ लाख के टार्गेट पर आए मगर वास्तव में २९ लाख की सिंचाई भी नहीं हुई और वे भी टार्गेट नहीं रहे और आखिर १५ लाख तक आये। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का एस्टीमेट खर्चे के कारण बढ़ता है। मगर हम यह समझने में असमर्थ है कि पोटेन्शियलिटी क्रीएट करने और यूटीलाइज़ेशन के टार्गेट किस प्रकार गलत जा रहे हैं? इसके लिये यह कहा जाता है कि किसानों को जितना कोन्शियस होना चाहिये था वे उतने कोन्शियस मेजर प्रोजेक्ट में नहीं हुए। मैं इसमें किसानों की गलती नहीं मानता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह सरकार की ही गलती है। सरकार को चाहिये था कि वह किसानों को कोन्शियस करती, सरकार ने इस सम्बन्ध में किसानों को कोन्शियस क्यों नहीं किया?

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरा मीडियम प्रोजेक्ट का सवाल है। उनमें तो एक दुःख भरी कहानी कही गई है। सभापति महोदय, जितने भी मीडियम प्रोजेक्ट हाथ लिये उनमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नही जिसमें एस्टीमेटेड कोस्ट से एक्चुअल कोस्ट नहीं बढ़ी हो और एक्चुअल पोटेन्शियलिटी के आंकड़े नहीं घटे हों। लेकिन कई वर्क तो ऐसे हैं जिनमें हमने १० या १२ लाख रुपये खर्च कर दिये है मगर उसका कुछ भी लाभ हमकों नहीं मिला। जैसे जुगलपुर, न्यूकेनल, प्रोजेक्ट भरतपुर, रामपुरा केनाल, अलवर में तैयार किये। उसमें ऐसा समझना चाहिये कि सरकार ने एस्टीमेट से ज्यादा रुपया भी खर्च किया मगर वहां पर पैदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे खेद है कि जिन बांधों का काम १९५६, ५७ और ६१ में शुरू किया था उनका काम भी अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ और उसके कारण सिंचाई नहीं हो पाई। आपका मीडियम मेजर में कोई काम नहीं। माइनर प्रोजेक्ट की हालत खराब है। माइनर इरिगेशन में होनेवाले कामों को देखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसमें जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिये कौन रेस्पोन्सीबल होगा? किसी को इसके लिये रेस्पोन्सीबल मुकर्रर करना होगा। मगर सरकार इसकी रेस्पोन्सीबिलिटी किसी पर फिक्स करना नहीं चाहती। इसका कारण यह हुआ कि दूसरे प्लान में १३२ लाख, तीसरे प्लान में १३१ लाख और अब १४१ लाख रहा। ऐसी स्थिति में हमें विचार करना पड़ेगा कि मेजर, मीडियम प्रोजेक्ट्स से हम इरिगेशन नही कर सके। यह माइनर वर्क ऐसा है जिस पर यदि खर्च किया जावे तो स्टेट को कुछ मिल सकता है और एग्रीकल्चर को लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि माइनर इरिगेशन वर्क से १० प्रतिशत भी क्रीएट नहीं कर पाये और उसको यूटीलाइज नहीं कर पाये।

यह तो हमारे उन सारे प्रोजेक्ट्स की स्थिति है जिन पर हमने इतना खर्चा किया है। पर राजस्थान के किसानों की स्थिति में कोइ इनसे सुधार नहीं हुआ है। राजस्थान में सरकार इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा और नहरों के द्वारा सिंचाइ के साधन जुटाती है- इसके बाद भी किसान इन सिंचाई के साधनों का उपयोग में क्यों नहीं लेता है? इसका कारण साफ है। जो बैटरमेंट लेवी, वाटर सैस, इरिगेशन चार्जेज सरकार ने किसानों पर इम्पोज किये हैं, उनमें गलत तरीका सरकार काम में लाई है। कोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को लिया है, कितना एरिया उस प्रोजेक्ट से इरिगेट हुआ है, कोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को उसमें विभाजित किया है और उस एरिया का जितना लगान आता है उससे बाकी का हिस्सा आता है उसको बैटरमेंट लेवी के रूप में वसूल किया है। यह एक बड़ा कारण है कि वाटर पोटेन्शियलिटी सरकार ने क्रियेट की है, उसका किसानों ने प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार जितना वाटर पोटेन्शियलिटि उसने क्रियेट की है, उसका प्रोपर यूटिलाइजेशन चाहती है, तो वह यह नही सोचे कि ज्योंहो किसान के खेत पर पानी पहुंचेगा, बैटरमेंट लेवी वसूल की जाय। इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेअरमेन हैं, उनके उद्धरण मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं।

वाटर पोटेन्शियलिटी इन्डिया में क्रियेट हो रही है, उसका प्रोपर यूटिलाईजेशन

Page No. 104

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं होता, उसका कारण यह बताया है कि किसानों को पहले कॉन्फिडेन्स में नहीं लिया जाता, पहले ही उस पर इम्पोजिशन्स लाद देते हैं। इससे किसान डर जाता है और इस कारण वह वाटर का प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं करता। श्री अशोक मेहता ने फूड ग्रेन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए आखिर में लिखा है : "The application of the cost principle charged for new projects, therefore, leads to much higher water rates being charged of rthe new projects. Under these circumstances, there is considerable justification for adopting the principle of back assessing or the fixing of rates. Besides that, there is need for uniformity of rates in homogenous States."

आगे भी विस्तार से लिखा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आरम्भ में वाटर पोटेन्शियल को यूटिलाइज़ करने के लिये किस तरह किसानों को कॉन्फिडेन्स में लेना चाहिये....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप अंग्रेजी जानते हैं क्या ? पोटेन्शियल की हिन्दी क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो आपने मुझे रिकॉग्नाइज़ तो किया ?

श्री भैरोंसिंह : शुरू से ही करता आ रहा हूं, आपको वहम क्यों हुआ कि आपको रिकाग्नाइज़ नहीं कर रहा हूं।

इसमें लिखा है :

"In some States, where the cultivators are not accustomed to the use of irrigation facilities, they have not shown ready willingness to use water on payment of charges. It has been suggested that to overcome this initial reluctance to the benefits of irrigation, there should be no assessment charge in the first year or two. It is expected that after the farmer has become convinced of the utility of irrigation by observing actual improvement in his production, he will be willing to pay the water charges."

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को जो यह आर्थिक संकट का भय लगता है, मैं समझता हूं इस भय के कारण वाटर पोटेन्शियल का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसलिये सरकार को उसी रूप में घाटा होता है। उस स्थिति में आरम्भ के वर्षों में किसानों को इरिगेशन के चार्जेज से मुक्त कर के सिंचाई की सुविधा देते तो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि कोटा के लोग सिंचाई का उपयोग करना नहीं जानते इसलिये वे सारे पानी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते; इनको इस पानी को यूटिलाइज करना सिखाना होगा; यह कहने की स्थिति नहीं होती। चम्बल डेम बन जाय और जो पानी हमें मिलता है उसका हम उपयोग नहीं कर सकें और इससे हमारे राजस्थान की और हिन्दुस्तान की खाद्य स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर यूटिलाइजेशन की कई कठिनाइयां थीं और हैं उन पर सरकार पुनः बिचार करे और किसानों

(श्री भैरोंसिंह)

को इनिशियेटिव देने के लिये इस प्रकार के चार्जेज् से उन्हें मुक्ति देकर उनमें कान्फिडेन्स पैदा करें ।

गंग केनाल, भाखरा से राजस्थान केनाल को पानी मिलता था उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने चर्चा की उस पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया, भारत सरकार को कहा और ऐसा सुना है कि भारत सरकार ने महसूस किया हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार डिफिटिस्ट मेन्टेलिटीको लेकर चलती है।सरकार को इस डिफिटिस्ट मेन्टेलिटी को छोड़ना चाहिये । पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उस हिसाब से और हैंडर्सन एवार्ड के हिसाब से जो कुछ राजस्थान को पानी का हिस्सा मिलना चाहिये था अभी नहीं मिल पाया हैं, आज भी पंजाब सरकार का कन्टेन्शन हैं, उसके मोटे–छोटे आंकड़ों के आधार पर चलती है कि पिछले साल कितनी सिंचाई हुई । इस साल इतनी ज्यादा हुई उस साल इतनी कम हुई । पंजाब सरकार का कहना हैं कि जो उस एग्रीमेंट का, अवार्ड का इन्टरप्रिटेशन हैं वह राजस्थान सरकार के हित में नहीं है, पंजाब सरकार के हित में है । मैंने उस एग्रीमेंट को देखा है, हैंडरसन एवार्ड को देखा हैं और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि राजस्थान सरकार की कमजोरी का लाभ उठा कर पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार अ क्रमण किया हैं, राजस्थान सरकार को ग्यारह लाख रुपये का घाटा दिया है और राजस्थान के हिस्से का पानी न दे कर राजस्थान के किसानों को ३करोड़ का घाटा दिया है । आज राजस्थानसरकार को डिफिटिस्ट मेन्टेलिटी छोड़ कर पंजाब सरकार और भारत सरकार को कह देना चाहिये कि पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को लगभग ३ करोड़ रुपयों का घाटा पहुंचाया हैं, राजस्थान सरकार पंजाब सरकार पर भारत सरकार के मारफत इस नुकसान का दावा करेगी, क्लेम करेगी और पंजाब सरकार को मजबूर करेगी कि राजस्थान सरकार की इस घाटे की पूर्ति करे । सिंचाई की दर, लैण्ड रेवेन्यू सब राजस्थान सरकार को छोड़ना पड़ेगी, किसानों को जो घाटा हुआ है, उसकी पूर्ति राजस्थान सरकार नहीं कर सकती । जब यह दृढ निश्चय लेकर राजस्थान सरकार चलेगी कि किसानों को नुकसान हुआ हैं उसको पंजाब सरकार से वसूल करेगी, राजस्थान सरकार का नुकशान हुआ है उसको भारत सरकार से वसूल करेगी, तभी पंजाब सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट का परिणाम निकलेगा और इस का एक परिणाम अवश्य निकलेगा कि जितना पानी अगले वर्ष सिंचाइ के लिये हमें मिलना चाहिये उसमें कमी नहीं होगी । वरना मिनिस्टर लेवल पर बात कर लें, इन्जीनियर्स के लेवल पर बातचीच करलें, इसका कोई असर पंजाब सरकार पर होने वाला नही हैं । पंजाब सरकार इस बात पर एडेमेंट है कि जितना पानी राजस्थान को देना चाहिये था वह दिया गया है । इससे ज्यादा राजस्थान का उज्र नहीं है । राजस्थान सरकार भी उसी प्रकार एडेमेंट बन जाय कि पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को घाटा पहुंचाया है, राजस्थान के किसानों को घाटा पहुंचाया है । उसका कम्पेन्सेशन राजस्थान सरकार पंजाब सरकार से क्लेम करेगी । क्लेम ही नहीं करेगी बल्कि कम्पेन्सेसन ले कर ही बैठेगी । यह स्थिती होगी, तभी राजस्थान सरकार और पंजाब

(श्री भैरोंसिंह)
सरकार के बीच हुए एग्रीमेंट का पालन होगा ।

लिसाड़ा ड्रेन का प्रश्न आता है, वह राजस्थान केनाल जितना ही चौड़ा है । पंजाब का वाटर लोगिंग का पानी, सारा बरसात का पानी राजस्थान केनाल के साइफोन के नीचे निकलेगा । केनाल बनती जा रही है । इस साल भारत सरकार के इरिगेशन मंत्री श्री के० एल० राव, राजस्थान के सिंचाई मंत्री और पंजाब के सिंचाई मंत्री की मीटिंग हुई । राजस्थान सरकार उस मीटिंग में यह नहीं मना सकी कि राजस्थान को पंजाब सरकार ने कितना नुकसान दिया है, इसलिये पंजाब सरकार को साफ कह दिया जाय कि इस ड्रेन को पंजाब सरकार बन्द कर दे । मेरे पास आज ही चिट्ठी आई है कि लिसाड़ा ड्रेन का उसी गति से काम चल रहा है जितना तेजी से कि शुरू हुआ था ।

आज तक वह काम बंद नहीं हुआ । पंजाब महसूस कर चलता है कि लिसाड़ा डैम जितनी जल्दी कम्प्लीट होगा, उतना ही पंजाब फ्लड से बच सकेगा । लेकिन नुकसान राजस्थान सरकार का होता है ।

(१२.५० म० पू०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

लिसाड़ा डैम का निर्माण राजस्थान को नुकसान पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने किया है, लेकिन उसका साइफन हमारे पास है । इस प्रश्न को पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार बैठ कर सोचें । एक एग्रीड फॉर्मूला बना कर हम उसके ऊपर कार्यवाही करें और यदि पंजाब सरकार का रवैया ठीक न हो, तो राजस्थान सरकार भी उसे कह दे कि जो मर्जी आए जो कर लो, लेकिन साइफन हमारे पास है । राजस्थान सरकार साइफन के नीचे, अपने नीचे नहीं आने दे जिससे राजस्थान सरकार के हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार भी मजबूर होकर विचार करेगी ।

मैं भी यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में भारतवर्ष के कई समाचारपत्रों में भाखरा के निर्माण के संबंध में कई चर्चाएं हुई । उन मोटी बातों में से एक मोटी बात यह भी आई जो राजस्थान के कॉमन वर्क्स हैं । भाखरा डैम का जो निर्माण कार्य हुआ है उसके अन्दर हमें खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है । यह सही है कि वह खर्चा पंजाब सरकार करती है, लेकिन उसका एडजस्टमेन्ट राजस्थान के अगेन्स्ट होता है । उस पैसे का दुरुपयोग होता है । वह जिम्मेदारी आप टैक्नीकली कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की है, लेकिन राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग होता है । वह राजस्थान सरकार अपने को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती । आपने देखा होगा पंजाब सरकार के एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स १९५०-५१ और १९५१-५२, उनके अन्दर भाखरा कैनाल और भाखरा डैम के बारे में कितने रुपयों के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है । इन्हीं एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स पर पंजाब की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने एग्जामिनेशन्स शुरू किए, वहां की पंजाब सरकार को लिखा और लगातार ४ वर्ष तक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस मसले को लेकर संघर्ष करती रही । उसका परिणाम यह निकला कि कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

समय के बाद वहां की सरकार ने १ अप्रेल, १९५६ को एक इन्डिपेन्डेन्ट कमेटी बिठाई, जिसके चेयरमैन थे श्री एस० एस० दौलत जो वहां के हाई कोर्ट के जज थे, श्री पी० सी० अग्रवाल और श्री दिलदार हुसैन; इन तीनों ने मिल कर सारी इर्रेग्युलैरिटीज़ की जांच की। यह कोई एक-दो हजार रुपये की इर्रेग्युलैरिटीज़ नहीं थीं, इसमें ६० लाख रुपये की इर्रेग्युलैरिटीज़ थीं, जो स्टोर्स पर्चेज़ और कन्सट्रक्शन के कामों में हुई थी।

श्री मानसिंह महार (आमेर): Point of Order, मेरा निवेदन यह है कि जिन पार्टियों का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है और दूसरी तरफ जिनका समय हो गया है और ओवर टाइम बोल रहे हैं, तो हमको भी इसके बाद समय दिया जायगा।

श्री सभापति : मैं इस समय कोई वचन नहीं दे सकता। टाइम का कैल्क्यूलेशन करता हूं। Yes, Continue.

श्री भैरोंसिंह : जब यह सारी स्थिति पैदा हुई, तो श्री दौलत ने सारी रिपोर्ट पंजाब सरकार को दे दी। इसमें पंजाब सरकार के कुछ इन्जीनियर्स भी इन्वोल्व्ड थे, बड़े बड़े अधिकारी उसमें इन्वोल्व्ड थे। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने फिर पीछा किया और सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि ६० लाख रुपये की धन-राशि का जो दुरुपयोग हुआ है उसमें जितने भी ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं, सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब सरकार ने श्री दौलत की रिपोर्ट, जो उन्होंने क्लियरकट ऑफिसर्स के खिलाफ अपने रिमार्क्स के साथ पेश की, उसको खत्म करने के लिए एक स्क्रुटिनाइजिंग कमेटी अपोइंट कर ली। कुछ इंजिनीयर्स, कुछ ऑफिसर्स और फिर जब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने आपत्ति की तो रिटायर्ड आई० सी० एस० ऑफिसर श्री० पी० एन० इस्माइल के हाथ में सारा काम दे दिया कि किस किस ऑफिसर पर कितनी रेस्पोन्सीबिलिटी फिक्स अप की जा सकती है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजस्थान सरकार के जितने भी प्रयास हो सकते थे, उन प्रयासों को न करने के कारण आज पंजाब के अंदर जिन रुपयों का दुरुपयोग हुआ है उसका शेयर भुगतान हमको भी करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब चीजें हमारे मंत्री महोदय के पास आती होंगी लेकिन यहां कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपने ऑफिसर्स के जरिये, ऑफिसर्स यदि नहीं कर सकें; तो एक इन्डिपेन्डेंट कमेटी बिठाकर जो कॉमन शेयर भाखरा केनाल के दर्वे डेम के खर्च में राजस्थान सरकार को भुगतान पड़े, उस खर्चे में जो इर्रेगूलर एक्स्पेंडीचर हुआ है; वेस्टफुल एक्सपेडीचर हुआ है एम्बेजलमेंट हुआ है, मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है; जो अमाउंट लाखों रुपए तक पहुंच गया, उस संबंध में राजस्थान सरकार जानकारी दे इस सदन को और यह बताएं

(श्री भैरोंसिंह)

कि कितने रुपये का दुरुपयोग हुआ है और उसके लिए पंजाब सरकार को मजबूर करें कि राजस्थान के कोमन शेयर में से उतना पोर्शन जिसके बारे में पंजाब सरकार डेफीनिट नहीं कह सकती कि इसका मिसएप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, वह राजस्थान के खाते में से काटा जाय। मैं सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन मसलों, गंग कैनाल का प्रश्न, भाखरा का प्रश्न, लिसाड़ा का प्रश्न और कम्पेन्सेशन के इश्यू को मजबूती के साथ नहीं रखेंगे तो पंजाब सरकार आपके ऊपर हावी हो जायगी। राजस्थान कैनाल बन रही है। हम राजस्थान कैनाल की कमांड एरिया में जमीन देने के लिए तैयार हैं, हम कमिटेड हैं। लेकिन राजस्थान सरकार कम से कम यह तो कहे कि पंजाब सरकार जो कुछ भी कहती है उसको मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी लेजीटिमेट डिमांड को इग्नोर करके चलती है, तो यह हो नहीं सकता। आपने बताया कि प्रोटेस्ट लैटर भेज दिया है, लेकिन पंजाब सरकार प्रोटेस्ट लैटर को समझे, यह उसकी आदत नहीं है। प्रोटेस्ट लैटर के साथ वह देखती है कि लैटर भेजने वाली स्टेट के एडिमिन्सट्रेशन के अंदर, लेजिस्लेचर के अन्दर कितनी ताकत है? पंजाब सरकार उसी आधार पर चलती है।

अंत में सबसे बड़ा जो खतरा राजस्थान के सामने है उसको मैं कहना चाहूंगा। समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि जिस मंगला डेम का निर्माण पाकिस्तान करवा रहा है उसका निर्माण १९७१ के अन्दर पूरा हो जायगा। हम पोंग डेम का निर्माण जिस गति से कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह १९७२-७३ से पहले पूरा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ, तो राजस्थान कैनाल को फीड करने के लिए व्यास का लिंक कम्पलीट नहीं कर पाएंगे, पोंग डेम का निर्माण नहीं कर पाएंगे–तो परिणाम यह होगा, कि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार के रिलेशन्स आज के दिन हैं, उसमें सुधार हो जाय तो दूसरी बात है, हालांकि सुधार होने की आशा नहीं है। १९४७ से लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हमारे संबंध उनसे अच्छे रहे, अच्छे नहीं हुए तो उसके आधार पर कल्पना नहीं की जा सकती कि अगले ७-८ वर्ष में हमारे संबंध इतने मधुर हो जायेंगे कि हम कहेंगे कि मंगला डेम के कारण जो हमें पानी का परसेन्टेज मिलना चाहिये, जो पानी पर पर हमारा अधिकार है, पाकिस्तान उसे पूरा करने की चेष्टा करेगा। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी पोजीशन पैदा न हो जाय कि जिस राजस्थान कैनाल पर हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, उसमें कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायं। टेक्स-पेअर को मुसीबत में न डालें और जो राजस्थान को पानी का हिस्सा मिलना चाहिए वह न मिले। इस संबंध में हमारी सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि राजस्थान की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है, यह हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं है।

इसलिये राजस्थान की सरकार भारत सरकार पर भी दबाव डाले कि यह इन्टरनेशनल ट्रीटी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच हुई है इससे कॉम्प्लीकेशन्स क्रीयेट न हों, मंगला डेम के निर्माण का काम बन्द होकर पाकिस्तान जो पानी लेना चाहता है, पानी के लिए रिजर्वेयर बना कर उसको मेन्टेन करना चाहता है, वह स्थिति आने से पहले हमारे

(श्री भैरोंसिंह)
कन्सट्रक्शनका काम पूरा हो जाय और जो पानी मिलने वाला है वह पानी भी मिलता रहे, इन शब्दों के साथ चार-पांच बातें माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी हैं उनको रखते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(१.०० म. प.)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमेन, मुझे कब शुरू करना हैं ?

श्री सभापति : १। बजे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कितनी देर के लिए ? जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना समय बढ़ाना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : रोज ही समय बढ़ाया जाता है, आज कौनसी नयी बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पौन बजे शुरू हो जाता है रिप्लाइ आम तौर पर ।

श्री मानसिंह महार: अभी २० मिनिट हमारी पार्टी के और बाकी हैं ।

एक माननीय सदस्य : हमारा भी समय बढ़ाया जाय ।

श्री सभापति : आप ट्रेज़री बेन्चेज से पूछ लीजिये मुझे समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं हैं । पहले श्री मानसिंह महार बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : दूसरी तीसरी लिस्ट में नाम था ।

श्री सभापति : आप ट्रेजरी बेंचेज से बात करें । उनके चीफ व्हीप से कोई आप ऐसी व्यवस्था लायेंगे तो समय बढ़ाया जा सकेगा । मुझे उससे कोई आपत्ति नही हैं । श्री मानसिंह महार बोलेंगे। १। बजे गवर्नमेन्ट रिप्लाई होगा ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :सभापति महोदय सदन के सामने इरिगशन की मांग प्रस्तुत है । यह एक महत्वपूर्ण मसला है । मैं कई दिनों से सुनता आ रहा हूं कि जिस क्षेत्र से मन्त्री महोदय पधारते हैं उधर कुछ जोधपुर के इलाके में, बीकानेर के इलाके में, जैसलमेर के इलाके में, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है । लोगों को आठ-आठ, दस-दस मील से पानी लाना पड़ता है । मैं समझता हूं कि वह सरकार जो आज भी पन्द्रह वर्ष सत्तारूढ रह कर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी, उस सरकार को एक मिनिट भी सरकार में रहने का हक नही, उस सरकार को स्तीफा दे देना चाहिये । उस सरकार को अधिकार नहीं है इन कुर्सियों पर बैठकर इन कुर्सियों को तोड़े । यह मेरा निश्चित मत है । यह शर्म की बात हैं कि १५ वर्ष की आजादी के बाद भी उस रिमोट एरिया को आप पानी नहीं दे सकते; आपकी करोड़ों रुपयों की योजनायें हैं । आप गंग केनाल और न जाने कौन कौन सी केनाल यहां लाने की बात करते हैं । आप उस एरिया को पानी नहीं दे सकते, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । मेरा पहला सवाल है कि जो सरकार जनता को रोजी–रोटी कपड़ा तो दूर रहा जो सरकार पानी न दे सकेः पानी की व्यवस्था न कर सके, उस सरकार को एक मिनिट भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिये ।

यह सरकार स्कीमें तो बहुत बड़ी बनाती हैं लेकिन उन स्कीमों के इम्प्लीमेन्ट कराने में मेरे खयाल से, मैं तो यह कह सकता हूं सभापति महोदय, कि सरकार की क्षमता नही

(श्री मानसिंह महार)

है कि इतनी बड़ी स्कीमों को वह इम्प्लीमेन्ट करें। महाराजा गंगासिहजी बीकानेर ने एक गंग कैनाल बनायी, वह आज तक आपके सामने ऐसा नमूना है कि आपकी बाद में बनायी हुई जितनी स्कीम्स हैं, वे सारी मुकाबला नहीं कर सकतीं। उनको भगीरथ की उपमा दी जाती है उस इलाके में। लेकिन आप जब राजस्थान कैनाल बनाते हैं और कोइ स्कीम लाकर रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिये कि कहीं पर वाटर लोगिंग होता है और कहीं पर वक्त पर पानी नहीं पहुंचता है। आपका थिंकिंग, मैं समझता हूं, मडल हैडेड है। आप एक ऐसे काम में फस गये हैं कि जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। आप में वह योग्यता नहीं। मैं सही कहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिचाई मंत्री): आप फेक्ट्स ज्यादा और एडजेक्टिव कम काम में लायें, तो समय की बचत होगी।

श्री मानसिंह महार : फेक्ट्स तो बहुतों ने दिये हैं, आपका दिमाग कुछ गोल हो रहा है। इसलिये हो सके तो ठीक करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप एडजेक्टिव लगाते हैं ज्यादा और फेक्ट्स रखते है कम।

श्री मानसिंह महार : मैं आपके दिमाग को सीधा करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका दिमाग तो सीधा हो जाय।

श्री मानसिंह महार : आपको जब से यह विभाग दिया है तब से यह काम गड्ढे में जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका दिमाग सही होगा, तो ठीक हो जायगा।

श्री मानसिंह महार : आप ठीक कह रहे हैं आपका दिमाग ठीक हो जाय। मनुष्यता से उन लोगों की दिक्कतों को देखें तो ठीक हो सकता है। आप अपनी चार दिवारी के अलावा कुछ नहीं देखते। आप यह जरूर सोच लेते हैं कि नागौर में नहर या बिजली कैसे पहुंचे।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह नेरो दृष्टिकोण तो आपका हो सकता है, मेरा नहीं।

श्री मानसिंह महार: मेरा है या आपका है, यह तो समय ही बतायेगा। आज जनता रो रही है आपके इस दृष्टिकोण को देख कर, यह आपको मालूम होना चाहिये। मुझे मालूम है आपके गांव में बिजली भी लग गयी है। दृष्टिकोण आपका नेरो है या मेरा है, यह तो आप अपने दिमाग से सोचें। आपके दिमाग में क्या हैं सही ढंग से सोचिये। समय की मुझे चिन्ता नही है। मैं अपनी पार्टी का ही समय ले रहा हूँ। आप घबराइये मत, आपको सही बात कही जाय, तो ठंडे दिमाग से सोचिये।

इरिगेशन के बारे में जितनी भी बड़ी स्कीमें हैं वे सिर्फ मडल हैडेड स्कीम्स है। मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा। राजस्थान और पंजाब के झगड़े में मैं नहीं जाऊंगा। पंजाब के कैरों का आप क्या मुकाबला कर सकते हैं? यह तो गनीमत है कि इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब में गये और सही सलामत लौट आये। आपकी क्या हालत हुई थी, वह मुझे मालूम है। मेरे पूर्व जनसंघी नेता ने कहा है। मैं कहना ही बेकार समझता हूँ। आप

(श्री मार्नासह महार) :
में दृढ़ता नहीं थी, ग्राप सामना नहीं कर सके, ग्राप बहुत कमजोर है, ग्राप पंजाब में जाते हैं तो धूजते-धूजते जाते हैं, डरते-डरते जाते हैं। ग्राप एसे जाते हैं जैसे कुछ मांगने जाते हों। ग्राप बराबरी की हैसियत से जांय तो कुछ लेकर ग्रावें। ग्राप डरते डरते जाते हैं। ग्राप तो कहते हैं कि बच कर ग्रागये, गनीमत है। ग्रच्छी हालत में हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): ग्राप क्यों नही साथ जाते ?

श्री मार्नासह महार : साथ जाकर क्या करूंगा ? ये तो पिटेंगे सो पिटेंगे, हमें ग्रौर ले डूबेंगे।

तो यह हालत है पंजाब से बातचीत की। लिसाड़ा डेम ग्रादि उन बातों में तो मैं जाता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ग्राप लायक नहीं हैं। मैं छोटी-मोटी लोकल बातों पर ग्राता हूँ।

ग्राप बहुत डींगें हांकते हैं कि यह कर दिया, वह कर दिया। कंचन का कर दिया। मानता हूं कंचन का तो किया ही। ग्रापने जमुग्रा–रामगढ़ का पानी बन्द किया ग्रौर जो इलाका उसका है उसके लिए एक सब्स्टीटयूट बांध नहीं बनाया जब कि उसकी स्कीम मौजूद है। ग्रापने हजारों एकड़ भूमि, जिनके लिए स्कीम थी, दूसरा बांध बनाकर सिंचित की जा सकती थी, वह नहीं किया क्योंकि ग्रापमें वह क्षमता नहीं। ग्रापको ग्रोहलंबा इसलिऐ नहीं देता कि ग्राप में क्षमता नहीं है। एक बांध को रोक दिया तो दूसरा बांध बना कर उस इलाके में पानी दे दिया जाय, ताकि शिकायत मिट जाय। ग्राप काम करते हैं, कोशिश करते हैं, यह मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ग्राप में उन चीजों को सही ढंग से करने की क्षमता नही है। एक मिसाल दूंगा, ग्राप कान खोल कर सुनियेगा, डाट मत दे दीजिये। गोविन्दगढ़ पंचायत समिति तीस मील दूरी पर दो ट्यूब वेल्स बनाने की योजना बनी। इन दो ट्यूब वेल्स के लिये तीस–तीस हजार की तकाबी दी गई। मैं ग्रापको मडल हैडेड प्लानिंग का नमूना दे रहा हूं। तीस–तीस हजार रुपया तकाबी के तौर पर खेत, डोली ग्रौर गोविन्दगढ के सात ग्राठ काश्तकारों को दिया गया। जब तकाबी दे दी गई, तो क्या होता है। खेत-डोली में ट्यूब वैल खोदने के लिये किसी एक्सपर्ट की ग्रोपीनियन नहीं ली गई। वहां के जो उस समय के बी० डी० ग्रो० थे, श्री बलवन्तसिंह मेहता, जो एक रिटायर्ड ग्रॉफिसर के लड़के हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते, उन्होंने डायरेक्टली ग्रॉर्डर दे दिया मोटरों का, काश्तकारों को एक पैसा भी नही दिया गया, डाइरेक्ट उन्होंने ही सारा काम करवा डाला। काम ऐसा कराया कि तीन महीने के भीतर भीतर मोटरें, ट्यूब वैल सब खत्म हो गये। वहां के काश्तकार कहते हैं कि हमे तो एक भी पैसा नही दिया गया। ग्रब ग्राप ही बताइये वे लोग ग्रौर तकाबी मांगने को तैयार हो गये, वहां खल बली मची हुई है, ग्राखिर इसका कौन रेस्पोन्सिबल है ? ग्राप किसी की रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, यह ग्रापकी ग्रज्ञानता का नमूना है।

(श्री मानसिंह महार)

गोविन्दगढ़ में ट्यूब वेल बना है वहां भी सात आदमियों के नाम तकावी दी गई। ये ही बलवन्तसिंह हैं जिन्होंने वहां पर भी ट्यूब वेल खुदवाया, सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया। आप उनका कुछ नहीं कर सकते, आप में दम नही है। वहां भी इसी तरह डाइरेक्ट मशीनें मंगवालीं, काम कराया। काश्तकारों को एक भी पैसा नहीं दिया गया, देते तो वे भी ला सकते थे। डाइरेक्ट मंगवाकर लगा दिया गया। उस ट्यूब वेल में पानी आता है लेकिन उससे केवल आस-पास की तीस बीघा जमीन है जो सरपंच महोदय की है और एक बड़े महन्त महाराज हैं उनकी है। उसी तीस चालीस बीघा जमीन ही उस ट्यूब वेल का पानी पी जाती है। उसके अलावा पांच गरीब काश्तकार हैं, उन बेचारों की जमीन को पानी नहीं मिलता है। बिजली की तकावी के सिलसिले में मैं वहां गया था। उन लोगों ने भी दरख्वास्तें दीं कि हमें भी बिजली के लिये तकावी दी जाय। मैंने कहा आपके तो ट्यूब वेल हैं। उस पर उन्होंने कहा कि महाराज हमको तो बताया तक नहीं गया, हमारा नाम जबरदस्ती से बी० डी० ओ० साहब ने रख दिया। आप इसकी जांच कर लीजिये। उनके यहां पानी नहीं पहुंचता है। हमने कहा मजबूर हैं, आपको तकावी मिल चुकी, ट्यूब वेल के सिलसिले में इसलिये बिजली के लिये दुबारा तकावी नहीं दी जा सकती। इस तरह से वे तकावी से वंचित रह गये और दोनों जगह के ट्यूब वेल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जब हमने इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर ऑफिसर को पूछा कि आपने यह क्या किया दोनों ट्यूब वेल में पानी नहीं आता है तो उन्होंने कहा हमसे तो राय भी नहीं ली गई, हमको तो किसी ने पूछा तक नहीं। आपका प्लानिंग का जो बेस है गलत है, एक्सपर्ट से पूछा गया वे नट गये, किसी से उन्होंने नहीं पूछा। यह सब बी० डी० ओ० बलवन्तसिंह थे उन्होंने सब कुछ अपने मन से कर लिया जो कि गोवर्धनसिंह मेहता के सुपुत्र हैं। जो कुछ भी इधर उधर करना था कर लिया और इस तरह से साठ हजार रुपये पंचायत समिति के डूब गये। और इस तरह से राजस्थान सरकार की ट्यूब वेल बनाने की योजना खत्म हो गई। बेकार गये वे साठ हजार रुपये। आपका क्या बिगाड़ा। जिन किसानों के नाम तकावी दी गई उनका तो बिगड़ गया, इस तरह से प्लानिंग का आप मडल कर रहे हैं, आप खुद चल कर देख लें। मैं कोई भी बात कहता हूं मंत्री महोदय को शक रहता है कि मैं बात कहता हूं वह तोड़-मरोड़ कर कहता हूं। जैसे मैंने परसों रामपुरा रूपा की बात कही थी, उस समय पंचायत मंत्री चमक उठे। लेकिन मुख्य मंत्री को उसके लिये एन्टीकरप्शन में देने की बात कहनी पडी।

आप से मेरा यही निवेदन है कि ट्यूब वेल के मामले की ईमानदारी से जांच करायें तो इस केस को भी एन्टीकरप्शन में देना पड़ेगा और विकास अधिकारी को मोअत्तिल करके इसकी डिटेल्ड इन्क्वायरी करानी पड़ेगी। बड़े आदमी के सुपुत्र हैं। मैं जानता हूं आप यह कर नहीं सकोगे। अगर आप कुछ कोशिश इस प्रकार की करेंगे भी तो आपके सामने बहुत दबाब आयेंगे, आप कर नहीं सकेंगे। आपको मैं चेता देना चाहता हूं आप आश्वासन भी इस प्रकार देना चाहें तो सोच समझ कर देवें जल्द बाजी में कुछ मत कहना। गजब हो जायेगा। मेरा कहना यह है कि इरिगेशन की बात है वहां आप

(श्री मानसिंह महार)

पंजाब से हार चुके, इसमें कोई दो राय नहीं। घर में भी आप फेल हो गये हैं, कुछ नहीं कर सके हैं। जिला बोर्ड के समय में कुओं के नाम से पैसा लगाया गया, आपको मालूम नहीं वह पैसा कहां गया। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने लाखों रुपया दिया जिला बोर्डस् को, उनको राइट-ऑफ कर दिया गया। वह पैसा नहीं लगा है, पैसा केवल कागजों में लगा है, दो चार कागजी घोड़े दौड़ाकर उसको राइट-ऑफ कर दिया। कागजों में ऐसे ऐसे आदमियों के नाम पैसा दिया गया है जो उस गांव में रहता तक नहीं है, उस नाम का कुआं नहीं, तहसील में नाम नहीं मिलता उसके लिये आदेश हो जाते हैं राइट-ऑफ कर दिया जाय। इस प्रकार जयपुर जिला बोर्ड के एक हजार केसेज़ हैं। उसकी जांच करना चाहें तो मैं साथ बैठ कर जांच करवा सकता हूं। जिनकी रकम राइट-ऑफ की गई, वे आदमी आज भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सफेद टोपियां लगाने वाले हैं, आप उनके लिये कोई एक्शन नहीं ले सकते। उनसे दब कर कह दिया कि राइट-ऑफ कर दिया जाय। यह आपके अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये गये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अ॰ दिये गये पैसों का हाल है। आप चैलेन्ज कीजिये मैं बताता हूं मिसाल दूंगा यह कहें कि इसकी इन्क्वारी करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसको राइट-ऑफ कर दिया........

श्री मानसिंह महार : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के समय में गांवों में कुंए बनवाने के लिये पैसा दिया गया....

श्री नाथूराम मिर्धा : किसको ?

श्री मानसिंह महार : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जयपुर को दिया है। वह पैसा आपस में भाई-भतीजों और नेताओं में बट गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : राइट-ऑफ किसने किया ?

श्री मानसिंह महार : जयपुर जिले में दिया गया आप इन्क्वायरी करिये, जिस काम के लिये दिया गया वह काम नहीं हुआ। ऑडिट आब्जेक्शन्स इसके बारे में आये तब आपने इसको राइट-ऑफ करने का निर्णय लिया। आडिट ऑब्जेक्शन्स में यह था कि यह बताया जाय कि जिन कामों के लिये पैसा दिया गया वे कम्पलीट हुए या नहीं। जल बोर्ड द्वारा यह पैसा दिया, गया अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा जिला बोर्डों को दिया गया, उसके अकाउन्ट्स का जिक्र रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इरिगेशन से संबन्धित नहीं है, इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं रिलेवेन्सी इसकी यहां है नहीं, वैसे भी समय कम है। हमें आखिर एक लाइन से चलना है, न कोई इस संबन्ध में मांग है न आपका कटौती का प्रस्ताव है, जनरल भाषण देना चाहें तो दूसरी बात है। आप सीनियर सदस्यों में हैं आपके लिये यह शोभा नहीं देता।

श्री मानसिंह महार : अपन तो एक साथ ही जन्मे हुए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू में साथ थे बाद में आप चले गये अब फिर आ गये इसलिये आप सीनियर हैं।

श्री मानसिंह महार : इस तरह से आप टालना चाहते हैं तो दूसरी बात है। जैसे पंचायत मंत्री ने कहा था कि मैं उस समय मंत्री नहीं था उससे पहले लिया होगा, आपभी यही कह रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मांग से उसका संबन्ध नहीं है, आप ऐसी बातों को लाकर रक्खें जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता उसको रखने से क्या फायदा ?

श्री मानसिंह महार : मैं फिर कहता हूं कि यह इरिगेशन का मसला है इरिगेशन के लिये, कुओं के लिये पैसा दिया गया और वह पैसा डूब गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरे से ताल्लुक नहीं रखता, इरिगेशन के लिये नहीं दिया गया ?

श्री मानसिंह महार : क्या आप एडीशनल ग्रान्ट वाटर बोर्ड को नहीं देते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थ्रू उन दिनों वितरण हुआ........

श्री नाथूराम मिर्धा : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड देता है। वह इसमें नहीं आता है।

श्री मानसिंह महार : वह पैसा किस जगह लगा पता नहीं। उसको राइट-ऑफ कर दिया जाता है। ट्यूब वैल का हाल यह है कि एक गोविन्दगढ़ में ट्यूबवैल को टेढ़ा फिट कर दिया अगर प्राइवेट आदमियों से करवाते तो तकाबी वाले रोते नहीं आपको। यह अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की इनएफीशियेन्सी का नमूना है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

उन्होंने ट्यूब वैल बिल्कुल टेढ़ा लगा दिया। एक की तो मशीन टूट गयी और जो टर्बाइन पम्प था वह टूट गया और दूसरे में जितना पानी आना चाहिए उसका १० वां हिस्सा पानी आ रहा है। आप तो अपना पैसा लेकर मस्त हो गये और काश्तकार रोते हैं। यही चन्द शब्द कह कर, क्यों कि चेयर का आदेश हुआ है कि ज्यादा न बोलूं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दें। यह अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तो आपके नीचे ही है। हमारे जो ट्यूब वैल्स बिगड़े हुए पड़े हैं उनको आप मेरे साथ चलकर देखें। जानता हूं, आप दौरों पर जाते हैं तो आप अपने ही साथियों को ले जाते हैं। हमको ले जायें तो आपकी पोलें खुल जायें। चिट्ठी जायेगी तो डी० सी० सी० को जायेगी, एम० एल० ए० को नहीं जायेगी, क्यों कि हम जायें तो सारी पोलें खुल जायें। आप अपने घर के पैसों से नहीं पधारते हैं। मोटरें टूटती हैं तो एम्बेसेडर और जीप स्टेट गैराज की टूटती हैं, जब आप जाते हैं। यह नहीं है कि आप मोटरें कोई घर की तोड़ते हों ! किस तरह से फियेट आपने दी हैं.......

श्री सभापति : अब की बार ले जाइये।

श्री मानसिंह महार : घबराइये मत। आप तो ऐसे गोल हैं कि कुछ लगता ही नहीं है आपके जैसा तो मैंने कोई मंत्री ही नहीं देखा। आज चार-चार बार इस्तीफा दे दिया। बनती नहीं सुखाड़िया साहब से, फिर भी यहां बैठे हैं। ऐसी निभड्डाई भी दुनियां में होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, सदन का टाइम पूरा होने वाला है........

श्री सभापति : आप कितना समय लेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर जवाब सुनना चाहेंगे तो १ घंटा चाहिए और अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो १० मिनिट में ही जवाब दे दूंगा ।

श्री मानसिंह महार : पूरा ही घन्टा दीजिए, इनको तो ।

श्री सभापतिः आपको २० मिनिट का समय दिया जाता है । अगर नहीं. तो क्या सदन की मन्शा है कि सदन की कार्यवाही सांयकाल ३ बजे तक के लिए स्थगित की जाये........

('जी नहीं' की आवाजें)

तो फिर क्या किया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बढ़ा दी जाये ।

श्री सभापति : आप २५ मिनिट में अपना जवाब दे दें और १ बजकर ५० मिनट पर मांग पर मतदान होगा. No more extension of time.

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने आज तीन मांगे सिंचाई से संबंधित पेश हैं । इन तीनों मदों का खर्चा कुल २८ करोड़ के लगभग बनता है । ये २८ करोड़ की धन-राशि जो हम इस साल सिंचाई के कामों पर खर्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी रकम तीसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे साल में जो बजट में हमने प्रावधान किया है इस कुल खर्चे का लाभ हमारे राजस्थान के किसानों को, जो गांवों में रहते हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होगा । माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को गांवों की जनता और किसानों से काफी प्यार है । किसी को नकली है किसी को असली है, पर जरूर वह प्रेम है और वह किसानों का नाम लेते हैं । उसके बाद किसानों के पीने के पानी की भी कमी है उसके लिए तड़फन दिखाते हैं, मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा धन-राशि हमारे गांवों के लोगों के लिए, जो गांवों में लगेगी और वहां की जो जनता गरीब है, पिछड़ी हुई है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के अन्दर धन-राशि को खर्च किया जाये, यह २८ करोड़ रुपये की धन-राशि जिसके ऊपर आज सदन मतदान करेगा यह धन-राशि राज्य के अलग अलग इलाकों में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, जो पानी किसानों के पीने के काम भी आयेगा, किसानों के मवेशियों को पीने के काम भी आयेगा और किसानों के खेतों को भी हरा–भरा बनाने के लिए काम आयेगा। इसलिये जितना भी प्रावधान हम सिंचाई के तहत करते हैं वह न केवल पीने का पानी की समस्या ही हल करता है बल्कि उसके कई इन्डाइरेक्ट फायदे भी हैं ।

जहां नहरे चलती हैं और जहां पानी आता है वहां जहां पानी के कुंए है उनके पानी का लेवल बढता है और उसके जरिये भी उसका इन्डाइरेक्ट बेनीफिट हमारे किसानों को कई रूप में प्राप्त होता है । इसलिए इस धन-राशि के ऊपर जो सदन के माननीय सदस्यों ने दिलचस्पी लेकर कई कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये; मैं एक एक कटौती के प्रस्ताव का जवाब न देकर, क्योंकि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समय की कमी की वजह से जिन मुद्दों के ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं और जिन प्रोजेक्टस के बारे में कहा गया, उनके ऊपर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी योजना राजस्थान नहर की चल रही है जिसको कि शुरू किये आज करीब ६-७ साल का अर्सा हुआ है। उस योजना पर इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की नहर के ऊपर ४० करोड़ रुपया की धन-राशि को खर्च करने का प्रावधान शुरू में हमने सोचा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर की योजना को हम कुछ भागों में बांट लें; इसको ठीक तरह से समझने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा और इसको हम ठीक तरह से समझ पायेंगे। राजस्थान नहर की योजना में बहुत से काम भारत के आजाद होने के पहले ही पूरे किये जा चुके थे, जिसमें खास तौर से हरीके का बांध और व्यास-माधोपुर लिंक है। ये वर्क्स प्रि-पार्टीशन डेज़ में हो चुके थे और क्यों कि यह राजस्थान नहर से संबंधित है इन दोनों योजनाओं की वजह से जो पानी राजस्थान की नहर में आने वाला है और उसके ऊपर भी राजस्थान को अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा और इन दोनों वर्क्स के ऊपर राजस्थान को ५ करोड़ रुपये की राशि अपने हिस्से से देनी पड़ेगी। उसके बाद राजस्थान नहर का वह हिस्सा जो पंजाब में बन रहा है वह ११० मील का लम्बा लिंक है उसके ऊपर जितने वर्क्स बनने चाहिये और जिनको बनाना है उन कुल वर्क्स में से जिनको पूरा होने का काम इस ६४ की साल के अप्रेल के महीने तक की मियाद थी वह योजना के सारे के सारे काम अप्रेल में पूरे न होकर ६४ की जून तक पूरे हो जायेंगे। इसलिए जून के बाद जो बरसात होगी, उस बरसात से जो पानी राजस्थान में आने वाला था वह समय पर ले सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ वर्क्स को छोड़कर जिनमें साइफन का वर्क भी है, काम पूरा हो जायगा और जो पानी राजस्थान में लेना चाहते हैं वह आने वाले मानसून में राजस्थान में ले सकेंगे। इसलिए लिंक का काम जो पहले अप्रेल में शिड्यूल होने को था वह अब जून में पूरा होगा। तो दो महीने के अन्तर से जो फायदा मानसून से मिलने वाला है उसमें कमी नहीं आयेगी। क्योंकि वह बहुत बड़ी लिंक थी, साइफन के काम थे, कैनाल रीचेज के अन्दर कैनाल खोदने का काम भी काफी डिफिकल्ट था और वहां पर पानी का लेवल जो कि हैड वर्कस के पास है ६-७ फिट ही नीचे है वहां कैनाल को जोड़ करना पड़ेगा और वाटर की हाई लेवल पर जो प्रोबलम है उसकी वजह से जो खोदने में डिफिकल्टी थी इसकी वजह से सारा का सारा प्रोग्राम २ महीने पिछड़ गया है। इसलिए उसकी वजह से भी आम तौर से राजस्थान को नुकसान नहीं होगा क्यों कि यहां प्रश्न उठाया गया कि राजस्थान कैनाल की प्रगति धीरे २ चल रही है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए वह लिंक जो पंजाब में बननी चाहिये वह जून तक बन जायेगी। उसके बाद जो लिंक राजस्थान के हिस्से में, जिसको स्टेज नम्बर वन कहते हैं, उसको जहां तक पूरा करने का प्रश्न है उसके बारे में अगर माननीय सदस्यों का प्रगति से मायने यह है कि जो कुछ धन-राशि हमने राजस्थान की इन पिछले तीन वर्षों में राजस्थान की नहर पर, जिसका प्रावधान किया है जहां तक उसके खर्च करके यूज करने का प्रश्न है हम अगर उस प्रगति का अंकन करें तो मैं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार की प्रगति की कमी नहीं है ।

राजस्थान में इन तीन वर्षों में जो धन-राशि राजस्थान नहर के स्टेज नं० १ को राजस्थान में पूरा करने का जहां तक प्रश्न था, उस प्रश्न में हमने इन तीन सालों में करीब साढ़े उन्नीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और लगभग १६ करोड़ चालीस हजार तक की राशि हम इस योजना पर इन तीन वर्षों में खर्च कर चुके हैं । इसलिए जहां तक प्रगति आंकड़ों की है जिन पर कि प्रावधान किया गया है उनके खर्च करने की प्रगति करने का, जहां तक वर्क करने का सम्बन्ध है, जहां तक सारी डिफिकल्टीज़ का सम्बन्ध है, क्योंकि राजस्थान कैनाल जिस एरिया में बन रही है वह डिफिकल्ट एरिया है, रेतीला एरिया है, जहां कि पीने के पानी का प्रश्न है, इतनी बडी तादाद में मजदूर काम करते हैं उनको देखते हुए, और राजस्थान कैनाल में जैसी मशीनें हैं, आपने भी कहा कि पुरानी है और जितना टर्न ओवर उनको देना चाहिये उतना नहीं दे सकती, ए० सी० का इन्तजाम उन पुरानी मशीनों के लिए अभी तक नहीं हो सकता है, एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, मैकेनिकल आदि होने चाहिए, तो माननीय सभापति जी, आपके जरिये मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिस बड़े पैमाने पर मैकेनिकल स्थानों की आवश्कता है मशीनों को दुरुस्त करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, मैकेनिकल इन्जीनियरों का जिक्र करते हैं तो ए० सी० का इसमें इसलिए नहीं कर पाये हैं । ए० सी० की ही बात नहीं है, मैकेनिकल सेक्शन में इस प्रकार के आदमी हर लेवल पर टेक्निशियन्स की आवश्यकता है वह हमको नहीं मिलने की वजह से राजस्थान की मशीनरी जो कि सही करके काम में लगाई जा सकती थी उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं । फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से एलोकेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्जीनियर्स का एवेलेबल था करीब १६।। करोड़ रुपया था उनमें से करीब करीब १० लाख रुपये की छोड़ के पूरी की पूरी धन-राशि इस मामले मे खर्च कर पायेंगे । उसके बाद में जो, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एलोकेशन ५।। करोड़ का तीन वर्ष में हुआ है, हमारा अन्दाजा तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों में जो धन-राशि हम इसमें प्रावधान करके चल रहे हैं वह करीब २५ करोड़ के लगभग थी । इस तरह से अगर हम सोचें कि ५ करोड़ की धन-राशि जिसका प्रावधान करने की बात राजस्थान कैनाल में करने का सोचा था वह नहीं कर पाये, उस हिसाब से काम स्लो मानें, क्योंकि धन की कमी के बारे में प्रावधान की कमी के कारण कमी हो गई और भारत सरकार में ऐसा हुआ कि उसमें उस प्रकार का क्रेइचन था इस वजह से २५ करोड़ के बजाय १६, १६।। करोड़ की धन-राशि उपलब्ध हुई थी, उसमें जो राजस्थान के इन्जीनियर्स का, राजस्थान के मजदूरों का, राजस्थान के लोगों को जो उपयोग करना चाहिये था, उसका करीब ६६ पर्सेंट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सही दृष्टिकोण से किया गया है और उस मायने में राजस्थान कैनाल की प्रगति हुई नहीं है वह उस कारण से मानें कि जहां उसमें २५ करोड़ खर्च करना था वहां १६ करोड़ रुपया खर्च किया गया है । उस माने में यदि प्रोग्रेस को तो लें मैं कह सकता हूं कि प्रोग्रेस स्लो है । मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने अन्दाजा लगाया था राजस्थान कैनाल के प्रथम चरण को १९६८ तक पूरा कर सकें । अब जिस प्रकार का प्रावधान जो सामने आ रहा है पहले तीन वर्ष के काम से तो बाकी के इन दो वर्षों में जितना मेक-अप किया जा सकता है हम उसको करेंगे और पूरी धनराशि जैसी कि सोची थी, करीब ३१ करोड़ और पहले आंकड़े दिये थे ३८ करोड़ के, तो इस प्रकार की बात नहीं है । जैसे जैसे देश के अर्थ-साधन होते हैं और जिस प्रकार का प्लानिंग का एलोकेशन होता है राजस्थान के प्लान सिलिंग को फीड इन करते हुए एलोकेशन किया जा सकता है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान करने की बात सोच रहे थे और पूरा करने की बात सोच रहे थे, राजस्थान कैनाल का फर्स्ट स्टेज राजस्थान के अन्दर पूरा होना चाहिये ६८ में वह एक साल लेट होकर ६९ तक जा सकता है । इसलिए राजस्थान नहर के बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं, मेरा इतना कहने के बाद मैं सोचता हूं कि सारी की सारी स्थिति को स्पष्ट कर देगा ।

इसके बाद मैं भाखरा और गंग कैनाल के बारे में जो सदन में माननीय सदस्य, ने चर्चा की और अपने क्षेत्र की ओर से इस बात पर जोर दिया कि भाखरा कैनाल के अन्दर जितना पानी मिलना चाहिये उतना पानी नहीं मिला । गंग कैनाल को जितना पानी मिलना चाहिये उतना पानी नहीं मिला । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मारफत सदन के माननीय सदस्यों से, खास तौर से भाखरा के माननीय सदस्य से, जिनका कि अमरसिंह ब्रांच से और जैसाना ब्रांच से सम्बन्ध है, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है उनसे निवेदन करता हूं । उन्होंने बताया कि पंजाब से पानी जो कुछ ड्यू था उससे पानी हमको कम मिला जिससे फसलों में कमी आई है । पानी फसलों के बोने के समय नहीं मिला और उसके बाद में फसलों के पकने का वक्त था, उस समय कम मिला । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है उसके अन्दर भाखरा की नहरें पंजाब में जिस तरह की बनी हुई हैं, उनकी नहरों से यहां अन्तर है । उन नहरों को जब तक आप ठीक नहीं कर सकते तब तक पानी उनके अन्दर ज्यादा नहीं आ सकता है । उन नहरों को बड़ा करने के लिए भी डिस्प्यूट चला कि नहरों को बड़ी की जाय, ताकि राजस्थान की फुल सप्लाई का कोटा राजस्थान को दिया जा सके । उसके बारे में यह टंटा पैदा किया गया कि अगर इनको माडीफिकेशन करना है, तो राजस्थान को खर्चा बरदाश्त करना चाहिये जबकि राजस्थान अपना खर्चा पूरा उसके हिस्से के बांध का बियर कर चुका है । गलती दूसरी ओर रही है तो राजस्थान क्यों बरदाश्त करें ? इस प्रकार के कई झगड़े हैं जो कि इन दो ब्रान्चेज़ के बारे में अभी पेंडिंग हैं । फिर भी मामलों का तय करके जो माडीफिकेशन करके पानी की सप्लाई की, जितनी जरूरत है उसकी केपेसिटी राजस्थान में हो उतना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पानी मिलें और सही रूप में मिले इसके बारे में हम पूरी तरह से जागरूक हैं और प्रयत्न कर रहे हैं ।

गंग कैनाल में पानी की सप्लाई की एरेटिक रही है, बोने के वक्त, फसलों के पकने के वक्त; तो भाखरा में भी यही स्थिति है कि फर्टीलाइज़र जितना यूज़ करना चाहिए था उतने यूज़ नहीं कर सके । इसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि जैसी कि माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, हम इसकी बात मानते हैं कि उनकी चिन्ता वाजिब है कि किसानों को एरेटिक पानी की सप्लाई होती है, वक्त पर पानी नहीं मिलता है और क्लोज़र जिस समय नहीं करना चाहिए उस समय कर देते हैं और पंजाब ने जैसा रवैया हमारे साथ में रखा है, मैं कह सकता हूं कि वह सन्तोषजनक नहीं रहा है, इसकी वजह से इसका परिणाम हमारे किसानों को उठाना पड़ रहा है इसका परिणाम उठाना पड़ रहा है, उनको घाटा उठाना पड़ रहा है । राजस्थान सरकार इसके बारे में पूरी जागरूक है और राजस्थान सरकार ने समय २ पर पंजाब की तरफ से जो कुछ भी उन्होंने इस तरह की कार्यवाहियां की हैं अपनी तरफ से जो गलतियां की है उनके बारे में पंजाब को लिखा जाता रहा है । पंजाब को इंजीनियर्स के लेवल पर ही नहीं, विभाग के लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर भी लिखा जाता रहा है । अभी तक बराबर लिखते रहे हैं; मिलते रहे हैं और बात कर रहे हैं । भारत सरकार के नोटिस में सारी बातें लाते हैं । माननीय सभापति जी, यह तो हम मानकर चल सकते हैं कि राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों अलग २ सूबे की सरकारें हैं और एक तरह से वे डेमोक्रेसी के प्रजातन्त्र के विधान के अन्दर काम कर रही है । हम एक हद तक किसी एक एटीट्यूट को लेकर सारी बातों, समस्याओं को हल करने की बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में कह सकते हैं वह हमने की है । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके बारे में चिन्तित नहीं हो, ऐसी बात नहीं है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पंजाब को लिखा है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की मिनिस्ट्री ने पन्जाब गवर्नमेंट को समय समय पर इन बातों को ठीक करने के बारे में चेतावनी के रूप में कहा है । इसके बारे में लगातार मसला अन्डर डिस्कशन है । भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय के इन्टरफियरेन्स की वजह से हमें आशा है कि इन मसलों में जो कमियां रही हैं उनका जो हल निकालना है वह हल निकालेंगे ।

अब किसानों का जो नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है उसके बारे में हमारा विभाग जागरूक है । जो नुकसान हुआ है हम सोचते हैं कि वह सही दर्ज करना चाहिये और किसानों को जो वाजिब राहत इसके जरिये दी जानी चाहिए और जो उनका हक है वह उनको मिलना चाहिये ।

इसके साथ साथ गंग कैनाल और भाखरा की टेलों तक पानी पहुंचने के बारे में जो डिफीकल्टी है उसके बारे में जिक्र हुआ है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई नई चीज़ शुरू होती है, भाखरा के कई गांवों में गया हूं, मुझे जानकारी है उस सिलसिले

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में हमने देखा है। हम खास तौर से एक एक टेल के बारे में जागरूक हैं कि किस हद तक पानी पहुंच चुका है और किस हद तक पानी पहुंचना बाकी है और पानी पहुंचने के लिए क्या रीमोडिफिकेशन किये जायें क्योंकि कई जगह नहरों का लेवल गलत हो गया है, उसको ठीक किया जाय। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी टेल के आखीर किसान तक पहुंच जाय।

इसकी वजह से मोगों के अंदर रेगुलेटर लगा कर जो कार्यवाही हमने चालू की है, जिसके जरिये नहर से पानी बराबर मिलता रहे, इसके लिये कई किसानों में नाराजगी है। जो ऊपर की रीचेज में रहते हैं, मोगा देने के कन्ट्रोल में रहते हैं शुरू में जिन्होंने पानी ज्यादा लिया है, तीन चार वर्षों से, वे इस पक्ष में नही हैं कि मोगों से ज्यादा लिया जाय, वे नाराजगी जाहिर करते हैं...........

श्री हरदत्त सिंह (नोहर) : नाराजगी नहीं है, आपने फरमाया है कि हम टेल्स पर पानी पहुंचाने के लिये कोशिश कर रहे है, लेकिन क्या आपके ध्यान में है कि नहर विभाग जो है वह हैड रीच में पानी देने की पोलिसी को फोलो कर रहा है यानि विभाग की यह पॉलिसी है कि नहर में पानी छोड़ा जाय, हैड रीचेज के आधार पर चार-पांच मोगो तक फुल पानी दिया जाय, टेल पर नहीं पहुंचे इसकी परवाह नहीं..........

श्री सभापति No, no, Mr. Hardutta Singh ! आप एक बार बात करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: टेल पर पानी पहुंच जाय, उसके बारे में हमें चिन्ता है।

हमने इंजीनियर्स को कहा है कि टेल पर पानी पहुंचना चाहिये, किसानों को पानी मिलना चाहिये, सभी रीचेज पर मिलना चाहिये, यदि नहीं पहुंचाया तो आपके साथ सख्ती रखेंगे...........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आगे पानी पहुंचाने के लिये कितने चैनल्स का रीमोडलिंग कर दिया, कितने रेगुलेटर्स रीमोडल कर दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा: वह अलग प्रश्न है- एक २ चैनल के डिटेल में जाने लगूंगा तो घन्टे लग जायेंगे। एक २ का प्रोग्राम, जो कार्यवाही है वह मौजूद है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: किसी पर रीमोडलिंग नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप अलग से बात कर लीजिये, बताडूंगा।

इन दोनों सिस्टम्स में, जैसे भाखरा का नया है, किसानों को दिलचस्पी है, वाटर यूज करना चाहते हैं मगर किसानों की प्रोब्लम्स हैं हम उनके प्रति जागरूक नहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हों, ऐसी बात नहीं है । हम उनकी प्रोबलम्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

खास तौर से ड्रेनेज की बात कहीं गई । घग्घर के बारे में एक तरफ तो पानी देने की बात है तो दूसरी तरफ बाढ़ आती है तो उससे नुकशान होता है । घग्घर के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूं । घग्घर की बाढ़ योजना की स्कीम मंजूर हो चुकी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: टेल की आज रिपोर्ट आती है................

श्री नाथूराम मिर्धा: आपने बात कही है, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे ।

इस योजना में अभी डिस्प्यूट है कि कितना पानी राजस्थान ले सकता है । राजस्थान के ऊपर की तरफ केनाल में जो पानी इस स्कीम में आने का अन्दाज लगाया था वह करीब १६ हजार क्यूसेक्स पानी आने की बात थी । अब लसाड़ा का नया ड्रेनेज पंजाब बना रहा है । उस पर हमने पहले ऐतराज किया था । भारत सरकार ने भी पंजाब से कहा था, लेकिन पंजाब सरकार एडेमेंट है । उनके वहां जो नाली बन रही है उसकी डिजाइन बनाई है, उसके द्वारा वह करीब १३ हजार क्यूसेक्स पानी फिर घग्घर की बाढ़ में डालना चाहते हैं । ओवर एंड एबॉव जो हमने एग्री किया था जिसको हम राजस्थान में लेना चाहते थे । पहले हम ८ हजार क्यूसेक्स लेना चाहते थे, फिर हमने १२ हजार के लिये किया, क्योंकि इतना ही पानी हम सूरतगढ़ के धोरों में डाल सकते हैं, ज्यादा के लिये गुंजायश नहीं है । घग्घर की बाढ़ में चलता है उसे छोड़ सकें तो मुश्किल से हम १६००० क्यूसेक्स पानी ले सकते हैं, इससे ज्यादा की गुंजायश नहीं है । अब जो १३००० क्यूसेक्स जो लसाड़ा बन रहा है उसके लिये कहा है कि घग्घर में काफी पानी आयेगा, तो उसको लेने को किसी भी तरह से हम तैयार नहीं हैं । उसमें भारत सरकार ने तेजी से इन्टरफियेरेन्स किया है । २७ तारीख को मीटिंग हो रही है, बातचीत होगी । भारत सरकार का कहना है कि ४ हजार क्यूसेक्स पानी जो लोवर रीचेज का है वह राजस्थान ले और ऊपर का ९ हजार क्यूसेक्स पानी पंजाब सरकार अपने चन्द्रभान डेम ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ऐसी बात थी तो १ मार्च को आपने एग्री कैसे कर लिया ? आप थे, रावसाहब थे, रघुनाथसिंह थे और आपने एग्री कर लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कोई एग्री नहीं किया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अगर एग्री नहीं किया है तो क्या आप पेपर्स में कांट्राडिक्शन देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा: आप तो पेपर की बात कर रहे हैं, मैं हाउस में बोल रहा हूं । ४००० क्यूसेक्स का सुझाव आया है, उसको राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों मिल कर तय करेंगी,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बाकी पानी है वह चन्द्रभान ड्रेनेज के जरिये पंजाब में सतलज में डाला जाय। इसको भारत सरकार मानती है और पंजाब के सामने यह बात रखी है और कहा है कि चन्द्रभान में अमेन्डमेंट या मोडिफाइ करना चाहिये, और सतलज में यह पानी डालना चाहिये, यही राजस्थान का कहना है । क्योंकि यह झगड़ा काफी उग्र रूप से आ चुका है इसलिये भारत सरकार इन्टरवीन कर रही है, नतीजा ठीक ही निकलेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडाः आपका कमिटमेंट है, लसाड़ा ड्रेन के बारे में एग्री नहीं होंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कभी नहीं होंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडाः Thank you.

राजस्थान कैनाल की प्रोब्लम है, उसके बारे में इतना ही कहना उपयुक्त होगा कि इस बारे में प्रोब्लम खड़ी थी चार--पाँच साल से फ्लड के बारे में, उसका हल निकालना जरूरी है ।

इसके बाद भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर के फ्लड का जिक्र किया । इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा । जैसा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ गीले की प्रोब्लम है और दूसरी तरफ सूखे की प्रोब्लम है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम दोनों ही के लिये जागरूक हैं । उसको गोला किया जाय, पानी वाजिब तरीके से लिया जाय । यह प्राब्लम पंजाब, यू. पी. और राजस्थान; इन तीनों स्टेट्स के साथ जुड़ी हुई है । ३ तारीख को मैं भरतपुर जा रहा हूं । वहां राव साहब भी आ रहे हैं और यू. पी. तथा पंजाब के मंत्री भी आ रहे हैं। कुछ आउटस्टेण्डिंग बातों का फैसला वहां पर बैठ कर करेंगे । किस तरह से भरतपुर का वैटरमेंट हो, उसके लिये हम सतर्क हैं और आउटस्टेन्डिंग मामलों का हल तुरन्त निकालना चाहिये ।

इसके अलावा ड्रेनेज और फ्लड के बारे में कहा । उसके तीन हिस्से हैं; एक तो भरतपुर के चारों तरफ भर जाता है वह और दूसरा कामां के इलाके में पानी भर जाता है उसको बाहर निकालना चाहते हैं । तीसरी स्कीम है गंभीरी नदी पर पुल ....

श्री रामकिशन (वैर) ; सिंहावली ।

श्री नाथूराम मिर्धाः तीनों योजनाएं मौजूद हैं। सिंहावली की स्कीम भारत सरकार के पास गई है । कामां पहाड़ी की ड्रेन मंजूर हो चुकी है। उस पर ४ लाख रुपये खर्च करने की जो आपकी सूचना है वह गलत है । आपको राजस्थान के बाहर जो देना है उसके बारे में शायद मालूम नहीं है डेबिट करना है उसको भी हमें देना पड़ेगा । आज तक १३ लाख रुपये खर्च कर चुके हैं । जैसा आपने कहा ६० लाख का प्रावधान है, ४ लाख खर्च हुए । मैं जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि १३ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, ६० लाख के बजाय...........

श्री रामकिशनः यह मुझे पता है, लेकिन आपकी रिपोर्ट उल्टी-सीधी होती है ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): माननीय सदस्य सदन में सो रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धाः आपको क्या तकलीफ हुई ?

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भरतपुर में फ्लड कंट्रोल का सवाल है, उसके बारे में स्कीम अलग बन चुकी है, भारत सरकार से चर्चा हो चुकी है ३, ४ तारीख को । यदि यह सैन्क्शन हो जाती है तो राजस्थान में बड़ा काम हो जाता है । फ्लड कंट्रोल का काम तेज गति से चलाया जा रहा है ।

एक करोड़ अगली साल में रखेंगे जिससे वह काम हो । हम चाहते हैं कि १९६५ के मानसून के पहले पहले उस स्कीम को पूरा कर लें । इस प्रकार फ्लड के कंट्रोल के बारे में प्रश्न उठाये माननीय सदस्यों ने । उनके बारे में निवेदन किया कि तेजी से काम किया है ।

अब मैं चम्बल एरिया की तरफ आना चाहता हूं । चम्बल एरिया के बारे में प्रश्न सभापति महोदय, हमेशा सदन में आते रहते हैं । सदन के माननीय सदस्य जो चम्बल के बारे में ज्यादातर प्रश्न उठाते हैं वाटर लोगिंग की प्रोब्लम के बारे में; नहरें, कैनाल्स नहीं बनी हैं, इसके बारे में और किसानों के फील्ड्स में पानी आ जाता है इस बारे में, और तराई के बारे में, पर्टीक्यूलर टाइप के प्रश्न उठाते हैं । मैं इस बारे में दो शब्द अर्ज करूंगा कि इस एरिया के अन्दर पचास इंच के ऊपर बरसात होती है और इतनी बरसात होने के कारण किसानों की हैबिट है कि बरसात होने के बाद वे बोते हैं और जो कुछ भी हो जाता है उसको बेच देते हैं और इसमें अपना संतोष मानते हैं । अब १९, २०, २१ करोड़ खर्च करके बांध बनाया । किसानों का मैन्टल सेट-अप तैयार किया, इतनी बड़ी धनराशि लगा कर चम्बल बैरज, गांधीसागर डेम बनाया गया, दूसरे प्रोजेक्ट बनाये गये; इतना सारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उसके बारे में माननीय सदस्य एक मिनिट नहीं बोलते जिसके कारण वहां इतनी इन्डस्ट्री बनी....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उसके लिये धन्यवाद देते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अलावा इतनी धनराशि लगा कर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने की बात है, इसमें तरक्की हुई । उसके बारे में एक मिनिट नहीं बोलते हैं, उसकी चर्चा हाउस में नहीं करते हैं और किसानों को अन्धकार में डालने की कोशिश करते हैं, यह कह कर कि यह खराबी हो गई; यह खराबी हो गई और सब सत्यानाश हो गया । यह ठीक बात है कि ज्यादातर सदस्य जो जीत कर आये हैं इस सदन में....

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु०): आपने कहा कि चम्बल में बहुत कुछ काम किया है; लेकिन १९ तारीख को दक्षिणी कैनाल में इतना पानी चढ़ गया उन खेतों में जिनमें फसल कटी हुई पड़ी थी, इतना पानी भर गया कि लाखों रुपये के गल्ले का नुकसान हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यही कह रहा हूं........

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : लाखों रुपये का नुकसान हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना आ गई है, मैं निवेदन कर देता हूं । कुछ समय बढ़ायें तो ठीक हो, नहीं तो माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं उनको कुछ असंतोष रहेगा ।

श्री मानसिंह महार(ग्रामेर) : अब नहीं बढ़ना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों में असंतोष रहेगा ।

चम्बल के क्षेत्र में, यह दुर्भाग्य रहा है, किसान बोलते नहीं । उनको जो एडवान्टजेज़ हुए उनका पता नहीं होता है और जो उनके प्रतिनिधि हैं वे किसानों के प्रतिनिधि है नहीं................

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : गलत बात है ।

(शोरगुल)

अनेक माननीय सदस्य : गलत बात है, एक्सपंज होने चाहिए ये शब्द ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर भी माननीय सदस्यों ने वे बातें कह दीं, चाहे वहां की जनता नहीं कहती हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडो(रायसिंह नगर) : Point of order, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको नहीं, कह रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, there is a point of order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो शब्द प्रयोग किये कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य किसानों को रिप्रेजेन्ट नहीं करते, किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते. मैं समझता हूं, यह एक पर्सनल एस्पर्शन है कोटा से आये हुए माननीय सदस्यों के ऊपर और इसलिए इनको एक्सपंज किया जाना चाहिए ।

श्री विजयसिंह झाला : एक्सपंज किया जाना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : मैंने निवेदन किया था, किसानों के प्रतिनिधि होते तो कम से कम बैठे रहते ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (वीगोद) : On a point of order. मंत्री महोदय ने बताया कि कोटा से विधायक आये हैं वे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । वे कि आधार पर कहते हैं, इसको मंत्री महोदय एक्स्प्लेन करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस बात को निवेदन करता हूं........

श्री सभापति : Order please । एक पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर माननीय सदस्य ने उठाया । मंत्री महोदय ने जो भाषण में आरोप लगाया कि माननीय सदस्य, जो कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं वे किसानों का प्रतिनिधित्व नही करते । मैं समझता हूं ये कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं हैं जो कार्यवाही में से हटाये जायं । ऐसे आरोप माननीय सदस्य भी लगाते रहे हैं और लगाने का अधिकार है कि सरकार किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है । The point of order is hereby ruled out.

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : On apoint of order............

श्री नाथूराम मिर्धा : चम्बल क्षेत्र में कोई डिफीकल्टी नहीं हैं, यह मैं नहीं कहता । डिफीकल्टी बताते हैं............,

श्री सभापति : माननीय मंत्री, आपके समय में केवल एक मिनिट और बाकी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस बात को कह कर समाप्त कर देता हूं ।

श्री सभापति : Order please ! समय बढ़ाना पड़ेगा । हमें समय बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर बढ़वा लें पांच मिनिट और । और हुक्म दें तो यहीं खत्म कर दूं ।

श्री सभापति : मेरा हुक्म है, आप बैठ जायं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना ही जवाब समय की कमी के कारण है । मैं आशा करता हूं, इससे माननीय सदस्य संतोष करेंगे और मांग को पास करेंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शोर्षक ४२– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८६,०६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शोर्षक ४३= सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४– सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४– सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५२,३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शोर्षक

९८– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९– सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

के सम्बन्ध में ३१, मार्च–१९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३,५८,०१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० १ बजकर ५७ मिनट पर बुधवार दिनांक २५ मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

संक्षिप्त-विवरण

मंगलवार, दिनांक २४ मार्च, १९६४

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सुजानगढ़--डीडवाना सड़क पर तारकोल ।

गन्ना बोने वाले काश्तकारों को सुविधाएं--गंगानगर ।

एयर कन्डीशन्ड बस ।

सूरतगढ़-रावतसर सड़क ।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के कर्मचारियों के ट्रान्सफर ।

सीमेन्ट गोदाम पर छापा-भीनमाल ।

भाखरा क्षेत्र में चिमनी के भट्टे ।

राजगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ।

गंदे पानी (एफ्ल्युएन्ट) छोड़ने से मवेशियों की मृत्यु व फसल को नुकसान-कोटा ।

एम्बेसेडर कार की खरीद में प्राथमिकता ।

बारां का नया अस्पताल ।

जयपुर आने पर टी० ए० व डी० ए० ।

लक्ष्मणगढ़--खेडली वाया कठूमर सड़क की मरम्मत ।

भीनमाल से करड़ा व अरणा--सांचोर सड़क पर यात्रियों को दिक्कतें ।

जयपुर-बीकानेर रूट पर बस स्टोपेज ।

फल हुए विद्यार्थी को पास करने के लिए सिफारिश ।

सन्डरसन इन्डस्ट्रीज, कोटा ।

ग्रामीण परियोजनाएं-जिला चूरू ।

तहसीलों में हायर सेकन्डरी स्कूल ।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

अदालतों में रजिस्टर्ड विवाह एवं तलाक के मामले ।

राजस्थान दलित वर्ग संघ ।

कुटीर उद्योग व कृषि के लिए बिजली-धरियावद ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स ।

निजी उद्योगों के लिए ऋण ।

मांगरोल से गणेशगंज तक सड़क ।

यात्री बसों के व ट्रक्स के परमिट ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत, राजस्थान लोक सेवा-आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक) व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

सदस्य द्वारा वक्तव्य

श्री मान्धातासिंह, सदस्य, विधान सभा, ने श्री ज्वाला प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक १८ मार्च, १९६४ को उनके प्रति लगाये गये अभिकथन (Allegation) के संबन्ध में एक वक्तव्य दिया।

आयव्यक, १९६४-६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४२-बहु प्रयोजन नदी योजनायें

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४३-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

४४-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

४४-सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजारों और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

(३) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९८—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

९९-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

उपरोक्त मांगें श्री नाथूराम मिर्धा, सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गईं। इन मांगों पर कुल १११ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सिंचाई मंत्री के उत्तर के पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं।

बुधवार, दिनांक २५ मार्च, १९६४ की कार्य सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग।

(२) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२८ का उत्तर देखिए)

STATEMENT OF ESSENTIALITY CERTIFICATES ISSUED TO M/s. SUNDERSONS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED AND LICENCES OBTAINED THEREON

Essentiality Certificate issued for period and date of issue	Kind of material	Import License granted	Material received on	Remarks
1	2	3	4	5
1. No. SSI/118 dt.12-1-61 Rs. 93,500/-	Stainless sheets	Rs. 22,000/-	Goods Recd. 11-7-1962	
2. No. SSI/118 dt.12-1-61 Rs. 5,500/-	Tool & Alloy Steel	Rs. 4,000/-	......	Import License with the Iron & Steel Controller.
3. No. SSI/119 dt. 12-1-61 Rs. 24,000/-	M.S. Sheets	Rs. 6,000/-	......	License Surrendered.
4. No. IR/413 dt. 18-3-61 Rs. 1,12,425-	Components	Rs. 6,043/-	......	License Surrendered.
5. No. SSI/AS/61/95 dt. 14-7-61 Rs. 11,000/-	Stainless Sheets	Rs. 5,500/-	Received	
6. SSI/AS/61/95 dt.14-7-61 Rs.1,000/-	M.S. Sheets	Rs. 1,000/-	Nil	License Surrendered.

1	2	3	4	5
7. SSI/AS/61/95 dt. 14.7.61 Rs. 2,250/-	Tool & Alloy Steels	Rs. 2,000/-	Received.	
8. SSI/AS/61/157 dt. 12.8.61 Rs. 25,000/-	Components.	Rs. Nil	......	License not received.
9. SSI/OM/61-62/23 dt. 13.1.62 Rs. 82,500/-	Stainless Sheets	Rs. 48,000/-	Material received on 2-1-1963	
10. SSI/OM/61-62/23 dt. 13.1.62 Rs. 3,250/-	Tool & Alloy Steel	Rs. 3,250/-	Material received in March, 63.	
11. SSI/OM/61-62/33 dt. 14.2.62 Rs. 87,425/-	Components	Rs. Nil	......	Import license not received.
12. SSI/AS/62/16 dt. 22.6.62 Rs. 82,500/-	Stainless Sheets	Rs. 60,600/-	Material received on 1-8-63.	
13. SSI/RDDK/OM/63/1 dt. 9-1-63 Rs. 24,000/-	M.S. Sheets	......	Material not yet received	
14. SSI/RDDK/OM/63/2 dt. 9-1-63 Rs. 7,350/-	—do—	Rs. 1,600/-	Material received in Jan., '64	
15. SSI/AS/62/16 dt. (Oct.-March, '63)	Stainless Sheets	Rs. 30,300/-	Material received on 20-2-64.	

On 31.1.64 allotment of 3.03 m. tonnes of S.S. Sheets was also made to this party through the Rajasthan Small Industries Corporation for preparation of Hospital Utensils. This allotment is against the Barter Import.

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ का उत्तर देखिये)

INDUSTRIAL ESTATES ESTABLISHED IN RAJASTHAN

S.No.	Name of the Estate	No. of sheds built.	No. of sheds in production	Recovery made since beginning.
1	2	3	4	5
				Rs,
1.	Jaipaur	64	55	2,65,723/-
2.	Nakhupara (Ajmer)	30	18	9,150/-
3.	Bhilwara	40	14	37,545/-
4.	Udaipur.	11	7	22,170/-
5.	Sumerpur	32	Nil	Nil
6.	Pali	16	1	Nil
7.	Bikaner	18	Nil	Nil
8.	Shri Ganganagar	44	7	11,230/-
9.	Jodhpur	28	14	30,225/-
	Bharatpur	26	1	Nil
11.	Kotah	44	20	76,608/-
	TOTAL	353	137	4,52,651/-

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ का उत्तर देखिये)

सूची

	बस				ट्रक		योग
क. श्रीमालिकराम कालडा	६०-६१,	६१-६२,	६२-६३,	६३-६४,	६०-६१-६२,	६३-६४,	
	—	१	—	—१	——	१	३
ख. श्री मे० कालडा ट्रान्सपोर्ट के०	—	—	—	—	१	——	—१
ग. अशोक गुड्स ट्रांसपोर्ट कं०	—	—	—	—	२	—	—२
घ. मे० ओम प्रकाश मालिकराम	—	—	—	—	——	—	—
						योग	६

एन० बी० १. ६१–६२ में एक परमिट जयपुर अजमेर रूट पर २६-२-५८ को तीन साल के लिये हुआ था। उसकी बजाय आलटरनेटिव रूट जयपुर लोहारु का दिया गया।

एन० बी० २. ६३–६४ में एक परमिट जयपुर टोंक देवली रूट पर २६-११-५७ को तीन साल का और फिर रिन्यूवल ३०-११-६३ तक हुआ। उसके बजाय आलटरनेटिव रूट जयपुर पिलानी का परमिट दिया गया।

एन० बी० ३. परमिट ३१४५ आर. जे. एल. ६०२२ मालिकराम जयपुर-देहली रूट के लिये ५-६-६१ से ४-६-६६ तक ट्रक परमिट।

एन० बी० ४. ट्रक परमिट २८८८ आरे. जे. एल. ६६७७ कालरा गुड्स ट्रांसपोर्ट कं० के लिये तमाम राजस्थान १५-६-६० से १४-६-६५ तक।

एन० बी० ५. ट्रक परमिट २८८६ और २६३५ आर. जे. एल. ६८७५ और ८६३५ के लिये जयपुर देहली रूट १५-६-६० से १४-६-६५ तक का।